ROLE OF THE WILD LAND USE IN THE ECONOMY OF BUNDELKHAND UTTAR PRADESH

A Ph. D. THESIS

By
Smt. KAMINI DAYAL M.A.
AGRA

Under the Guidance and Supervision of
Dr. C. P. SAXENA M.A., Ph.D.
Principal
BUNDELKHAND COLLEGE
JHANSI

t765

Bundelkhand University
JHANSI

1986

Dr. C.P.Saxena
Principal
Bundelkhand College,
JHANSI. (U.P.)

CERTIFICATE

This is to certify that Mrs. Kamini Dayal worked under my supervision on "Role of the Middland use in the economy of Bundelkhand U.P." for the period required as per rules of the Bundelkhand University, Jhansi.

This Thesis for P.HD. Degree in Economics is a product of the candidate's own efforts and endeavour. The thesis is recommended for evaluation.

JHANSI

The ____ January, 1986.

C P Saxena

(Dr. C.P.SAXENA)
Supervisor.

I am personally thankful to the understanding and help of my husband- Mr. P.M.DAYAL and encouragement and help given by my parents, who gave me constant inspiration to continue my research and complete the Thesis.

My profound respects to my Guide- Dr. C.P. Saxena, Principal, Bundelkhand College, who always gave me the latest ideas and help while continuing and completing the Thesis.

(Mrs. KAMINI DAYAL)
A G R A .

C O N T E N T S .

C H A P T E R - I.

PHYSICAL ENVIRENMENT OF BUNDELKHAND .

		PAGES:
(-)	INTRODUCTION	1 - 8
A.	TOPOGRAPHY	9 - 16
B.	CLIMATIC CONDITIONS AND RAIN FALL.	17 - 21
C.	SOIL DISTRIBUTION AND RIVERS.	22 - 25
D.	LAND UNDER PLOUGH .	26 - 33
E.	WILD LAND REGIONS.	34 - 37
F.	BUNDEL KHAND A LAND OF ABUNDANCE FOR ECONOMIC SURVIVAL OR SOCIAL ANNIHILATION.	38 - 43

C H A P T E R - III .

WILDERNESS HABITUATION

A.	ECONOMIC HABITATION/ SOCIAL HABITUALISM.	79 - 87
B.	METHODOLOGY :-	88 -
	i: Wild Land Productivity.	89 - 91
	ii: Motivation for Economic and social unlift.	91 - 95
C.	ECONOMICS OF OUTDOOR RECREATION.	96 - 101
D.	RECREATIONAL USE OF WILD LAND .	92 - 110
E.	ECOLOGICAL PRESERVATION .	111 - 117
F.	GROWTH OF TOURISM INDUSTRY.	118 - 122

C H A P T E R - IV .

RESURRECTION OF WILDLAND BASED SOCIETY

	PAGES :
A. SOCIAL RENAISSANCE FOR THE ADOPTATION OF ECONOMIC CAPABI- LITIES .	123 - 127
B. PROVISION OF RECREATIONAL ABU- NDANCE FOR COMMON PEOPLE.	128 - 131
C. COMPULSORY OUTDOOR RECREATION AND RESTCURE FOR PERSONAL EFFI- CIENCY FOR COMMAN MAN.	132 - 135
D. PARTICIPATION FACILITIES DURING WEAK-ENDS FOR RULAR URBAN POPULATION.	136 - 139
E. COMMUNITY GATHERINGS, SOCIAL CARNI- VALS ~~[illegible]~~ FOR WILD LAND UTILIZATION.	140 - 145
F. EMOTIONAL INTERGRATION THROUGH WILD LAND MEDIA.	146 - 150
G. RE-ORIENTATION OF BUNDELKHAND ENVIRENMENT .	151 - 154

C H A P T E R - V.

FINANCIAL MANAGEMENT OF BUNDELKHAND ECOLOGY

	PAGES:
A. SOCIAL OR STATE RESPONSIBILITIES.	155 - 159
B. SELF-SUFFICIENT BALANCED SOCIO-ECONOMIC UNITS FOR FINANCIAL EXISTANCE IN DIFFERENT WILDLAND DISCIPLINES.	160 - 163
C. COMPULSORY WILDLAND DEVELOPMENTS CHARGABLE IN PROPORTION TO RURAL-URBAN INCOME GROUPS.	164 - 165
D. INPUT AND OUTPUT RATIO IN RELATION TO PRODUCTIVITY AND INVESTMENT.	166 - 170
E. PROPORTIONATE FINANCIAL BURDEN OF STATE AND INDIVIDUAL IN ACCORDANCE WITH PER-CAPITA INCOME OF BUNDELKHAND REGION.	171 - 174
F. OTHER INCENTIVES FROM LOCAL RESOURCES.	175 - 179
G. MATCHING STATE ~~GRANTS~~ GRANTS AND FINANCIAL CONTRIBUTION FROM DIFFERENT STATES AND INTERNATIONAL BODIES.	180 - 183
H. SHARE CAPITAL FROM WILD LAND USE CO- OPERATIVES .	184 - 187

C H A P T E R - VI.

WILD LAND UTILIZATION IN BUNDELKHAND

PAGES:

A. ESTABLISHMENT OF OUTDOOR RECREATIONAL UNITS FOR REPOSE IN THE FORM OF HOSTELS, MOTELS, CAVES, HUTMENTS, WILDLAND CLUBS AND COTTAGE MARKETING UNITS FOR COMMON MAN.	188 - 195
B. ESTABLISHMENT OF WILD LIFE SANCTURIES, ECQUARIUMS, JAPANESE TYPE GARDENG BY LOCAL RESOURCES AND REMODELING OF PONDS, NATIONAL LAKES, RIVULETS, HILLOCKS AND FOREST WEALTH.	196 - 199
C. CONVERSION OF ~~AVAILABLE~~ available SURPLUS RESIDENTIAL APARTMENTS INTO TOURISM HOMES AND CONSTRUCTION OF LOW COST COTTAGES IN RURAL AREA .	200 - 203
D. WILELAND UTILITY FOR TOURIST INDUSTRY.	204 - 208
E. ABSORPTION OF RURAL AND URBAN COMMUNITY IN THE WILD LAND USE COTTAGE INDUSTRY AND CREATING TOURIST BASED EMPLOYMENT OPORTUNITIES FOR LOCAL PEOPLE.	209 - 213
F. BUNDELKHAND WILL LAND TO BE A TOURIST PADADISE .	214 - 218

.. 2.

G. CO- OPERATIVE CUM CO-PARTNERSHIP ENTERPRISE FOR THE DEVELOPMENT OF WILD LAND COMPLEX. 219 - 223

H. DEVELOPMENT OF VARIOUS TRANSPORT LINKS FOR INCOMING AND OUTGOING TRAFFIC. 224 - 228

I. ACTIVE PARTICIPATION OF YOUTH IN WILD LAND USE PROGRAMME. 229 - 233

J. ESTABLISHMENT OF AN INSTITUTION OF WILD LAND USE TECHNOLOGY IN BUNDELKHAND UNDER CO-OPERATIVE SECTOR ALONG WITH IT'S LINK AT OTHER PLACES. 234 - 237

GENERAL CONCLUSION .. .. 238 - 243

** * **

INDEX OF PHOTOPLATES AND MAPS

		BETWEEN PAGES
(i)	PHOTOPLATE I	59 - 60
(ii)	PHOTOPLATE II	88 - 89
(iii)	PHOTOPLATE III	128 -129
(iv)	SOIL DISTRIBUTION MAP	24 - 25
(v)	FOREST DISTRIBUTION	114 -115
(vi)	ROADS, BRIDGES, RAILWAY-LINES AND BOUNDRIES	135 -136
(vii)	IRRIGATION FACILITIES	27 - 28

CHAPTER :- (I).

ROLE OF WILD LAND USE IN THE ECONOMY OF BUNDELKHAN.

CHAPTER - I

PHYSICAL ENVIRONMENT OF BUNDELKHAND

INTRODUCTION :-

मानव का सम्बन्ध सदा से निरर्थक भूमि से रहा है और विकास के साथ साथ उसके सम्बन्धों में निरन्तर परिवर्तन आते रहे है। मानव का आकार प्रकृति की शक्तियों से जुड़ा है । समय-समय पर जो मानव ने जन संख्या की वृद्धि के साथ-साथ वन शक्तियों का प्रयोग किया है, उससे पता चलता है कि पर्यावरण की सुरक्षा व्यक्ति के जीवन में कितनी महत्व पूर्ण बन गई है और आर्थिक सम्पन्नता व उत्पादकता ग्रहण करने के लिये मानव प्रकृति से अपना नाता नही तोड़ सकता है ।

बुन्देलखंड में प्राकृतिक पर्यावरण की बहुमूल्य देन उपलब्ध है और सुरक्षित है । उद्योगीकरण व आधुनिक शक्तियां उनको अभी तक क्षति नही पहुँचा सकी है, यही कारण है कि बुन्देलखंड में अनुपयोगी भूमि निरर्थक भूमि के रूप में आज भी पड़ी हुई है और ये उचित समय है जब

उस भूमि को उपयोगी बनाने के लिये आर्थिक व सामाजिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुऐ, इस पिछडे क्षेत्र के निवासियों के लिये योजना बनाई जाये । आवश्यकता इस बात की है कि उत्पादकता के बढ़ाने के लिये मनोरंजन जैसे कार्यक्रमो से जोड़ा जाये । इस प्रकार इस विषय पर पहले कोई विचार नही किया गया था । जो भी किसी व पिछड़े क्षेत्र के निवासी होते है, उनका आत्मबल व क्षमता पहले से ही कम रहती है और उनकी निराशा दूर करने के लिये व मनोबल बढ़ाने के लिये कार्य करने की दिशाओ में क्रान्तिकारी परिवर्तन करना होगा । बुन्देलखंड के निरर्थक भूमि पर बसने वाले निवासियो के लिये उस पिछड़ी हुई भूमि से लगाव किसी ना किसी प्रकार से रहना होगा और उनको विश्वास दिलाना होगा कि उनकी भूमि सम्पन्नता दिला सकती है । निरर्थक भूमि पर केवल कृषि सम्बन्धी योजनाए व उनसे सम्बन्धित उपयोग बनाने की परम्पराओ को ऐसे क्षेत्रो में समाप्त करके कुछ ऐसी योजनाओ का निर्माण करना होगा जिससे क्षेत्र की उत्पादकता बढाई जा सके और ऐसे क्षेत्र के निवासियों को शिक्षित करना होगा कि वो नयी दिशा मे चल कर अपने व्यक्तित्व को विभिन्न कार्य करने के लिये सक्षम बनाये । ये सब कुछ व्यक्ति प्राकृतिक क्षमताओं से प्रबल कर सकता है, जिसका आधार निरर्थक भूमि है और अपने अतिरिक्त समय में, आराम के साथ मनोरंजन के वातावरण

में अपने विश्वास को पुनः जागृत करके किसी भी कार्य में प्रेरणा प्राप्त कर सकता है । व्यक्ति के लिये, उसके जीवन को प्रकृति से जोड़ने के लिये एक ऐसी योजना बनानी होगी जो कि व्यक्ति की आन्तरिक क्षमताओं को प्रेरणा दे सके और सोये हुऐ विश्वास को उत्पादकता के लिये जागृत करा सके । इस क्षेत्र के ग्रामीण व नगरीय वातावरण को एक दूसरे से जोडना होगा और ऐसी योजनाए बनानी होगी, जितने अधिक से अधिक दोनो का समन्वय हो सके ।

निरर्थक भूमि पर ऐसी योजनाए बनाने पर विचार किया जा सकता है, जिनमें सभी वर्ग के व्यक्ति सम्मिलित हो सके व सामूहिक रूप से प्राकृतिक क्षमताओं का प्रयोग कर सके । जो भी पृथक रूप से निरर्थक भूमि से सम्बन्धित संगठन स्थापित हो, उनकी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जितने क्षेत्र के सभी व्यक्ति निरर्थक भूमि सम्बन्धी योजनाओं में एक दूसरे का सहारा बन सके और प्राकृतिक क्षमता को ग्रहण करने के लिये इन इकाइयों को द्वारा सुविधाए एकत्रित कर सके । इस सम्बन्ध में जो भी प्रस्ताव दिये जायेंगे, उनका उल्लेख इस शोध में प्रस्तुत किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत प्राकृतिक क्षमताओ के ग्रहण करने के सुझाव है और निरर्थक भूमि के द्वारा मनोरंजन की योजनाए व ऐसे पर्यावरण को बनाना है जिससे

क्षेत्र के निवासियों की उत्पादकता में वृद्धि हो और वो किसी भी कठिन से कठिन कार्यको सामना कर सके ।

किसी भी कार्य को प्रारम्भ करने के पश्चात अगर कार्यकर्ताओं और विभिन्न वर्गों को जो भी कल्याणकारी सुविधाए दी जाती है वो एक प्राचीन तरीका है, अधिकतर किसी भी कार्य को करने के साथ-साथ विभिन्न सुविधाए सम्बन्धी योजनाए बनाई जाती है । ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति कार्यक्रम में खो जाता है और उसको कोई नवीन दिशा नहीं मिलती, यही कारण है कि उसका व्यक्तित्व स्वतन्त्र रूप से नही उभर पाता । इस प्रणाली को कम करने व समाप्त करने के लिये आवश्यकता इस बात की है कि किसी कार्य को प्रारम्भ करने से पहले ही व्यक्ति की उत्पादकता अधिकतम सीमा तक बढ़ाने के लिये उसको मनोरंजन द्वारा सभी प्राकृतिक शक्तियाँ ग्रहण करने की सुविधाए अगर उपलब्ध हो जाती है तो वो स्वतन्त्र रूप से किसी भी कार्य में जा सकता है और कार्य प्रारम्भ से पहले जो उसने कार्यक्षमता बढ़ाने की सुविधाए ग्रहण की है, उनको प्रयोगवादी बना सकता है । मनोरंजन द्वारा प्राकृतिक शक्तियों का उत्पादकता के लिए प्रयोगवादी होना भी एक शिक्षा है, जिसको ग्रहण करके एक ऐसा व्यक्तित्व बनता है, जिसकी उपयोगिता किसी भी दिशा में हो सकती है। आर्थिक

व सामाजिक उन्नति के लिये इस प्रकार की योजनाओ को चलाना महत्वपूर्ण हैऔर प्रारम्भ से ही ऐसी सुविधाए सभी नागरिको को प्राप्त होनी चाहिये इस प्रकार से निरर्थक भूमि पर कृषि व उद्योग के स्थान पर बुन्देलखंड केकुछ क्षेत्रों में मनोरंजन सम्बन्धी योजनाए स्थापित की जा सकती है, जिनका सुझाव इस शोध में दिया जा रहा है । इस प्रकार की प्रस्तावित योजनाओं को सफल बनाने के लिये सरकार व व्यक्ति के दृष्टिकोण को बदलना होगा और उसके हीआधार पर नीतियाँ बनानी होगी । इस सम्बन्ध में भी आवश्यकता सुझावो का प्रस्ताव है जिससे स्थानीय जनसंख्या व प्रशासन के बीच सम्बन्ध बनाए जा सके और निरर्थक भूमि के निवासियो को उन्ही के द्वारा संचालित, उसी क्षेत्र में अधिक मात्रा में कार्य मिलते रहे । इस प्रकार से निरर्थक भूमि के निवासियों को ज्ञात हो जायेगा कि उनके पास सभी प्राकृतिक व मानवीय शक्तियाँ उपलब्ध है जिनका सन्तुलन करके वो इस क्षेत्र को एक नयी दिशा दे सकते है व आत्म निर्भरता प्राप्त कर सकते हैं ।

बुन्देलखंड की अर्थ व्यवस्था को सुधारने के लिये विभिन्न प्रकार की शक्तियों का प्रयोग करना होगा । जो कि भूमि के क्षेत्र विकसित हो रहे है उनसे उपलब्धियाँ मिलती जा रही है और विभिन्न विभाग अपनी योजनाओं के द्वारा योगदान दे रहे है।ऐसी परिस्थिति

में सम्पूर्ण क्षेत्र की उन्नति नही हो पाती और बुन्देलखंड में जो विशेषकर निरर्थक भूमि पडी हुई है उसकी उपयोगिता पाने के लिये कठिनाइयों का सामना करना पडता है । राज्य सरकार व बुन्देलखंड के निवासी ये समझते रहे है कि निरर्थक भूमि पर कोई भी योजना चलाना बहुत मंहगा पडेगा और वह इस स्थिति में नही है कि किसी भी निरर्थक भूमि पर कार्य प्रारम्भ कर सके । इस प्रकार का विचार स्वाभाविक है और इस सम्बन्ध में किसी नवीन दिशा पर पहले विचार नही हुआ है और ये देखा गया है कि विकास की योजनाओं में बहुत से क्षेत्र छूट जाते हैऔर उन पर योजनाए चलाने की हिम्मत नही होती । बुन्देलखंड भी उनमें एक ऐसा भाग है जहाँ पर बहुत सी भूमि निरर्थक पडी हुई है और केवल बुन्देलखंड के अच्छे व समृद्धि पूर्ण भागो में विभिन्न शासन के विभाग कार्य करते रहे हैं और उनसे ही सन्तुष्ट होना पडता है । बुन्देलखंड की अर्थ व्यवस्था को बढोतरी देने के लिये निरर्थक भूमि व उस क्षेत्र के निवासियों की अदृश्य शक्तियों को बढाना होगा व जागृत करना होगा जिससे इस छूटे हुऐ क्षेत्र को भी समृद्धि वाले क्षेत्र से जोड़ा जा सके । कुछ ऐसी योजनाए होती है जिसमें केवल धन लागत व धन उपलब्धि का सीधा संचार होता है, ऐसी योजनाए अधिक से अधिक व्यवहारिक होती है व सुविधाजनक होती है, कम से कम समय में उपलब्धियाँ प्राप्त होती जाती है । एक रूप से यह सरल भी होती है और जिनकी

उपलब्धियाँ इस प्रत्येक वर्ग धन के रूप में प्राप्त करते हैं ।

इस शोध का तात्पर्य है कि बुन्देलखंड की निरर्थक भूमि पर अदृश्य शक्तियों को सहारा दिया जाये और इस सम्पूर्ण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिये निरर्थक भूमि पर अदृश्य शक्तियों को बढ़ावा देने की योजनाएं स्थापित की जाय जिनमें प्रमुख मनोरंजन जैसी योजनाएं आती है व पर्यावरण के सुधर जाने से निवासियों की कार्यक्षमता बढ़ने लगती है । ये सभी ऐसी अदृश्य शक्तियाँ है जिनको आर्थिक विकास से अलग नहीं रखा जा सकता और जब इन योजनाओं में तीव्रता आ जाती है, तो अदृश्य शक्तियाँ अधिक शक्तिशाली बन जाती है और आर्थिक उपलब्धियों में महत्वपूर्ण योगदान देने लगती है । यही कारण है कि बुन्देलखंड की निरर्थक भूमि पर ऐसी योजनाएं स्थापित की जाये जिनमें अनिवार्य रूप से सभी ग्रामीण व नगरीय वर्ग अधिक से अधिक मात्रा में सम्मिलित हो व अपनी कार्य क्षमता बढ़ाए । अदृश्य शक्तियाँ जैसे आत्म विश्वास, कार्यक्षमता, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण व मनोबल प्राप्त करने का कोई अवसर नहीं मिल पाता है और प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्यों में ऐसा बंध जाता है कि उसके कार्य करने की रुचि समाप्त हो जाती है । इसका कारण यही है कि इस दिशा में इस क्षेत्र व देश में अधिक विचार नहीं किया गया । व्यक्ति की रुचि को जागृत करने के लिये अगर मनोरंजन का माध्यम लिया जाये, तो वो स्वतन्त्र रूप

से अपनी रुचि को दिशा में भाग ले सकेगा । इसका आकार प्रदान करने के लिये निरर्थक भूमि ही एक बड़ी भूमिका बना सकती है और जिसके द्वारा सभी प्रकार की अदृश्य शक्तियाँ एक बड़ा स्त्रोत विकास में दे सकती है । इस धारणा को लेकर बुन्देलखंड में निरर्थक भूमि सम्बन्धी योजनाओं को संचालित करने पर विचार किया जा सकता है । प्रारम्भिक स्थिति में जो प्रस्ताव इस सम्बन्ध में दिये जा रहे है उनमें अधिक लागत नहीं आयेगी व निरर्थक भूमि पर स्थानीय शक्तियों का प्रयोग करके कम से कम लागत पर अधिक से अधिक कार्य किये जा सकते है और जो कुछ समय पश्चात इन योजनाओं को प्रभावित होने पर लाभ मिलेंगे वो बहुमूल्य होंगें और इन कार्यों की आशा बुन्देलखंड के समृद्ध होने से जुड़ जायेगी । प्रारम्भ में ऐसी मनोरंजन सम्बन्धी योजनाएं अनुउत्पादकीय प्रतीत होती है परन्तु स्थायी रूप से अदृश्य शक्तियाँ उभर के आती है वो व्यक्ति की कार्य क्षमता को ऐसी बढ़ोत्तरी देती है, जिनकी आवश्यकता किसी भी अर्थ व्यवस्था को सुधारने के लिये महत्व पूर्ण बन जाती है । इस प्रकार की सुविधाएं विदेशों में तो अधिक है, परन्तु प्रकृति की अदृश्य शक्तियों को जोड़ने के साधनों की इस क्षेत्र में बहुत कमी है ।

---:0:---

TOPOGRAPHY :-

बुन्देलखंड जो कि बुन्देलों का गढ़ रहा था प्रदेश के दक्षिणी-पश्चिमी भू-भाग में स्थित है । यह क्षेत्र उत्तर में यमुना नदी व अन्य दिशाओं में मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है । इस क्षेत्र की भूमि अधिकतर असमतल पथरीली एवं यत्र-तत्र नदियों के किनारों पर गहन बीहड़ों से भरपूर है । बुन्देलखंड में सर्वत्र मन्दिर शिवालय व खण्डहर हैं ।

यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा भूखंड है । इसका कुल क्षेत्रफल 2966000 हेक्टयर है और प्रदेश का लगभग आठवाँ भाग है इस क्षेत्र की जनसंख्या 5429000 है जो कि प्रदेश की तुलना में बहुत कम है । इस जनसंख्या का घनत्व भी प्रदेश की जनसंख्या के घनत्व से बहुत कम है ।

बुन्देलखंड मण्डल पाँच जनपदों में विभाजित है- झाँसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर व बाँदा । इस मण्डल के समस्त जनपदों में मिला कर 22 तहसीलें एवं 47 विकास खंड हैं, बुन्देलखंड के पाँचों जनपदों का क्षेत्रफल एवं जनसंख्या व उनका घनत्व निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट होता है :-

1981

जनपद	क्षेत्रफल वर्ग कि0मी0	जनसंख्या	घनत्व प्रति वर्ग कि0मी0
झाँसी	5024	1137000	226
ललितपुर	5039	578000	118
जालौन	4565	986000	216
हम्मीरपुर	7166	1194000	167
बाँदा	7624	1534000	201
कुल बुन्देलखंड	29418	5429000	186 प्रति वर्ग कि.मी./औसत

इस भूखंड के उत्तर में यमुना तथा दक्षिण की ओर धीरे-धीरे उठते हुये पठार व पहाड़ों की पंक्तियाँ बढ़ कर विंध्याचल पर्वत श्रृंखला बन जाती है । इस ही कारण से भूखण्ड प्राकृतिक उपलब्धियों में विंध्याचल क्षेत्र के समान है ।

प्रदेश का यह भाग ऐतिहासिक दृष्टि कोण से बहुत महत्वपूर्ण है, परन्तु अविकसित एवं पिछड़ा हुआ है । प्रदेश के अन्य भागों की तुलना में बुन्देल खंड भी इतिहास एवं भूगोल, जीव विज्ञान एवं खनिज विज्ञान

जन्तु एवं पेड़ पौधो नीचे एवं ऊँचे भूखण्ड मनुष्य एवं उनके रीति-रिवाज, कृषि एवं सिंचाई और सभी प्रकार की प्राकृतिक उपलब्धियो से परिपूर्ण व प्रदेश के अन्य भागो से अलग लगता है ।

सामान्य रूप से इस क्षेत्र का भूखण्ड निरर्थक मैदानो तथा कहीं कहीं उभरी हुई पठारी चट्टानो, छोटी तथा बडी नदियो तथा कही-कहीं पर काली मिट्टी के रूप में उत्तर की ओर यमुना नदी तक जालौन हमीरपुर, बाँदा तथा ललितपुर में पडी हुई है, जिसका अधिकांश क्षेत्र निरर्थक पडा हुआ है । अधिकतर भाग में विशेषकर दक्षिणी भाग में जो कि पठारी व छोटी छोटी पहाडी चोटियों से भरा हुआ है । झाड़ियो तथा जंगलो से भरपूर है । ये पहाडियां मैदानो में थोडी-थोडी दूरी पर है तथा दक्षिण पश्चिम में बहुतायत से है । ये पहाडियाँ उसी प्रकार की है जैसी कि उडीसा, मध्य प्रदेश तथा छोटा नागपुर में पायी जाती है यह क्षेत्र दक्षिण से उत्तर की ओर ऊँचा होता चला जाता है और मध्य-प्रदेश से ऊँचे क्षेत्र तक चला जाता है ।

विंध्याचल पर्वत इस भूखण्ड का दक्षिणी छोर है और करीब दो हजार फुट समुद्र से ऊँचा है । ये भूखण्ड अधिकतर बालू वाले पत्थर और कहीं-कहीं कठोर पत्थर का है व ऐसा प्रतीत होता है कि ये भूखण्ड ज्वाला

मुख्य उपलब्धियो से बना है । दक्षिण के पन्ना क्षेत्र में पतली, गहरी तथा तेज बहने वाली छोटी छोटी नदियो व कच्चे पहाडो से बनी है और पन्ना व गोलकुन्डा में हीरे की खाने पायी जाती है । दक्षिण पश्चिम में बढियार श्रेणियां लगभग पन्द्रह से बीस मील चौडी तथा लगभग अठठारह सौ फुट ऊँची स्थित है । बाहरी भागो में अलग अलग पहाडियाँ है जो कि किसी समय में इस क्षेत्र के ज्वालामुखी के गढ थे । बीच बीच में काली मिटटी है और इस प्रकार कम होते हुये पश्चिम में खत्म हो जाती है, परन्तु पूर्व में पहाडी श्रेणियां तथा गहरी तेज बहने वाली नदियो का क्षेत्र है । इस क्षेत्र में बहुत कम भूमि समतल है और अधिकतर ऊँची नीची पहाडियों से भरी है। इस क्षेत्र के विभिन्न जनपदो में, भूमि की संरचना में असमता पायी जाती है झाँसी व ललितपुर जनपदो की भूमि कही-कहीं समतल खेतो को छोड कर अधिकांश असमतल है, जब कि जालौन हमीरपुर एवं बाँदा जनपदो में भूमि अधिकांश समतल है ।

बुन्देलखंड अंचल के पाँचो जिलो का विवरण निम्न प्रकार है:-

झाँसी झाँसी का नाम लेते ही पुरानी स्मृति रानी लक्ष्मीबाई की सामने आ जाती है, जो कि इस देश की स्वतन्त्रता के लिये सबसे उच्च कोटि की वीरांगना हुई है और जिन्होंने हाथ में खडग लेकर स्वतन्त्रता का संग्राम लडा और देश के लिये बलिदान हुई ।

बुन्देलखंड मण्डल के पाँचो जनपदो के अधिकांश मुख्यालय झाँसी में ही स्थित है । झाँसी के दक्षिण में विंध्याचल पठार एक दम से समाप्त होकर काली मिट्टी में परिवर्तित हो जाता है , जिसमें अनेक नदियाँ उत्तर की तरफ ललितपुर के आस पास बहती है । उसके उपरान्त लाल मिट्टी की श्रंखला चलती है, जिसमें अनेको नंगी छोटी-छोटी पहाड़ियों की श्रंखला है जो कि मऊ तक फैली हुई है । उसके बाद फिर काली मिट्टी पड़ती है, जिसमें कहीं-कहीं पहाड़ियाँ होती है और धीरे-धीरे ये पहाड़ियाँ समाप्त हो जाती हैं ।

इस क्षेत्र की मुख्य नदियाँ बेतवा, डासन तक पहुँच है । ये क्षेत्र सकरी नदियो व कहीं कहीं कटीली झाँड़ियो से भरपूर हैं ।

झाँसी जनपद के अन्तर्गत चार तहसील व्याठ विकास खंड हैं :-

हम्मीरपुर :

हम्मीरपुर का भूस्तर भी झाँसी जैसी समान है और उसका दक्षिणी भाग अनेको सतत पहाड़ की नीची पहाड़ी चोटियो से भरा हुआ है, इन पहाड़ियो की तराई में छोटे-छोटे गाँव बसे हुये है और कुछ भूमिया होते है । इस क्षेत्र में पतली-पतली पहाड़ियों की एक श्रंखला सी फैली हुई है और कहीं कहीं भूमि में खत्म होकर फिर से प्रकट हो जाती है । ये पर्वत श्रंखला जो कि उत्तर तक फैली हुई है, ये नदियो द्वारा कटाव कर के मैदानी

में यमुना नदी तक भरी हुई है तथा यह पेड़ों व ग्रामों रहित है और निरर्थक भूमि है । इस क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ यमुना, बेतवा, धसान तथा केन है । ये नदियां वर्षा ऋतु में बाढ़ से उफनाती रहती है, परन्तु और ऋतुओं में एक पतली धार बन कर रह जाती हैं । ये नदियाँ बहुत गहरी व तेज बहने वाली है और अपने प्रवाह क्षेत्र में उग्र रूप से भयानक तबाही करती हैं ।

हमीरपुर जनपद में छः तहसीले, ग्यारह विकास खण्ड है :-

बाँदा :

इस क्षेत्र की दक्षिणी सीमा विंध्याचल पर्वत श्रेणियाँ है जो कि पन्ना व छतरपुर तक फैली हुई है । इस क्षेत्र में पहाड़ियाँ अधिकतम 17सौ फीट ऊँची है और उसके अनेको तीर्थ स्थान है । यमुना नदी की घाटी उत्तर में लगभग चार मील तक फैली हुई है और धीरे धीरे ऊँचाई पर उठती हुई विंध्याचल श्रेणियों की तराई तक फैली हुई है । इस क्षेत्र में दो प्रमुख घास के मैदान हैजो कि कालिंजर तथा नारफा (Narafa) पहाड़ियो के बीच में स्थित है और यहाँ शरीफो के पेड़ बहुत अधिक मात्रा में उगे हैं । यमुना नदीके अलावा केन, बागैन तथा पैसुनी नदियाँ जो कि विंध्याचल पर्वतो से निकल कर बहती है इस क्षेत्र में पायी जाती है व ये नदियाँ पहाड़ियों के कारण घूमती फिरती बहुत गहरी अनेक धाराओं में

बह कर तथा कहीं कहीं झरनों के रूप में प्रवाहित होती है । वर्षा ऋतु में ये नदियाँ भयानक उग्र रूप धारण कर लेती है तथा वर्षा काल के अन्त में साधारण धाराऐं बन जाती हैं ।

बाँदा जनपद में पाँच तहसीलें तेरह जनपद हैं :-

जालौन :

यह क्षेत्र बुन्देलखंड के अन्य भागों से बिलकुल भिन्न है । सारा क्षेत्र नदियों द्वारा बनाए हुऐ मैदानों का है और केवल दो पहाड़ों की श्रृंखला ही यहाँ तहँट नगर के आस पास पाई जाती है । मार तथा काबर के अतिरिक्त उत्तर की भूमि पड़ी मिश्रित है और उसका कालापन समाप्त हो जाता है । इसके आगे तथा यमुना के किनारे किनारे दुआब की भूमि के प्रकार की सफेद दुमुठ मिट्टी के मैदान है । इस क्षेत्र में बाँध तथा कृषि क्षेत्र भी घास-पात तथा अधिक हैं, इसमें महुआ व आम के वृक्ष उगे हैं व क्षेत्र के सुन्दर बनाते है । दक्षिण पश्चिम का भाग गहरी तेज बहने वाली नदियों तथा निरर्थक भूमि का क्षेत्र है । इस क्षेत्र के पूर्व में बेतवा, पश्चिम में पहुँच तथा उत्तर में यमुना नदी है ।

जालौन जनपद में चार तहसीलें व नौ विकास खण्ड हैं :--

ललितपुर :

ललितपुर बुन्देलखंड अन्चल का एक जनपद है व यह बुन्देलखंड के

दक्षिण में स्थित है । यह तीन ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है । इसकी प्रमुख नदियाँ बेतवा, जामनी और शहजाद हैं । बेतवा मध्य-प्रदेश से आती है व यमुना में मिल जाती हैं । जामुनी नदी भी ललितपुर होती हुयी मध्य प्रदेश से आती है व औरछा के पहले बेतवा में मिल जाती है ।

ललितपुर में ही जैनियो के प्रमुख देव गढ मन्दिर पाये जाते हैं । ललितपुर पठारी क्षेत्र है व यहाँ पर इमारती पत्थर व फेरापलाइट के अपार भण्डार उपलब्ध हैं । मोरम, रेत, सड़क बनाने का पत्थर व ग्रेनाईट पत्थर भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है ।

ललितपुर में तीन तहसीले व छः विकास खण्ड हैं ।

---==:::==---

B- **Climatic Conditions and Rainfall:-**

सामान्य रुप से जलवायु व बुन्देलखंड । अच्छी है । क्योंकि क्षेत्र में खुश्की अधिक है अर्थात नमी नहीं है । अच्छी जलवायु मनुष्य के स्वास्थ्य व बीमारी से लड़ने की शक्ति होती है परन्तु पेय जल व उपयुक्त भोजन की कमी जनसंख्या की वृद्धि में बाधक रहे हैं । जल स्त्रोत 30 से 60 फीट नीचा है । पत्थरीले एवं चट्टानी क्षेत्र के कारण काफी भूमि में भी कुऐं व ट्यूब वेल लगाने असम्भव है । जितना भी जल उपलब्ध है उसमें अधिकतर गर्मियो में पानी सूख जाता है जिस समय उसकी नितान्त आवश्यकता होती है । मई व जून इतने गर्म होते है कि छोटी छोटी नदियाँ ही नहीं बहुत से कुओं का पानी भी सूख जाता है । वर्षा की अनिश्चितता एवं कुओ एवं नहरो के अभाव में कृषि बिलकुल बर्बाद हो गयी है, जोकि भारत की का एक प्रमुख कार्य है । यद्यपि जलवायु पर प्राकृतिक दशाओ का बहुत बड़ा प्रभाव है परन्तु फिर भी खराब जलवायु के खराब प्रभावो से मनुष्य अपनो से बचा सकता है, परन्तु बुन्देलखंड में खराबियाँ जलवायु के कारण नहीं वरन् जल के । पीने एवं कृषि योग्य । अभाव से उत्पन्न हुयी हैं । प्रकृति ने इस क्षेत्र में मामूली अच्छी वर्षा की हुयाकरी है, इस वर्षा के पानी को बंध व बड़े बाँध बना कर इकट्ठा कर लिया है और यह पानी नहरो द्वारा

अधिकतर क्षेत्रों में उपलब्ध है, जिसके कारण ही अब कुछ भूमि कृषि योग्य हो गयी है ।

प्रदेश के अन्तरिक्ष विज्ञान केन्द्रों में से झाँसी, हम्मीरपुर तथा झाँसी जनपद हैं जहां तापमान अंकित किया जाता है । सांख्यकी डायरी उत्तर प्रदेश वर्ष 1982 के अनुसार कृषि वर्ष 1981-82 में उरई केन्द्र जनपद जालौन पर अंकित किया गया न्यूनतम ताप मान 4.7 सेंटीग्रेड तथा उच्चतम ताप मान 44.2 था । जनपद झाँसी में न्यूनतम तापमान 6.9 सेंटीग्रेड तथा उच्चतम तापमान 44.0 सेंटीग्रेड था । हम्मीरपुर में न्यूनतम तापमान 4.7 और उच्चतम तापमान 44.2 सेंटीग्रेड था तथा उरई में न्यूनतम तापमान 3.4 सेंटीग्रेट रहा ।

वर्षा :

इस क्षेत्र में वर्षा का आरम्भ जून के अन्तिम सप्ताह से हो जाता हैऔर सितम्बर मध्य तक रहता है । मण्डल में झाँसी तथा झाँसी जनपदो के कुछ भाग तथा सम्पूर्णजालौन व हम्मीरपुर जनपदो के अन्य क्षेत्रो की तुलना में कम वर्षा होती है। मेट्रलाजिकल रिकार्ड के आधार पर यह देखा गया है कि गत 50 वर्षों में इस क्षेत्र में वर्षा 782 मिली मीटर से 966 कुल मिली मीटर तक हुयी है । यह मण्डल सामान्य वर्षा की श्रेणी 900 से 100 मिली मीटर के मध्य में आता है ।

यदि अधिक वर्षा इस क्षेत्र में हो जाती है तो काली मिट्टी में कोई कार्य सम्भव नहीं होता, साथ साथ बहुत गहरे जड़ो वाली कांस घांस इतनी बहुतायत में पैदा हो जाती है व फैल जाती है जैसे की कोई बीमारी फैलती है । कांस घांस इतनी घनी व अधिकता में फैलती है कि सामान्य कृषक उस भूमि को कृषि योग्य बनाने में असमर्थ है । यदि वर्षा कम होती है तोमारूवी दुमुट मिट्टी को भी नुकसान होता है जैसा कि अधिक वर्षा से काली मिट्टी को होता है, क्योंकि दुमुट मिट्टी के ऊपर की सतह ही अच्छी व कृषि योग्य होती है जो कि वर्षा के कारण घुल व बह जाती है । ऊँची व नीची भूमि होने के कारण भी वर्षा से कम ही लाभ मिलता है ।

सबसे बड़ी खराबी तबहोती है जब कि जुलाई व अगस्त में तो अच्छी वर्षा हो जाती है परन्तु सितम्बर व अक्टूबर सूखे चले जाते है जिस के कारण खरीफ की फसल को बहुत हानि होती है और रबि की फसल के लिए भूमि अधिक कठोर हो जाती है । अधिक वर्षा के कारण काली मिट्टी कृषि योग्य नहीं रह जाती और उसमें खर पतवार अधिक हो जाते है, विशेष -कर कांस घांस जिसकी जड़े बहुत गहरी होती हैं । इस घांस के कारण हजारो एकड़ कृषि योग्य भूमि बेकार छोड़ दी जाती है । हल्की मिट्टी भी वर्षा से उतनी ही क्षति पाती है जितनी की काली मिट्टी, परन्तु

अलग अलग रूप में । हलकी मिट्टी, जिसकी ऊपरी सतह में सबसे उत्तम मिट्टी होती है वर्षा में बह जाती है और जल प्रवाह से पास की भूमि भी कट जाती है ।

वर्षा के असन्तुलन का सबसे कटु प्रभाव भूमि पर पड़ता है, जिसको नष्ट करने के लिए सिंचाई के साधन उपलब्ध कराने होंगे तभी यह असन्तुलन समाप्त हो पायेगा ।

सांख्यिकीय डायरी उत्तर प्रदेश 1981 की सूचना के अनुसार कलेण्डर वर्ष 1981 में अंकित की गई वर्षा का विवरण जनपद वार निम्न प्रकार से है :---

जनपद का नाम	इकाई	सामान्य	वास्तविक
1	2	3	4
झाँसी	मिली मीटर	891	718
ललितपुर	"	997	1123
जालौन	"	778	621
हमीरपुर	"	849	831
बाँदा	"	825	719

1982 में अंकित की गई वर्षा ।

जनपद का नाम	इकाई	सामान्य	वास्तविक
1	2	3	4
झाँसी	मिली मीटर	848	1018
ललितपुर	"	850	990
जालौन	"	946	1087
हमीरपुर	"		
बाँदा	"		

2- Soil distribution and rivers :-

यह मण्डल प्रदेश से यमुना नदी द्वारा विभाजित है। यहाँ की भूमि सामान्यतः असमतल एवं पथरीली है । इसके पूर्वी व पश्चिमी भाग में अधिक पथरीली भूमि पायी जाती है ।

उत्तरी भारत के मैदान जिन्हे दुआब कहा जाता है , हिमालय पर्वत से निकलती हुई नदियों से बहाये व बाद में छोडी मिट्टी से, बहुत लम्बे समय में बने हैं परन्तु बुन्देलखण्ड इससे भिन्न है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी हिमालय से भिन्न है और यमुना के दक्षिण के क्षेत्र उन पत्थर व चट्टानो के टुकड़ो से बने हैं जो कि विंध्याचल पर्वत से निकलती हुई नदियों द्वारा मध्य भारत में लाये गये हैं इस क्षेत्र की विचित्र लाल मिट्टी न तो पानी रोक सकती है और न ही पौधों को समुचित खुराक देने योग्य है । इसमें लगातार खेती भी नही हो सकती । कुछ और मिट्टी जो कि अन्य भागो में पायी जाती है व जल के कारण ही बनी है, को काली मिट्टी कहते हैं ।

-=: काली मिट्टी :=-

काली मिट्टी चार प्रकार की होती है :-

1- मार
2- काबर
3- परवा
4- राकड़

1। मार :

मार मिट्टी यहाँ की भूमि के ऊपरी सतह में पायी जाती है । मार बहुत ही उपजाऊ व उर्वरक शक्ति से भरपूर है, जो कि गेहूँ व चना के लिये बहुत ही उपयुक्त है । यह भूमि नमी पूर्णतः सुरक्षित रखती है, इसी कारण यह कृषि के लिए बहुत महत्व पूर्ण है । इस भूमि को उचित समय पर जब कि इसमें नमी पूर्णतः उपलब्ध हो, जोता व बोया जा सकता है परन्तु शुष्क मौसम में यह भूमि बहुत सख्त हो जाती है और जोतना असम्भव हो जाता है, परन्तु अधिक वर्षा में यह खेती के लिए उपयुक्त है । गर्मी के दिनों में सूखने पर इसमें बड़ी बड़ी दरारे पड़ जाती हैं ।

2। काबर :

काबर भूमि में मिट्टी व रेत का मिश्रण है । यह भूमि मार भूमि से हल्की होती है तथा कृषि कार्य के लिए अधिक उपयुक्त है।

3। परवा :

परवा भूमि हल्के रंग की होती है और दुमुठ मिट्टी की भाँति फसलो की पैदावार के लिए बहुत उपजाऊ है । यह भूमि बुन्देलखंड की सब जाति की भूमियों से अधिक उपजाऊ है व इसमें आर्थिक दृष्टि से अच्छी फसले, जिनकी माँग बाजार में अधिक व ऊँची है पैदा हो सकती है।

5। राकड़ ६
=========

राकड़ पाँची प्रकार की भूमि है जो कि यहाँ के बीहड़ क्षेत्रों में पायी जाती है, जो कि कृषि के लिए बहुत ही अनुपयुक्त है, क्योंकि ऊपरी सतह की अच्छी भूमि कटाव के कारण बह जाती है । इसमें काफी क्षेत्र ऐसा है जो कि सिंचाई सुविधा उपलब्ध न होने के कारण निरर्थक है।

मार व काबर को बुन्देलखंड के दक्षिणी भाग में एक ही नाम से "मोती" पुकारा जाता है । मोती नाम की भूमि समस्त मार भूमि तथा अच्छे प्रकार की काबर भूमि का मिश्रित नाम है, बाकी बची हुई काबर भूमि व परवा भूमि को "मोती पथरी" नाम से जाना जाता है ।

-=: अतिरिक्त भूमि :=-
=======

इस क्षेत्र की मिट्टी लाल व काली मिट्टी से मिली हुयी है जैसी मध्य प्रदेश से लगे हुऐ क्षेत्रों में पायी जाती है ।

स्थानीय लोग इन्हीं भूमियों को अपने नाम से पुकारते है, हालाँकि यह सब भूमि इन्हीं प्रमुख नामों के उपनाम हैं । उदाहरण के लिए "दान" जंगली भूमि को कहते हैं व "भाटो" अन्य प्रकार की भूमि के लिए है और "किररा" शब्द धान के लिए उपयुक्त नीची भूमि के लिए प्रयोग होता है, जो भूमि बाढ़ व अपवाहों से उपजाऊ होती है, को "सेरा"

`कहते हैं । यह लाल रंग की भूमि जिसको बाड़ बांध कर सुरक्षित कर लिया जाता है को ठर्रों" कहा जाता है। पूर्वे तालाबों व गड्ढों की तली की भूमि को "नारी" नाम से सम्बोधित किया जाता है ।

-=: नदियाँ :=-

बुन्देलखंड में तेज, पतली व गहरी बहने वाली नदियाँ है । बुन्देलखंड के पूर्व में गहरी व तेज बहती हुई नदियों का क्षेत्र है । सिन्ध नदी जो कि मालवा से निकलती है, इस क्षेत्र के दक्षिण पश्चिम में छूती हुई लगभग डेढ सौ मील तक बहती हुई, यमुना में मिलती हैऔर इस क्षेत्र के ग्वालियर के ओर की सीमा है । इसके लगभग 20 मील पूर्व में पहुँच नदी बहती है और बेतवा नदी में भोपाल के पास मिलती है व इस खण्ड में 190 मील बहकर यमुना में मिलती है । धसान नदी जो कि बेतवा नदी की एक सहायक नदी है, इस क्षेत्र के दक्षिण से उत्तर तक लगभग 150 मील बहती है । एक और छोटी सी नदी बिरमा उत्तर की ओर बहती है । पूर्व में केन नदी दक्षिण होती हुई, उत्तर की ओर बहती है और लगभग 230 मील में इसका प्रवाह इस क्षेत्र में है । यह हमीरपुर व महोबा जिले में भी पायी जाती है । अधिक पूर्व में बगैन व पंसुनी नदियाँ दक्षिण पश्चिम से उत्तर की ओर बह कर यमुना में मिलती है। यमुना नदी जो कि इस क्षेत्र के उत्तरी भाग में लगभग 200 मील बहती है, इसकी उत्तरी पूर्वी सीमा है ।

D- **Land Under Plough:-**

जो भी भूमि जोत में होती है उस भूमि को खेतीहर भूमि कहा जाता है । इस श्रेणी में नयी व पुरानी भूमि दोनो सम्मलित है, जिनमें खेती करने के लिये अलग-अलग समय में भूमि को खेती योग्य बना दिया गया है । जिन क्षेत्रो में भूमि खेती के लियेअधिक उपलब्ध नही होती है उन स्थानो पर सीमित आकार पर खेतीहर भूमि पर खेती की जाती है परन्तु जिन स्थानो में आवश्यकतानुसार अधिक भूमि ग्रहण करने की सुविधा है उन स्थानो में आवश्यकतानुसार अतिरिक्त भूमि में से भूमि ग्रहण करके खेती योग्य बना दी जाती है । यही स्थिति बुन्देलखंड की है और बहुत समय पहले से इस क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं की सीमाओ के कारण व उपजाऊ भूमि की कमी के कारण कृषि भूमि के क्षेत्र सीमित रहे हैं और जब भी नई भूमि खेती के लिये तोडी जाती रही है, तो उसको बुन्देलखंड में नई उपलब्धि माना गया है । ऐसी स्थिति इस क्षेत्र में सन्- 1947 तक रही व उसके पश्चात सुधार रूप से भूमि को खेती योग्य बनाने का प्रयास किया जाता रहा परन्तु फिर भी अधिक मात्रा में इस क्षेत्र का भूमि बंजर व निरर्थक पडी हुई है, जिस पर खेती का विस्तार बढ़ाना

अनार्थिक है । कोई अन्य योजना निरर्थक भूमि सम्बन्धी आर्थिक दृष्टि कोण से बनाना उचित होगा जिससे निरर्थक बंजर भूमि की उत्पादकता बढ़ाई जा सके, जिसके लिये यह शोध प्रस्तुत किया जा रहा है ।

बुन्देलखंड उत्तर-प्रदेश का एक प्रमुख भाग है जो अनेक प्रकार से उत्तर-प्रदेश के अन्य भागो से भिन्न है । इस क्षेत्र की भूमि अधिकतर असमतल पथरीली एवं यत्र तत्र नदियों के किनारे गहन बीहड़ो से भरपूर है । इस क्षेत्र के विभिन्न जनपदो में भूमि की बनावट में भी एकरूपता नही है । कृषि विशेषज्ञो के द्वारा इस क्षेत्र की भूमि को विभिन्न श्रेणी में विभाजित किया गया है । यह क्षेत्र उत्तर में यमुना नदी तथा अन्य दिशाओ में मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है । यहाँ की भूमि प्रदेश के अन्य भागो से अलग है ।

बुन्देलखंड में पाँचो जनपदो का कुल क्षेत्रफल 2966000 हेक्टेयर है जिसमें से कृषि योग्य भूमि 2055000 हेक्टेयर है । कृषि अर्थ व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है और इस क्षेत्र की व्यवस्था भी कृषि पर आधारित है । इस क्षेत्र के कृषक अल्प सिंचाई का साधन भी नही जुटा पाते और पूर्णतया वर्षा पर ही निर्भर हैं ।

1977 की कृषि गणना के आधार पर इस अंचल के विभिन्न जनपदो में कृषि जोतो का विवरण निम्न प्रकार से है :-

अनुसंधान एवं नियोजन मण्डल, झाँसी
बुन्देल खण्ड की सिंचाई योजनायें
उत्तर
कालपी
उरई
हमीरपुर
बेतवा नदी
यमुना नदी
महोबा
छतरपुर
माणिकपुर
म ध्य प्रदेश
पहूज बाँध
पारीछा बाँध
बिरमा बाँध
अर्जुन बाँध
चन्द्रावल बाँध
कबरई बाँध
मौदहा
गुरसराय
लखेरी बाँध
पथराई बाँध
लोअर लहचुरा
सपरार बाँध
उर्मिल बाँध
रनगवाँ बाँध
बरियारपुर बाँध
गंगऊ बाँध
बरुआ बाँध
शहजाद बाँध
लोअर शहजाद बाँध
सजनाम बाँध
उटारी बाँध
जमनी बाँध
रोहिणी बाँध
गोविन्द सागर बाँध
सुकमा बाँध
माताटीला बाँध
राजघाट बाँध
चिल्लीमल पम्प नहर (क्षमता वृद्धि)
संकेत
1. प्रादेशिक सीमा
2. जिला सीमा
3. रेलवे लाईन
4. सड़क
5. नदी
6. नहर
पैमाना

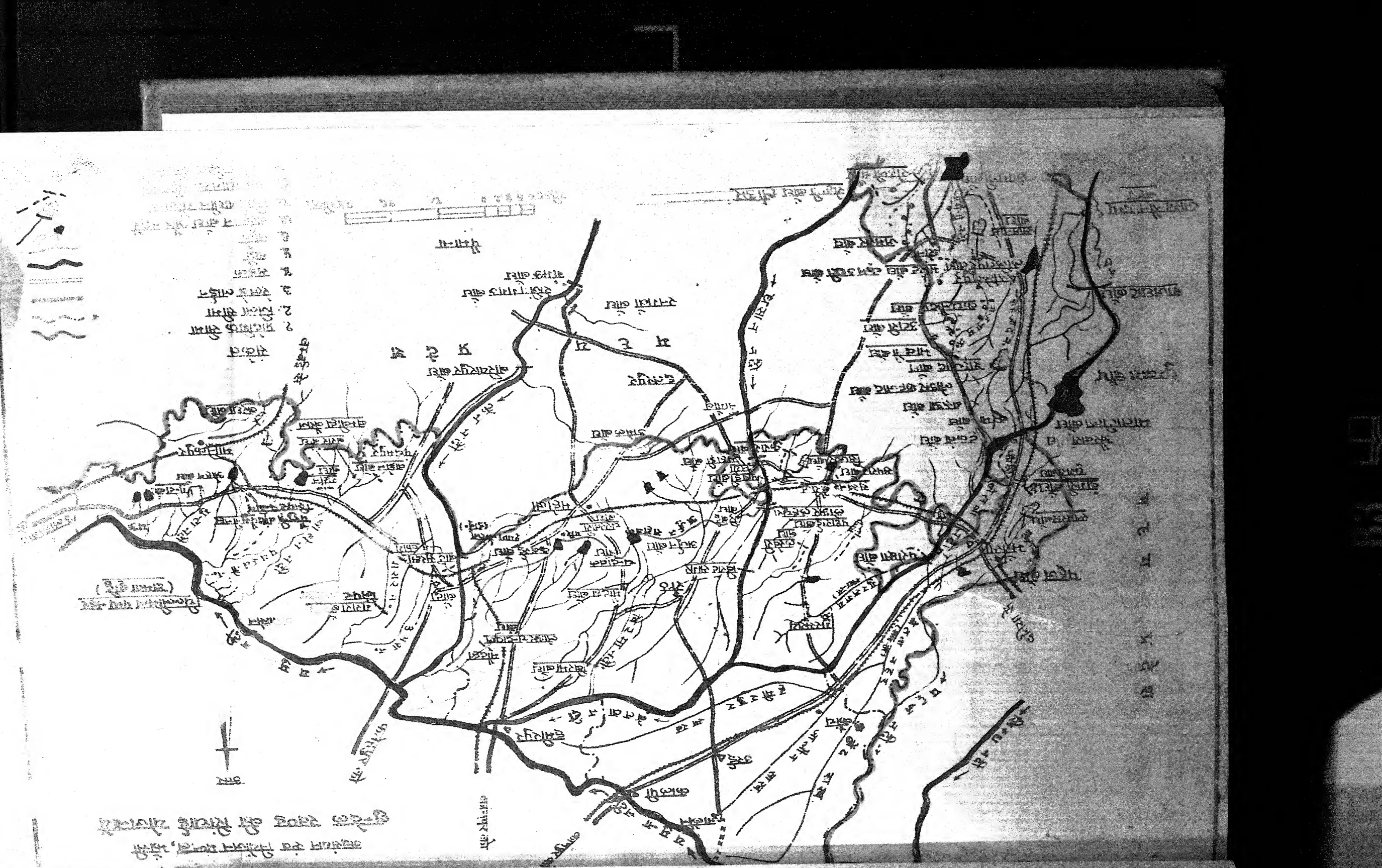

कृषि जोतों की संख्या 1976-77 (हेक्टेयर में)

झाँसी	ललितपुर	जालौन	हमीरपुर	बाँदा	योग
153977	8791	165477	215758	261098	893321

औसत जोत

2.22	2.261	2.23	2.57	2.13	2.33

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट हो जाता है कि बुन्देलखंड की औसत जोत 2.33 हेक्टेयर है जबकि प्रदेश की औसत जोत 1.05 हेक्टेयर है। इससे यह स्पष्ट होता है कि मण्डल की औसत जोत प्रदेश की औसत जोत से अधिक है । मण्डल की 9.83 लाख जोतों में से 3.64 लाख जोतें एक हेक्टेयर से कम व 2.04 लाख जोतें 1.00 हेक्टेयर एवं 2.00 हेक्टेयर के मध्य पाई जाती है । इससे यह स्पष्ट होता है कि मण्डल में छोटी जोतों की संख्या अधिक पाई जाती है ।

कृषि के विकास एवं फसलों की अधिक उपज के लिये सिंचाई एक प्रारम्भिक आवश्यकता है । भूमि के दृष्टिकोण से मण्डल काफी समृद्ध है किन्तु यह मण्डल का दुर्भाग्य है कि यहाँ की कृषि प्राकृतिक वर्षा पर निर्भर रहती है । सरकार ने अनेकों बाँध बनवा कर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करी है । इन्हीं सुविधाओं के योगदान से कृषि कार्य सम्भव हो सका है ।

सिंचित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

वर्ष	शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल	शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल	प्रतिशत
1976-77	1814095	408200	22.50
1977-78	1833608	246786	23.27
1978-79	1850481	453391	24.50
1979-80	1804243	293727	16.28
1980-81	1824165	436839	22.59

वर्ष 1980-81 के विभिन्न जनपदों में शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल एवं शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का विवरण निम्न प्रकार है :-

सिंचित क्षेत्रफल 1980-81 (हेक्टेयर में)

जनपद का नाम	शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल	शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल	प्रतिशत
झाँसी	299871	87816	26.05
ललितपुर	182169	64004	28.99
जालौन	346297	97007	27.10
हमीरपुर	504697	85671	16.43
बाँदा	491131	102341	20.79
योग	1824165	436839	22.59

वर्ष 1982-83 (हेक्टेयर में)

जनपद का नाम	सिंचित क्षेत्रफल	शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल
1	2	3
झाँसी	90551	304675
ललितपुर	79894	199367
हमीरपुर	90849	509489
जालौन	88847	350761
बाँदा	96301	47102
योग	446432	1835313

उपरोक्त से यह स्पष्ट होता है कि अध्ययन में सिंचित क्षेत्रफल का प्रतिशत बोये गये क्षेत्रफल की तुलना में 22.59 % है जो कि प्रदेश के औसत 46.27 % से काफी कम है ।

वर्ष 1980-81 में आँकड़ो के आधार पर बुन्देलखंड के विभिन्न जनपदो में विभिन्न सिंचाई साधनो द्वारा सिंचित क्षेत्रफल का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है :--

सिंचाई साधन	झाँसी	ललितपुर	जालौन	हमीरपुर	बाँदा	अध्ययन
1	2	3	4	5	6	7
नहर	59248	24679	86098	63203	95075	326303
नलकूप	148	40	8461	7590	4610	20849
अन्य कुऐ	29754	31400	1946	11774	1690	76564
तालाब, झील व पोखरे	186	1126	77	563	179	2131

1	2	3	4	5	6	7
अन्य साधन	480	6759	425	2541	787	10992
वास्तविक सींचित क्षेत्रफल	64004	82816	97007	85671	102341	436839

मण्डल के अन्तर्गत लगभग 74.69 % क्षेत्रफल नहरों द्वारा सींचा जाता है तथा 17.52 % पक्के कुओं द्वारा सींचा जाता है। राजकीय नलकूपों द्वारा जनपद जालौन, हमीरपुर एवं बाँदा में केवल सिंचाई होती है और लगभग 5% क्षेत्रफल सिंचित होता है।

मार्च 1981 की स्थिति के अनुसार मण्डल में उपलब्ध सिंचाई साधनों का विवरण निम्न प्रकार से है :-

बुन्देलखंड में सिंचाई साधन मार्च 1981 की स्थिति

मद	झाँसी	ललितपुर	जालौन	हमीरपुर	बाँदा	मण्डल
1 x	2	3	4	5	6	7
नहर नि.नी.	197	520	1916	908	1506	5046
राजकीय नलकूप संख्या	2	-	287	228	302	819
निजी नलकूप	144	-	627	905	1453	3129
स्प्रिंकलर सेट	9426	3205	3878	6074	10005	32588
पक्के कुऐ	24439	24590	8150	15282	14262	86731
रहट	10592	18963	321	257	592	30743
देशी	31822	-	156431	-	45812	234075

बुन्देलखंड के अन्तर्गत बोयी जाने वाली प्रमुख फसलों के

उत्पादन के आंकड़े निम्न तालिका में दिये गये हैं :--

बुन्देलखंड मण्डल के खाद्यान्न उत्पादन

मीटरिक टनों में

मद	1976-77	1977-78	1978-79	1979-80	1980-81
(क) धान्य					
धान	72499	122244	78679	7604	58370
मक्का	14013	18238	19935	12396	9838
ज्वार	181686	214061	180738	37293	167963
बाजरा	118114	19059	17802	3245	15163
मडुआ	3	5	4	1	0
सांवा	1774	2577	2159	819	1339
कोदों	9942	10757	6498	133	3869
काकुन	230	284	191	98	129
कुटकी	1139	679	342	4	163
गेहूँ	515038	592906	630406	349520	722350
जौ	27908	29103	31968	29428	44984
अन्य	138	194	-	-	-
कुल धान्य	8424846	1010098	1027526	440541	1024168
(ख) दालें					
उर्द	4990	3816	2729	1355	6496
मूंग	722	604	287	867	2007
मसूर	57199	52348	67093	28930	70528
मोठ	17	13	1	0	10
चना	347163	346675	335021	158191	378628
मटर	6785	4289	2697	1262	3572

अरहर	101787	115394	121214	68903	116699
अन्य	-	-	-	-	-
कुल दाले	512663	523039	529042	259488	578040
कुल खाद्यान	1355147	1533137	1556568	700029	1602208
(ग) वाणिज्य फसले					
मूंगफली/तिलहनों	3648	3918	4390	2860	5794
अलसी	11431	14950	14287	1984	5951
तिल	1484	2338	1732	501	1095
गन्ना	167148	249457	223381	56790	93884
मूंगफली	618	670	960	701	1328
कपास	-	-	-	-	-
तम्बाकू	205	167	113	115	216
जूट	-	-	-	-	10
तरबूज	1	-	-	-	-
हल्दी	1	-	-	-	16
आलू	19283	23738	27755	13958	32564

प्रमुख फसलो के उत्पादन के क्षेत्र में भी बुन्देलखंड में वृद्धि हुई । लेकिन वर्ष 1979-80 में सूखे के भीषण प्रकोप के कारण फसलो के उत्पादन में काफी कमी आई परन्तु वर्ष 1980-81 में अच्छी वृद्धि हुई ।

-----:10:-----

E- Arid Land regions:-

बुन्देलखंड प्रान्त का एक ऐसा भाग है जो अंग्रेजी शासन के समय से ही आर्थिक विकास के लिये छूटा रहा है, जिसके कारण इस क्षेत्र की प्रगति उत्तर-प्रदेश के अन्य भागो की तरह नही है । बुन्देलखंड की एक विशेष परिस्थिति प्राचीन समय से है यह भाग अधिकतर मध्य-प्रदेश व राजस्थान से घिरा हुआ है और जो पहले छोटी-छोटी रियासतेंह इस क्षेत्र में थी उन सब का प्रभाव बुन्देलखंड के आर्थिक विकास पर पड़ा है ।

बुन्देलखंड में सभी प्राकृतिक शक्तियाँ उपलब्ध है और ये क्षेत्र एक ऐसा भण्डार है जिसके द्वारा इस क्षेत्र की आर्थिक प्रगति प्रदेश के अन्य भागो की तरह सुरक्षित हो सकती है । इस क्षेत्र का भू-भाग प्रदेश से कुछ भिन्न है और अनोखा भी है । बुन्देलखंड के जिन भागो में कृषि होती है वो अधिकतर ऐसे भाग है जहाँ पर सिंचाई स्थानीय तालाबो व नहरो के सहारे की जाती है और नाले व नदियो के आस पास के भागो में भी खेती होती है । जिन स्थानो में बन्धीयाँ बनी हुई है उनके निचले भागो में व्यापक रूप में खेती की जाती है क्योंकि वर्षा प्रदेश के अन्य भागो से कम है और ऊँसर भूमि होने के कारण खेती के लिये सुविधा भी कम मिल पाती है । इस प्रकार से बुन्देलखंड क्षेत्र की धन सम्पत्ति भी अन्य स्थानो से पिछड़ी हुई है और यहाँ के निवासियो को क्षेत्र के सीमित साधनो पर निर्भर होना पड़ता है । बुन्देलखंड में मानवीय व प्राकृतिक शक्तियाँ

अधिक मात्रा में उपलब्ध है, परन्तु व्यापक रूप से उनको खोदने का प्रयास नहीं किया गया और निवासियों ने अपने जीविका की आवश्यकता के आधार पर ही इनसे सहायता ली है । प्राचीन समय से इस क्षेत्र के विकास के लिये शासन की उदासीनता रही है और इस अनन्त भण्डार का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाया । बुन्देलखंड में जो कुछ समय पूर्व खनिज सम्बन्धी खोज की गई है उससे भी पता चलता है कि अधिक मात्रा में खनिज भण्डार इस क्षेत्र में उपलब्ध है इस प्रकार से औद्योगिक क्षेत्र के लिए भी बुन्देलखंड एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बनाया जा सकता है ।

जालौन बाँदा में विशेषकर व झाँसी ललितपुर व हमीरपुर में कृषि उत्पादन में महत्व पूर्ण प्रगति स्वतन्त्रता के बाद की गई है और इन भागों में विभिन्न सिंचाई योजनाओं के निर्माण करने के पश्चात मानवीय साधन जुटा कर बुन्देलखंड ने विभिन्न उपलब्धियां की है।सातवीं योजना के अन्त तक आशा की जाती है कि यह क्षेत्र औद्योगीकरण की एक नई दिशा ले सकेगा और क्षेत्र के वाणिज्य विकास में बहुत सहायता मिलेगी इसके पश्चात भी बुन्देलखंड का आधे से अधिक भाग बेसहारे पड़ा हुआ है और पहाड़ी व बंजर स्थान निरर्थक भूमि के रूप में छोड़ दिये गये है । प्रशासन की नीति व स्थानीय निवासियों की क्षमता पर इस क्षेत्र का आर्थिक विकास बहुत कुछ कम है । निरर्थक भूमि सम्बन्धी योजनाओं का

निर्माण करके क्षेत्र को एक अनोखा रूप दिया जा सकता है, जिससे आर्थिक प्रगति से निवासियों का विश्वास जागृत हो सके और निरर्थक व पिछड़ी भूमि उनकी जीविका का सहारा बन सके । प्राचीन इतिहास से पता चलता है कि बुन्देलखंड की तीन चौथाई निरर्थक भूमि इस क्षेत्र के लिये एक आर्थिक कलंक बनी हुई थी और यहाँ के निवासियों को बेसहारा कर दिया था । आधुनिक युग की तकनीकि से निरर्थक भूमि उपजाऊ भूमि से अधिक उपयोगी बनाई जा सकती है और मानव शक्ति का सम्बन्ध निरर्थक भूमि से अधिक मात्रा में जोड़ा जा सकता है, इस का प्रयास इस शोध में किया गया है और जिससे यह सिद्ध होता है कि बुन्देलखंड की निरर्थक भूमि इस क्षेत्र के लिये एक अनोखी प्राकृतिक देन है जिससे बुन्देलखंड को निरर्थक भूमि से एक नया मार्ग दर्शन मिल सके ।

बुन्देलखंड के जो भाग निरर्थक भूमि के रूप में पड़े हुये है, उनमें अब तक मनमाने ढंग से कोई भी व्यक्ति इस भूमि को नजूल भूमि समझ कर मुफ्त में लाभ लेने का प्रयास करता है, यहाँ तक की पशु-पक्षी अपने ढंग से इस बंजर भूमि में भ्रमण करते रहते है इस प्रकार से इस भूमि की प्रारम्भ से ही कोई आर्थिक उपयोगिता नही रही है और इस क्षेत्र के जैसे- जैसे साधन बढ़ते जाते है, वे निरर्थक भूमि उनके कब्जा में आती

जाती है । इस प्रकार का तुलनायोग निरर्थक भूमि का बहुत अनुचित है ।

इस शोध में वैज्ञानिक व तकनीकि ढंग से निरर्थक भूमि के प्रयोग की समीक्षा की गई है और इसकी आर्थिक व सामाजिक क्षमता का सही दिशा में विचार करके क्षेत्र के निवासियों के लिये योजना प्रस्तुत की गई है जिसका आधार उत्पादकता बढ़ाना है ।

-----:0:-----

F- Bundelkhand:-

A- Land or abundance for economic survival or social annihilation:-

उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र बुन्देलखंड ऐसा है जिसमें अधिकांश भूमि अनुपयोगी पडी हुई है और यो प्रशासन व निवासियो के लिये एक चुनौती है कि इस भूमि का अधिकतम उपयोगलेके किया जाये या इस भूमि को बेकार समझ कर छोड दिया जायेऔर स्थानीय निवासियो का आर्थिक संकट बढने दिया जाये । पहले समय से ही बुन्देलखंड क्षेत्र के जो अच्छे उपयोगी भाग है उनको सरल समझ करके प्रशासन ने अपनी योजनाए कार्यान्वित करी और यहाँ के निवासियो को सरल काम करने की आदत सी बन गई यही इस क्षेत्र का आर्थिक इतिहास है । अधिक परिश्रम का ना तो अवसर मिला ना अधिक परिश्रम की रुचि बनी । बुन्देलखंड के आर्थिक कठिनाइयो का यह सबसे दुःखदपूर्ण कारण रहा है ।

बुन्देलखंड में प्राकृतिक साधनो की किसी प्रकार से कमी नही है और समझाने ढंग से इन साधनो का प्रयोग किया जाता रहा है । इस सम्बन्ध में प्रशासन की कोई निर्धारित नीति ना होने के कारण आर्थिक उपलब्धियाँ अन्य क्षेत्रो के अनुसार बहुत कम है । इस क्षेत्र की निर्धनता व

बेसहारा निरर्थक भूमि का सहारा थे पर, प्रशासन की उदासीनता अंग्रेजी शासन के समय से रही है और यहाँ के निवासियों की जीविका केवल जीवित रहने की सीमा के अनुसार ही चलती रही है। यही एक सन्तोष पूर्ण स्थिति है कि विपरीत परिस्थितियों के होने के पश्चात भी यहाँ के निवासी आज भी अपना आर्थिक अस्तित्व सम्भाले हुये है और भविष्य की किसी चुनौती का सामना करने के लिये तत्पर है। इन परिस्थितियों के कारण बुन्देलखंड के आर्थिक व सामाजिक विकास के लिये प्रशासन चिन्तित होने लगा है और विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत इस क्षेत्र के विकास के लिये प्रयास किये जाते रहे हैं। बुन्देलखंड की भूमि के आधार के अन्तर्गत आर्थिक व सामाजिक उपलब्धियाँ अन्य प्रदेश के क्षेत्रों के अनुसार निश्चित हो जाना आवश्यक हो जाता है। इस आर्थिक दौड़ में सभी वर्गों का योगदान प्राप्त करना होगा व सभी वर्गों द्वारा प्रयास करने के लिये जुट जाना होगा। इस क्षेत्र को किसी भी प्रकार से सरल साकर अनुदान की आवश्यकता नही है और क्षेत्र की ऐसी अपनी शक्ति व मनोबल है कि अगर अवसर प्राप्त हो तो वो अपनी अर्थव्यवस्था को सुरक्षित करने के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों से अधिक मात्रा में आर्थिक उपलब्धियाँ प्राप्त कर सकते है और स्वयं संचालन प्रणाली इस क्षेत्र के लिये स्थापित कर सकते है।

बुन्देलखंड मण्डल का क्षेत्रफल 29450 वर्ग कि.मी. है जो कि प्रदेश के अन्य मण्डलों की तुलना में अधिक है । बुन्देलखंड के क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल केवल 9% है ।

बुन्देलखंड के वन मध्य प्रदेश से मिले हुए है तथा विंध्याचल पहाड के किनारे है । भूमि के नीचे की चट्टाने विंध्याचल पर्वत के प्रकार का सेन्ड स्टोन और शेल है । मिट्टी की परत पथरीली व कम गहराई वाली है । यहाँ अत्यधिक गर्मी एवं सर्दी ऋतु में कम सर्दी होती है व थोडे समय के लिये अधिक ठण्डा पडता है । गर्मी के दिनों में अनेक किस्मों के छोटे-छोटे पेड पाये जाते है । इस क्षेत्र में यमुना, केन, धसान और पहुंज तथा उनकी सहायक नदियों के किनारे लगभग 6.0 कि.मी. भूमि खाली रेतीली वाली है । यहाँ छोटे पेड तथा कटीली झाडियों के अलावा कोई और वनस्पति नहीं पायी जाती ।

इस प्रदेश में विभिन्न प्रकार के वनों का वर्गीकरण इस प्रकार है :----

1- विभिन्न प्रजातियों के चौडे पत्तों वाले वन	1385.89 वर्ग कि.मी.
2- निम्न कोटि के टीक सागौन वाले वन	165.65 वर्ग कि.मी.
3- खाली वाली भूमि तथा अन्य वनस्पति सहित भूमि	42.96 वर्ग कि.मी.
4- अन्यवन	- - -

वन क्षेत्रों का जनपदवार विवरण निम्न प्रकार से है :-

1- झाँसी	325.44	वर्ग कि. मी.
2- ललितपुर	669.95	वर्ग कि. मी.
3- जालौन	257.31	वर्ग कि. मी.
4- हमीरपुर	373.18	वर्ग कि. मी.
5- बाँदा	777.31	वर्ग कि. मी.

झाँसी जनपद के जंगलों में बबूल, महुआ, तेन्दू, सलाई तथा ढाक बहुत पाये जाते है । तेन्दू की पत्ती का प्रयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है यहाँ के जंगलों में खाकी भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है । जंगल के क्षेत्र का 50 % से अधिक भाग ईंधन की लकडी वाले वृक्षों का है ।

जनपद ललितपुर में वनों से प्रमुख उत्पादन जलाऊ लकड़ी के वृक्ष है जैसे कधई, खैर, बबूल, ढाक आदि है । इमारती लकडी के वृक्ष कम है । यह शीशम, सागू, साल, नीम एवं आम के वृक्ष है । यहाँ के वनों में घास बांस तेन्दू की पत्ती, चिरौंजी तथा कत्थे का व्यापक महत्व है। इनके अलावा इस जनपद के वनों में आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ भी पाई जाती है ।

जनपद जालौन में केवल बबूल, बेर एवं झाड़ियाँ ही पाई जाती है ।

जनपद बाँदा के खादर क्षेत्र में बबूल तथा काँटेदार झाड़ियाँ पायी जाती है, जिनमें करौंदा करील घरबेला, महुआ, कुंगार तथा महजन आदि है । काबर मिट्टी में ढाक अधिक होता है । शाक के पेड़ कैरून तहसील में अधिक पाये जाते हैं । पाठा क्षेत्र में ढाक, तेंदू, चिरौंजी हर , साज, तिनसर, जामुनी, खैर तथा बाँस के जंगल पाये जाते हैं ।

बुन्देलखंड क्षेत्र में वन विभाग के अन्तर्गत पड़ने वाले क्षेत्र विभिन्न प्रभागों में इस प्रकार है :--

वन प्रभाग	जिला	आरक्षित	अन्य वन	योग वर्ग कि॰मी॰
1-बाँदा वन प्रभाग	बाँदा	396•63	310•33	706•95
	हम्मीरपुर	87•39	256•93	344•32
2-बुन्देलखंड भूमि संरक्षण वन प्रभाग उरई	हम्मीरपुर	11•81	35•14	46•95
	जालौन	102•87	162•67	265•74
3- बुन्देलखंड वन प्रभाग	झाँसी	750•86	211•89	970•75
योग		1349•56	976•96	2334•71

खाद्यान उत्पादन

कृषि जन्य देश की आर्थिक-सम्पन्नता के मापदन्डों में खाद्यान के क्षेत्र में उसकी आत्मनिर्भरता एक प्रमुख मापदण्ड है । इस प्रदेश की पूर्ति हेतु विगत पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि विकास पर निरन्तर बल दिया जाता रहा है । समय समय पर खाद्यान्न के उत्पादन मे वृद्धि लाने के लिये एवं आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिये सुनियोजित प्रयास तथा अभियान

चलाये जाते रहे है तथा वर्तमान समय में कृषि उत्पादन में प्राप्त उपलब्धियाँ इन प्रयासो का ही फल है । बुन्देलखंड में खाद्यान्न उत्पादन में विभिन्न वर्षों के आँकडे निम्न तालिका में दिये गये हैं ।

<u>खाद्यान्न उत्पादन । मी. टन. में ।</u>

वर्ष	झाँसी	ललितपुर	जालौन	हमीरपुर	बाँदा	मंडल
1976-77	246657	143349	294445	326027	344679	1355147
1977-78	234045	133024	309828	373139	483101	1533137
1978-79	206566	143387	31734	379331	50550	1556568
1079-80	117556	90881	203557	167010	21025	700029
1980-81	240815	128506	335268	423221	474398	1602008

मण्डल के विभिन्न जनपदो तथा मण्डल के खाद्यान्न उत्पादन में वर्ष 1976-77 में सामान्य वृद्धि हुई है लेकिन वर्ष 1979-80 में मण्डल के सूखे के भीषण प्रकोप के कारण इस वर्ष में खाद्यान्न उत्पादन मेंकाफी कमी हुई लेकिन वर्ष 1980-81 में उल्लेखनीय वृद्धि हुई ।

0
---=:0:=---
0

CHAPTER :- (II).

CHAPTER – II

WILD LAND HOME

A– Habital and wild land:–

मानव या जीव जन्तु जब से इस संसार में जन्म लेते हैं, उन्हे किसी ना किसी संरक्षण की आवश्यकता होती है । वो संरक्षण किसी भी रूप में हो चाहे तो माँ की गोद के रूप में या प्रकृति की गोद के रूप में । जीवन का ये नियम है कि प्रारम्भिक अवस्था में बालक को संरक्षण की आवश्यकता होती है, क्योंकि उस समय उसमें ज्ञान की कमी होती है और उस कमी को वो अपने संरक्षक के माध्यम से पूरा करता है, चाहे तो वो संरक्षण माँ की गोद में मिले या प्राकृति के माध्यम से मिले। जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रकृति एवं मानव में एक अटूट सम्बन्ध है । परोक्ष या अपरोक्ष रूप से दोनो एक दूसरे से जुड़े रहते है । बालाकाल में जब बालक में ज्ञान कम होता है तो प्रकृति उसे अपना पलना देकर उसके स्वभाव को अपने अनुरूप ढाल देती है ।

यह सत्य है कि बालक को जन्म तो माँ की गोद में मिलता है

परन्तु साथ-साथ प्रकृति भी मानव के विकास के लिये अत्यन्त आवश्यक है, क्यों कि माँ केवल बालक को जन्म देती है, उसे ममता एवं स्नेह देती है परन्तु उसके साथ साथ बालक के व्यक्तित्व के विकास के लिये अन्य चीज भी आवश्यक है जैसे धूप, हवा, पानी व अन्य प्रकृति सम्पदा आदि और यह चीजें केवल प्रकृति की सहायता से ही उपलब्ध हो सकती है । बालक के सर्वांगीण विकास के लिये अथवा उसके सम्पूर्ण व्यक्तित्व के लिये दोनो ही चीजों की आवश्यकता होती है, माँ की गोद की भी व प्रकृति की भी । दोनो का अपना अपना महत्व एवं स्थान है, दोनो एक दूसरे के पूरक है शत्रु नहीं । माँ की ममता के बिना व्यक्ति अधूरा है और प्रकृति की सहायता के बिना भी वह कुछ नहीं कर सकता है।एक दूसरे का समान्वेजस एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करता है, अतः प्रकृति मानव एवं जीव जन्तु के जीवन की प्रत्येक अवस्था के लिये आवश्यक होती है और मानव जीवन भर प्रकृतिक शक्तियों को ग्रहण करता रहता है । प्रकृति की सहायता मानव के लिये बहुत बड़ा वरदान है, जितनी उसे जीवन की प्रत्येक सीढ़ी पर आवश्यकता पड़ती है, परन्तु मानव का जीवन व विकास उस समय समाप्त हो जाता है जब कि प्रकृतिक शक्ति का कोई अंश उस तक ना पहुंचे क्यों कि प्रत्येक अंश एक दूसरे से इतने सम्बन्धित होते है कि एक के बिना दूसरा अधूरा होता है. एक भी अंश

की कमी पूरी व्यवस्था को गड़बड़ कर देती है । यह सत्य है कि माँ तो केवल जन्म देती है परन्तु बालिका के लालन पालन एवं विकास के लिये प्रकृति ही सहायक होती है प्राकृतिक वातावरण के अनुरूप ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है ।

जैसे जैसे बालक माँ की गोद एवं प्रकृति की सहायता से बढ़ता जाता है उसमें ज्ञान की वृद्धि होती जाती है और वो अपने आस पास के वातावरण को समझने लगता हैऔर बहुत सी चीजों में अपने ज्ञान के अनुरूप परिवर्तन करना चाहता है जिसका परिणाम ये होता है कि वो प्रकृति के सहारे को भूल कर नये समाज, नये नियम व नये कानून की व्यवस्था करता है और क्रमशः आत्मनिर्भर होने लगता है । कल तक मानव के व्यक्तित्व में प्रकृति प्रथम होती थी ज्ञान का स्थान गौण होता था, परन्तु ज्ञान वृद्धि के पश्चात मानव के व्यक्तित्व में धीरे धीरे प्रकृति का स्थान गौण हो जाता है व ज्ञान प्रमुख हो जाता है व फिर धीरे-धीरे एक स्थिति वो आ जाती है कि मानव प्रकृति की सहायता एवं आशीर्वाद को भूलने लगता है। ज्ञान वृद्धि एवंआत्मनिर्भरता एक अच्छी चीज है किन्तु उसको अत्यधिक श्रेष्ठ समझ कर प्राकृतिक सहारे को भूल जाना ठीक नहीं है क्यों कि यह सत्य है कि व्यक्ति बिना प्राकृतिक सहारे के जीवित नहीं रह सकता है । व्यक्ति अपने ज्ञान द्वारा एवं ज्ञान से निर्मित नियमों द्वारा अपने जीवन निर्वाह

की जिम्मेदारियां तो लेने लगता है व प्रकृति को उपेक्षित करने लगता है किन्तु प्रकृति मानव को उपेक्षित नही कर पाती है, वो सदैव किसी ना किसी रूप में मानव के लिये सहायक होती रहतीहै । आज जब कि मानव अपने ज्ञान के व्दारा उन्नति की चरम सीमा पर है, आज जब कि मानव के लिये जीवन संघर्ष है और वो उस संघर्ष से थक जाता है और कुछ नये की तलाश करता है जिससे कि वो अपनी खोई हुई कार्य क्षमता एवं शक्ति को अर्जित कर सके तो मानव सदैव प्रकृति की गोद में ही शरण लेता है और प्रकृति अपने प्राकृतिक नियमों एवं वरदान केद्वारा मानव की सहायता करती है जिससे कि वो अपनी खोई हुई शक्ति को पुनः अर्जित कर सकें ।

उपरोक्त बातों से सिद्ध होता हैकि मानव जन्म से मृत्यु तक तीन स्थितियों से गुजरता है व संरक्षण प्राप्त करता हैं । उसका पालन सर्व प्रथम माँ का गर्भ होता है फिर प्रकृति का गर्भ तत्पश्चात ज्ञान की वृद्धि हो जाने पर उसका पालन ज्ञान का गर्भ हो जाता है, वो ज्ञान के माध्यम से अपने जीवन को सन्तुलित करता है । यही जीवन का नियम है कि मानव धीरे-धीरे प्रत्येक स्थिति से गुजरे, परन्तु इसका तात्पर्य यह नही होता कि ज्ञान वृद्धि होने पर मानव अन्य सब सहारों को भूल जाये । मानव अपने ज्ञान के माध्यम से कितने ही नये नियम व कानून बनाले किन्तु उसके प्राकृतिक वातावरण का भूमि से गहरा सम्बन्ध होता है वो सदैव

रहता है, जो चाहे तो परोक्ष रूप से रहे या अपरोक्ष रूप से रहे । इसी सम्बन्ध में मानव का विकास शक्ति एवं कार्यक्षमता निहित है। ज्ञान की वृद्धि से मानव जीवन में नये नये विकास करता है व प्रकृति की सहायता से वो अपनी कार्यक्षमता अर्जित करता है और ये दोनों ही तीनों मानव के विकास एवं सम्पूर्ण व्यक्तित्व के लिये आवश्यक है । अतः मानव के पास रूप एवं निरर्थक भूमि में प्रगाढ़ सम्बन्ध होता है । दोनों का ही महत्व एक दूसरे के लिये आवश्यक है और एक दूसरे की सहायता से जिस व्यक्तित्व का विकास होता है वही एक सम्पूर्ण व्यक्तित्व होता है ।

यह बात स्पष्ट हो जाती है कि मानव एवं निरर्थक भूमि का घनिष्ट सम्बन्ध होता है । मानव के व्यक्तित्व निर्माण में उसकी कार्य क्षमता वृद्धि में सभी ने निरर्थक भूमि का गहरा योगदान है । किसी सीमा पर मानव अपने ज्ञान से प्रकृति को भूल जाता है पर प्रकृति अपने सम्बन्धों को कभी नहीं भूलती और कभी ना कभी अपने अस्तित्व की याद दिला देती है । प्रकृति एवं मानव जीवन का कितना गहरा सम्बन्ध होता है । यह इसी बात से स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्ति जिस देश एवं स्थान पर जन्म लेता है उस स्थान का व्यक्ति के व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव पड़ता है । मातृभूमि एवं जन्म भूमि की स्पष्ट एवं गहरी छाप उसके व्यक्तित्व पर दिखाई पड़ती है और ये छाप जाने अनजाने किसी भी रूप में दिख-

लाई पड सकती है । जब जन्म भूमि का व्यक्ति पर गहरा प्रभाव पड सकता है तो निरर्थक भूमि का भी व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव पड सकता है । सभी आयु के छोटे बालक भूमि व उसकी मिट्टी से आकर्षित होते है और वो समय समय पर मिट्टी को चुरा कर खाने का प्रयास करते हैं जब कि उस रूप से किसी अन्य चीज को वो नहीं खाते हैं । सभी देशों व क्षेत्रों में छोटी आयु के बालक मिट्टी से खेलना पसन्द करते हैं और उसी प्राकृतिक वातावरण में पलते रहते है । ये भी एक प्राकृतिक देन है और अनजाने में वो भूमि की मिट्टी के समीप रहना चाहते है जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ती है और कुछ ज्ञान आने लगता है तो वो अपनी उस प्राकृतिक आदत को छोडने लगते हैं इससे व्यक्ति का प्रकृति से सम्बन्ध सिद्ध होता है ।

जैसे जैसे शिशु बालक बनता है व बालक युवक का रूप धारण करता है उसमें ज्ञान की वृद्धि होती है और वे नये नियम व समाज व नये कानून की व्यवस्था करता है और धीरे धीरे प्राकृतिकवाद से हट कर भौतिक वाद में प्रवेश करता है और उन्नति के नये नये साधन खोजता है। उन्नति एक अच्छी चीज है और इसी से हमारे देश एवं समाज की उन्नति निहित है । बिना ज्ञान वृद्धि के केवल प्राकृतिक सहारे लेकर अपने देश एवं समाज का विकास नहीं कर सकते है पर इस बात से भी इन्कार नहीं कर सकते है कि हम कितना ही विकास क्यों ना कर ले किसी [illegible]

ओर क्यों न चले जाये पर उसी उन्नति एवं विकास को और अच्छा बनाने के लिये हमें प्रकृति की शरण में जाना ही पड़ता है । प्रकृति से मानव का जन्म से लेकर मृत्यु तक का गहरा सम्बन्ध है । जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रकृति मानव के विकास में निरन्तर सहायक होती है । मानव भौतिकता में जो कुछ भी देता है वो प्रकृति से पूरा कर लेता है । जब मानव भौतिकता से थक जाता है और उसमें काम करने की क्षमता कम हो जाती है तो वो प्रकृति की शरण में जाता है और जब उसे अपनी खोई हुई प्राकृतिक शक्तियाँ प्राप्त हो जाती है तो पुनः वो कार्य करने के योग्य हो जाता है । ये एक प्राकृतिक नियम है कि प्राकृतिक शक्तियाँ जो भरपूर रूप से मानव के लिये उपलब्ध होती रहती है वो फिर एक समय के बाद प्रकृति में आकर लीन हो जाती है और ये चक्र प्रकृति व मानव का सदा चलता रहता है ।

भौतिकवाद में एक ऐसी सीमा आ जाती है जब कि प्राकृतिक शक्तियों का अभाव होने लगता है । जिसके कारण व्यक्ति की क्षमता एक रूप से कम होने लगती हैऔर उसको पूरा करने के लिये निरर्थक भूमि ही एक मात्र विकल्प बचता है जिसमें सम्पूर्ण प्राकृतिक संपत्ति अभी भी शुद्ध एवं पवित्र रूप में बची हुई है और उसको ग्रहण करने के लिये कोई भी व्यक्ति पुनः उस निरर्थक भूमि कीगोद में आ सकता है । ये आदिकाल से नियम है

कि हम जो प्रकृति से प्राप्त करते है वो उसे फिर वापिस दे देते है जैसे हम प्रकृति से अनाज प्राप्त करते है से फिर एक प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात उसे खाद के रूप में वापिस दे देते है । यह नियम मानव की समस्त शक्तियों पर भी लागू होता है । ऐसी अवस्था में शुद्ध भूमि ही एक मात्र ऐसा विकल्प है, जिससे हम प्राकृतिक अंश ग्रहणकर सकते है । इसी लिये प्रत्येक मानव को चाहिये कि वो अपने जीवन में निरर्थक भूमि से सम्बन्ध बनाए रखें जिससे उसकी कार्यक्षमता में वृद्धि हो सके । निरर्थक भूमि सदैव उस अनन्त प्राकृतिक शक्तियों की याद दिलाती है जिसके माध्यम से सम्पूर्ण राष्ट्र आर्थिक लाभ उठा सके । क्यो कि किसी भी देश की आर्थिक लाभ तभी प्राप्त हो सकता है जब कि वो उन्नति के मार्ग पर अग्रसरित हो और उन्नति तभी सम्भव है जब कि व्यक्ति में कार्यक्षमता एवं शक्ति होऔर ये समस्त बातें तभी सम्भव है जब कि हम निरर्थक भूमि से सम्बन्ध रखें और भौतिकता से उत्पन्न हुऐ अभाव को पूरा करते रहे । यही कारण है कि आज प्रत्येक समाज ये चाहता है कि उसके निवासी का निरर्थक भूमि से सम्बन्ध जुड़ा रहे और प्रत्येक व्यक्ति को इसका अवसर मिले कि वो अपने व्यक्तित्व को ऐसा बना सके कि उसकी योग्यता एवं कार्य क्षमता में वृद्धि हो और उसके द्वारा सम्पूर्ण समाज को एक नये प्रकाश का अनुभव हो जो कि प्रकृति एवं भौतिक वाद का एक अनोखा सम्मिश्रण हो ।

आज जब कि जीवन एक संघर्ष है यह अत्यन्त आवश्यक है कि मानव संघर्ष में ना डूब जाये और उसको अपने प्रति अविश्वास ना हो जाये तो अगर व्यक्ति का सम्बन्ध निरर्थक भूमि से बना रहेगा तो वो किसी भी प्रकार की क्षति का सामना कर सकेगा और समाज केलिये अत्यन्त लाभदायक होगा । निरर्थक भूमि से सम्बन्ध का व्यक्ति के जीवन पर वही प्रभाव पड़ता है जो कि व्यक्ति के जीवन में माँ के दुलार का होता है, जैसे माँ का दुलार ही व्यक्ति को निरन्तर विश्वास के रूप में सहारा देता है और उसी प्रेरणा से व्यक्ति काम करता है, वैसे ही जो भी व्यक्ति के शक्ति में क्षीण होतीहै वो केवल निरर्थक भूमि से ही पूरी की जा सकती है।

इस प्रकार ये सिद्ध होता है कि व्यक्ति की क्षमता के लिये माँ का स्थान एवं निरर्थक भूमि दोनो ही एक दूसरे के पूरक हैं ।

-----:0:-----

B- Urban and rural land concentration:-

सम्पूर्ण जन संख्या आवश्यकतानुसार विभिन्न भागो में बसने लगती है और उसी के अनुसार नगर व ग्रामीण बस्तियाँ बन जाती है । इस प्रकार जिन जिन भागो में जनसंख्या बसने लगती है वही पर वो अपना जीवन निर्वाह करने लगती है और अधिकतम आमदनी पाने के लिये विभिन्न प्रकार के रोजगारो में लग जाती है। प्राचीन समय से ही इस प्रकार से सम्पूर्ण जन संख्या का वर्गीकरण होता रहा है और उसी के आधार पर क्षेत्र की आर्थिक क्षमताए बन जातीहै और जीवन निर्वाह का आधार हो जातीहै परन्तु शासन सदाय का प्रयास करता है कि जहाँ पर जो भी जन संख्या रहती है वहाँ पर विभिन्न प्रकार की आर्थिक सहायता मिल सके और रोजगार उसी के अनुसार चल सकें, पर ये देखा गया है कि जनसंख्या किसी भी भाग में केन्द्रित नही रहती है और उसका प्रव्रजन होता रहता है । एक सीमा ऐसी आ जाती है जब कि स्थायी रूप से नगरीय व ग्रामीण जनसंख्या केन्द्रित होने लगती है और उसी के आधार पर विभिन्न कार्य विधियाँ व्यक्तियों व शासन के द्वारा चलाई जाती है, जिससे अधिकतम आमदनी वहाँ के निवासियों को प्राप्त होती रहे और रोजगार चलते रहें।

किसी भी क्षेत्र में विभिन्न उद्योगों की स्थापना, कृषि उत्पादन व अनेक प्रकार के सम्बन्धित उद्योग इसके ही आधार पर स्थापित होते है और सम्पूर्ण समाज उसके ही अनुसार जीवन निर्वाह करता रहता है ।

किसी भी जन संख्या की प्रारम्भिक स्थिति एक ग्राम होती है और प्रत्येक मानव ग्राम का ही वासी होता है और प्रव्रजन द्वारा ही वो नगर में जाकर बस जाता है । कोई भी व्यक्ति चाहे तो ग्रामीण हो या नगर का वासी हो उसका अस्तित्व प्राकृतिक शक्तियों से जुड़ा हुआ है। नगरो में रहने से या ग्रामीण जीवन व्यतीत करने से व्यक्ति का सम्पर्क किसी न किसी रूप में प्रकृति से कम होता जाता है । अगर कोई ऐसी व्यवस्था की जाये जिससे नगर में रहने वाले या ग्राम में रहने वाले निरर्थक भूमि से अपना सम्बन्ध जोड़ सके तो उस प्राकृतिक गोद से सभी व्यक्तियों को आन्तरिक शक्ति की कोई ऐसी विभूति प्राप्त हो सकती है, जिससे उसकी कार्य क्षमता बढ़ती जाये । प्रत्येक समाज के निवासी जो भी अपने अतिरिक्त समय का उपयोग करते है वो उनके लिये उत्पादकीय अवश्य होना चाहिये । लेकिन अगर समाज के सभी व्यक्ति अपने अपने प्रयास से अतिरिक्त समय का उपयोग करते रहेंगे तो अधिक सम्भावना इस बात की है कि प्रत्येक व्यक्ति का हित एक दूसरे से विपरीत हो जाये और हो सकता है कि उन में से एक के लिये उत्पादकीय व अन्य के लिये अनुत्पादकीय स्थिति बनादे

और अतिरिक्त समय का उपयोग कम हो जाये व दुरुपयोग अधिक हो जाये । समाज में प्रत्येक व्यक्ति के पास अतिरिक्त समय अवश्य होता है, आवश्यकता इस बात की है कि समाज के सभी वर्गों को अपने अतिरिक्त समय का समान रूप से उपयोग करने का अगर अवसर मिलेगा तो एक दूसरे के हित सुरक्षित रहेंगे । जीवन के संघर्ष में इस बात की आवश्यकता हो जाती है कि अधिकतम आर्थिक लाभ उठाने के लिये प्रत्येक व्यक्ति अधिकतम उपलब्धियों के लिये सक्षम हो ।

जो भी समाज के वर्ग आज नगरों में व ग्रामों में बसे हुये है उनके लिये कोई ऐसी योजना होनी चाहिये जिससे दोनों वर्गों का मिलन हो सके । निरर्थक भूमि ही केवल ऐसा आधार हो सकती है जिससे नगरीय व ग्रामीण वर्ग सामूहिक रूप से अपने अतिरिक्त समय को निरर्थक भूमि की शरण में व्यतीत कर सके । निरर्थक भूमि की रूपरेखा ऐसी बना देनी चाहिये जिससे प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्य रूप से स्वतन्त्रता इस बात की हो कि वो अपना अपना अतिरिक्त समय निरर्थक भूमि में व्यतीत कर सके और प्राकृतिक मनोरंजन पाने से ना केवल ग्रामीण व नगरों के निवासियों की भावनायें एकत्रित हो परन्तु उनके साथ में सभी वर्गों की कार्यक्षमतायें बढ़ती रहे । संसार के विभिन्न देशों में अनिवार्य रूप से निरर्थक भूमि का व्यक्ति के जीवन में उतना ही योगदान है जितना कि आधुनिक मशीन या तकनीकी का ही [illegible] है इस प्रकार से निरर्थक भूमि की [illegible]

करने की आवश्यकता हो जाती है, जिससे कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति स्वतन्त्र रूप से निरर्थक भूमि की अपार सफलता व अनन्त शक्तियों में प्रवेश कर सके और कुछ समय के लिये जीवन के संघर्ष को भूल जायें ।

सम्पूर्ण जन संख्या धीरे धीरे ग्रामीण समाज व शहरी समाज में बढ़ती जाती है और फिर कुछ समय के पश्चात एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि दोनो परिवार एक होते हुये भी एक दूसरे से दूर हो जाते है और उनके बीच एक खाई बन जातीहै। दोनो समाजो के बीच ऐसा कोई माध्यम नही होता जिसके द्वारा वो एक दूसरे के समीप आ सके । जैसे ग्रामीण जीवन के लिये यह आवश्यक है कि उनका नगर के समाज से सम्पर्क बना रहे उसी प्रकार नगर के समाज के लिये ये आवश्यक है कि वो ग्रामीण समाज से अपने सम्बन्ध को ना भूले । बहुत सी बाते ऐसी है जो केवल ग्रामीण समाज के माध्यम से ही सम्बन्धित है जैसे कच्चा माल हमे ग्राम्य जीवन से ही प्राप्त होता है परन्तु उसका रूप परिवर्तन एवं नये नये विकास शहरी समाज द्वारा ही सम्भव है । अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि ग्रामीण एवं शहरी समाज एक दूसरे से सम्बन्धित है । दोनो को देश की उन्नति के लिये एक दूसरे से सम्पर्क रखना अत्यन्त आवश्यक है। अतः दोनो समाज राष्ट्र हित के स्रोत है। कोई ऐसा माध्यम तलाश करना होगा जो कि दोनो को मिलाए ही नही अपितु आर्थिक प्रगति में भी सहायक हो । निरर्थक भूमि ग्रामीण

क्षेत्रों में ही नहीं होती परन्तु विभिन्न नगरों के समीप भी पाई जाती है निरर्थक भूमि ही एक भाग ऐसा स्त्रोत है जिसके माध्यम से दोनों समाज एक दूसरे के समीप आ सकते हैं । निरर्थक भूमि को एक ऐसा स्त्रोत बनाया जा सकता है, जो कि दोनों विपरीत समाजों को आकर्षित करे । इस प्रकार की व्यवस्था आज कल के समाज में महत्वपूर्ण होती जा रही है ।

बुन्देलखंड उत्तर प्रदेश का एक ऐसा भाग है जहां पर निरर्थक भूमि विपुल मात्रा में उपलब्ध है । बुन्देलखंड के जो भाग है वहाँ पर भी अन्य स्थानों की तरह ग्रामीण व नगरीय भागों में जन संख्या केन्द्रित है ।

---:0:---

6- Economic usefulness of neglacted land:-

प्रकृति ने सभी प्रकार की भूमि उपलब्ध की है । जब मानव समाज की वृद्धि होती है तो धरती के विभिन्न भागों को मानव समेटता जाता है और किसी ना किसी प्रकार से बसने लगता है । इसके ही आधार पर ग्राम व नगर बसते जाते हैं । प्रकृति ने धरती मानव के लिये उपलब्ध की है, परन्तु मानव को ये निर्णय लेना पड़ता है कि किस भूमि को वो अपने पास रखे । इतने बड़े विश्व में अलग अलग रूप से भूमि को उपयोग में लाया जाता है । मानव के कुछ निर्णयों में प्रकृति को कुछ नहीं कहना है ये अधिकार मानव पर छोड़ दिया गया है और इससे ये सिद्ध होता है कि प्रकृति के उपहार का अपार भंडार उपलब्ध है और व्यक्ति उसको स्वतन्त्रता पूर्वक उपयोग में ला सकता है । प्रकृति की सभी देन समान व सर्व शक्तिमान है । भूमि के लिये भी यही बात सत्य है और व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा के अनुसार भूमि को अपने नजदीक लाता रहता है और उससे आर्थिक लाभ लेने लगता है । इसका तात्पर्य ये नहीं हो जाता है कि छोड़ी हुई उपेक्षित भूमि व्यक्ति के लिये व्यर्थ है, परन्तु इससे ये सिद्ध होता है कि उपेक्षित भूमि वही है जो कि व्यक्ति की क्षमता के बाहर हो या व्यक्ति किसी कारण वश उसको उपयोग में ना

लाभ । निरर्थक भूमि भी सृष्टि की रचना है जैसे मानव व सभी सृष्टि की रचना का सम्बन्ध मानव की प्रगति से होता है । ये मनुष्य की क्षमता पर निर्भर है कि वो किस प्रकार से निरर्थक भूमि से अधिकतम आर्थिक लाभ प्राप्त कर सके । उपेक्षित भूमि अगर किसी भाग में होती है तो उससे मानव को क्षमता की कमी का अनुभव होता है और इससे ये पता चलता है कि मानव अपेक्षित ऐसी भूमि से अपनी अज्ञानता के कारण कोई लाभ नहीं ले सकी है । कोई व्यक्ति जैसे अपने घर में रखी चीज भूल जाता हैऔर समय आने पर उसे ढूंढता है और उसके अभाव का उसे अनुभव होने लगता है, इसी प्रकार से उपेक्षित भूमि भी वो भूली हुई प्राकृतिक सम्पत्ति है जिसका ज्ञान तो व्यक्ति को अवश्य है परन्तु वो उस के महत्व का अनुभव नहीं कर पाता है और जिसके कारण उसका आर्थिक प्रयास अपूर्ण रह जाता है । सृष्टि ने जो भी रचना की है उसका प्रत्येक मानव से सम्बन्ध होता है और इतने बड़े ज्ञान के भण्डार में व्यक्ति अज्ञान बना रहता है यही ज्ञान व अज्ञान का अन्तर है । मानव की कार्यकुशलता इस बात पर निर्भर होती है कि वो किस प्रकार से प्राकृतिक वस्तुओं से अधिकतम आर्थिक लाभ प्राप्त कर सके और ये देखा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक राष्ट्र व प्रत्येक समाज सदा से निरन्तर इसी खोज में अपने ज्ञान का प्रयोग करते रहे है । यही कारण है कि व्यक्ति को अपने

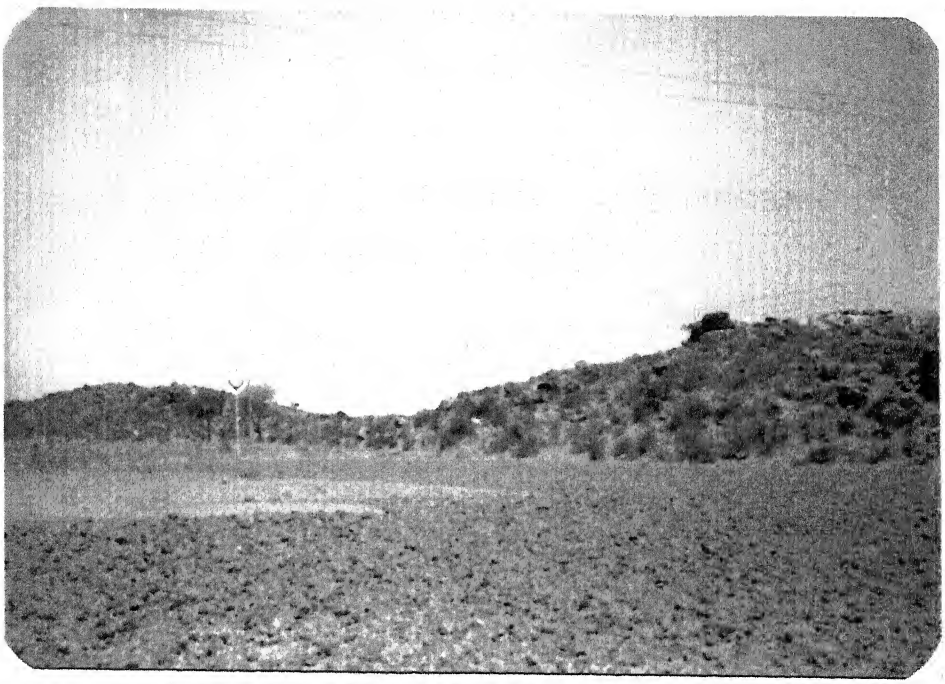

प्रारम्भ का तो अनुभव होता है, परन्तु उस अपार सीमा तक पहुँचने के लिये वो निरन्तर अपने ज्ञान के द्वारा प्रयास तो अवश्य करता रहता है परन्तु अपने सीमित जीवन में उस लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाता और प्रत्येक व्यक्ति का काम भी अधूरा रह जाता है, तो उस कार्य की श्रृंखला आने वाली पीढ़ियां जोड़ती रहती है, यही सृष्टि का नियम है। किसी देश व क्षेत्र की जनसंख्या कितनी ही क्यों ना बढ़ जाये परंतु प्रकृति की अपार शक्ति से वो फिर भी कम रहती है और व्यक्ति अपने को उससे सन्तुलित करने में असमर्थ रहता है।

आधुनिक तकनीकि व व्यक्ति के ज्ञान का भण्डार केवल इस बात पर निर्भर है कि वो कैसे व किस प्रकार से उस अपूर्व सृष्टि के भण्डार को अपने योग्य बना सके। एक ओर तो व्यक्ति व समाज ज्ञान व तकनीकि की ओर बढ़ता चला जाता है और दूसरी ओर सृष्टि की अनन्त सीमा व्यक्ति की असहाय शक्ति को निहारती रहती है और व्यक्ति असमर्थ होते हुये भी निरन्तर आगे बढ़ता चला जाता है। व्यक्ति की उस सीमा तक पहुंचने व सफलता की आशा उसको सदा ही प्रेरणा देती रहती है। आर्थिक क्षेत्र की विभिन्न प्रक्रियाएं भी इसी प्रकार से चलती है उनमें से एक उपेक्षित भूमि भी है। व्यक्ति को ये समझना चाहिये कि जो आज उपेक्षित भूमि है, वो उसकी विषमता के कारण है जो कि उसकी अज्ञानता

का प्रतीक है । व्यक्ति व प्रशासन को केवल एक ही दिशा में ही नहीं जाना चाहिये और उनको समझना होगा कि निरर्थक एवं उपेक्षित भूमि का जीवन से कितना घनिष्ट सम्बन्ध हैऔर उनको सभी प्रयास करने होंगे जिससे व्यक्ति की दृढ़ता में कमी ना आये और वो भौतिकता में ना खो जाये । निरर्थक भूमि का व्यक्ति के जीवन से अधिकतम सम्बन्ध होता है । इसके पश्चात ही विभिन्न उपलब्धियाँ आतीहै । जिस प्रकार व्यक्ति के शरीर के लिये पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है व उसके सेवन से वो शक्ति का अनुभव करता है और जिससे वो जीवित रहता है और इस शक्ति से ही वो विभिन्न परिश्रम कर सकता है और उसके द्वारा ही आर्थिक ढाचा चलता रहता है इसी प्रकार से व्यक्ति के जीवन में निरर्थक भूमि का महत्व है । व्यक्ति का आधार उसका वातावरण उसकी आन्तरिक शक्ति की पौष्टिक खा लेना, जिसको प्राप्त करने से उसको अपने जीवन में आशा की झलक मिलती है, उसका स्वच्छ वातावरण मिलता है, उसको मनोरंजन का कल्याणकारी अनुभव प्राप्त होता है जिससे वो अपने जीवन को पतझड के समान होते हुये भी सुरक्षित कर सकता है । व्यक्ति को अपने जीवन में इतने प्रकार के कार्य करने पडते है और सफलता पाने के लिये उसके लिए आवश्यक हो जाता है कि वो आर्थिक क्षेत्र के लक्ष्य को सुरक्षित कर ले । निरर्थक भूमि द्वारा व्यक्ति को आर्थिक क्षमताए बढती है और

समाज के लिये ये अति आवश्यक और अनिवार्य है कि वो अपने जीवनचर्या में निरर्थक भूमि को सम्मिलित करे और उसकी प्रत्येक शक्ति को ग्रहण करे। इसका प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति के लिये कल्याणकारी है। इस प्रकार की व्यवस्था के लिये जरूरी हो जाता है कि जिस प्रकार से विभिन्न आर्थिक व सामाजिक नियमों का पालन व्यक्ति करता है उसी प्रकार निरर्थक भूमि के द्वारा जो सम्बन्ध व्यक्ति का जुड़ा है उसको वो अपने व्यक्तित्व से अलग ना करे और विभिन्न नियमो के साथ पालन करने से अपने व्यक्तित्व में भूमि को प्राथमिकता देते हुये अपनी आर्थिक शक्ति को सुरक्षित करे। किसी भी देश या क्षेत्र का समाज कितना सुखी हो सकता है, कितना सम्पन्न हो सकता है यदि निरर्थक व उपेक्षित भूमि उसके जीवन का एक अंग बन जाये। ये तभी सम्भव हो सकता है जब कि व्यक्ति, समाज व प्रशासन द्वारा एकत्रित रूप से निरर्थक भूमि के उपयोग को अनिवार्य बना दिया जाये और समाजके सम्पूर्ण वर्ग के विचारो में निरर्थक भूमि ही जो उपेक्षित भूमि के रूप में पड़ी हुई है, उनसे सम्बन्ध जोड़ दिये जाये। इस प्रकार से निरर्थक व उपेक्षित भूमि सम्बन्धी एक ऐसी योजना को बनाने का प्रयास किया जा सकता है जो कि क्षेत्र के सम्पूर्ण सामाजिक व आर्थिक ढाँचे में मिश्रित हो सके। इस प्रकार के निरर्थक भूमि के समन्वय से प्रत्येक व्यक्ति के कार्यों में उत्तेजना मिलेगी और निराशापूर्ण अवधारणाएं जो कि आर्थिक प्रगति को पीछे हटाती है वो बहुत सीमा तक समाप्त होने लगेगी। आज कल के भौतिक विकास का ये सबसे बड़ा दोष

पाया जाता है जब कि कार्यक्षमता किसी की क्यों ना हो व्यक्ति कितना ही ज्ञानी क्यों ना हो जाये उसको थकान का अनुभव होने लगता है और कोई भी ऐसा अनन्त स्त्रोत उसके पास नहीं होता जिससे कि वो अपनी खोई हुई शक्ति वापिस ले सके । यही कारण है कि विभिन्न समाजों में कल्याणकारी कार्य अनिवार्य कर दिये गये है, परन्तु कल्याणकारी कार्य जो प्रयोग में लाए जाते है वो अधिकतर कोशिक है और उनका व्यक्ति पर थोड़े समय के लिये ही प्रभाव रहता है, परन्तु निरर्थक भूमि का व्यक्ति से स्वयम् सम्बन्ध रखने पर एक प्राकृतिक आन्तरिक शक्ति प्रत्येक व्यक्ति में आ सकती है जिससे वो एक परिवर्तन का अनुभव करता है जैसे अगर कोई व्यक्ति निरन्तर काम कर रहा है, थकान का अधिकतम अनुभव कर रहा है तो, अगर वो कुछ क्षण के लिये आँख उठा कर आसमान की ओर देखता है तो कुछ क्षणों के लिये वो अपनी उस थकान को भूल जाता है और उसको नव-शक्ति का अनुभव होने लगता है, जोकि उसकी कार्यक्षमता को पुनः बढ़ा देती है । इसी प्रकार से यदि व्यक्ति का सम्बन्ध निरर्थक उपेक्षित भूमि से किसी ना किसी प्रकार जोड़ दिया जाये तो उसको उस अपार शक्ति के द्वारा अपनी आन्तरिक शक्ति में बहुतसा मिलेगा और इस प्रकार से यह सिद्ध हो जाता है कि इस प्रकार शक्ति द्वारा व्यक्ति

को आर्थिक शक्ति का महत्व प्राप्त हो सकेगा । संसार के कुछ देशों में निरर्थक व उपेक्षित भूमि को व्यक्ति के सामाजिक जीवन से अनिवार्य रूप से जोड़ दिया गया है जिससे आर्थिक शक्ति के विकास में महत्व पूर्ण परिवर्तन आ रहे है । भारत जैसे देश में जिसमें प्रकृतिवाद का व्यक्ति के जीवन से प्राचीन समय से ही सम्बन्ध रहा है, ऐसी स्थिति में स्वतन्त्र भारत के लिये ये अति आवश्यक हो जाता है कि वो निरर्थक भूमि से अधिकतम सामाजिक सम्बन्ध जोड सके । जिसके द्वारा वो अपनी आर्थिक शक्ति बढाने में लाभ ले सके । इसी विचार के आधार पर बुन्देलखंड ऐसे पिछड़े क्षेत्र में इस विचार का आर्थिक प्रयोग करने की योजना बनाई जा सकतीहै । उत्तर प्रदेश का ये वो भाग है, जहाँ पर सबसे अधिक निरर्थक उपेक्षित भूमि उपलब्ध है और जिसको व्यक्ति के आर्थिक विकास का आधार बनाया जा सकता है ।

निरर्थक भूमि को जीवन की एक मात्र शक्ति मान कर उससे अधिकतम लाभ पाने के लिये ग्रामीण व नगरीय समाजकी उन्नति के लिये शासन द्वारा ऐसीव्यवस्था करनी होगी जिससे नगरीय व ग्रामीण समाज की वेशभूषा में व उसके ढाचे में कुछ ऐसे परिवर्तन करने होगें जिससे अनिवार्य रूप से समाज के सभी वर्ग निरर्थक भूमि द्वारा एक दूसरे के

सम्पर्क में आ सके, जो भी व्यक्ति खेती करते है, कुटीर उद्योगो में लगे हुये है व ग्रामो में परिवार के साथ होते है व अन्य अतिरिक्त कार्य
तिरिक्त कार्य
कर रहे है, तो दूसरी ओर नगरो में विभिन्न संस्थानो में लोग नौकरी कर रहे है, व्यापार कर रहे है, उद्योगों में लगे है, सार्वजनिक व निजी क्षेत्र में विभिन्न कार्य कर रहे है और समाजमें ऐसे भी वर्ग है, बुद्धिजीवी , इन सभी वर्गों के लिये अनिवार्य रूप से ऐसा अवसर मिलना चाहिये जो कि सप्ताह में दो दिन निरर्थक भूमि से अपना सम्बन्ध जोड़ सके । इस प्रकार की व्यवस्था से उनको सप्ताह के अन्य दिनो में कार्य करने की अधिक शक्ति प्राप्त होगी जिससे उनकी समान कार्यक्षमता में वृद्धि होगी, उनकी थकान मनोरंजन द्वारा दूर हो सकेगी और एक दूसरे के सम्पर्क में आ कर उनकी कार्यक्षमता में परिवर्तन आयेगा । भौतिकता में जो कुछ भी दिया गया है वो निरर्थक भूमि दे सकेगी परन्तु ये सब कुछ व्यक्ति व शासन अलग से नही कर सकता है । जो कुछ भी मनोरंजन के साधन है वो पर्याप्त फल नही दे सकते है क्यो कि उनको तकनीकि ढंग से नही अपनाया गया है और वो समाज के प्रत्येक वर्ग में अनिवार्य रूप से सम्बन्धित नही किये गये है । यह ना केवलक्षेत्रीय समस्या है वरन् राष्ट्रीय समस्या भी है । इस कारण शासन व व्यक्ति को मिल कर निश्चित प्रणाली बनानी होगी । इस विचार को सफल बनाने के लिये

ये आवश्यक है कि निरर्थक भूमि को इस कार्य के लिये उपयोगी बनाया जाय । बुन्देलखंड में जो निरर्थक भूमि है उसको उपयोगी बनाने के लिये सर्वप्रथम शासन को सम्पूर्ण समाज की कार्यप्रणाली व सरकारी विभागों में, ग्रामीण कृषि व व्यापारी वर्गों में सभी में कार्य करने की प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन लाने होंगे । इस प्रकार के परिवर्तन से ग्रामीण व नगरीय समाज का संकोच कम हो जायेगा और उनको निरर्थक भूमि से सम्बन्ध जोड़ने का अवसर मिलेगा । अगर प्रारम्भिक स्थिति में समाज व सरकार का निर्णय हो जाता है तो निरर्थक भूमि की शक्ति से व्यक्ति को सुधारने के लिये कुछ मौलिक सुविधाओं का प्रबन्ध करना होगा । सर्वप्रथम ये आवश्यक हो जाता है कि बुन्देलखंड की उस निरर्थक भूमि को सर्वप्रथम उपयोग में लाया जाये तो नगरीय व ग्रामीण केन्द्रों के अधिक पास हो 2 इस प्रकार निरर्थक भूमि को किसी अन्य काम में ना लाया जाये वरन उसको विशेष रूप से मनोरंजन के लिये आरक्षित कर दिया जाये । बुन्देलखंड में निरर्थक भूमि पर्वतों के पर्वतों जिलों में बिखरी हुई है । ये स्थान नगरों के पास, ग्रामों के पास, पहाड़ों के पास व नदियों के पास पड़े हुये है और इनको एक प्रकार से छोड़ दिया जाना चाहिये । भूमि उन विभागों के अन्तर्गत है, जिन भागों में खेती होती है उनका सम्बन्ध इस भूमि से नहीं है, इसके आधार भी बहुत

भूमि निरर्थक भूमि के रूप में बुन्देलखंड में पड़ी है ।

बुन्देलखंड में भूमि उपयोगिता का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है ।

भूमि उपयोगिता 1980-81 ।हजार हेक्टेयर में।

प्रतिवेदित क्षेत्रफल	झाँसी	ललितपुर	जालौन	हमीरपुर	बाँदा	मण्डल
कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल	493	501	455	716	801	2966
वन	32	67	26	37	78	240
ऊसर एवं खेती के अयोग्य भूमि	27	21	17	25	48	138
खेती अतिरिक्त अन्य उपयोग में जमीन	34	26	26	43	38	167
कृषि बेकार भूमि	57	131	6	35	40	269
चारागाह	1	8	0	1	0	10
वृक्ष, झाड़ियाँ व बाग आदि	2	3	3	2 5	32	42
परतीभूमि	39	62	30	68	75	275
शुद्ध बोया हुआ क्षेत्रफल	300	182	346	505	491	1824
एक बार से अधिक बोया क्षेत्रफल	43	47	20	22	99	231
कुल बोया गया क्षेत्रफल	343	299	360	527	590	2055
फसल सघनता	114.27	125.79	105.89	104.42	120.12	112.68
शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल	88	64	97	86	102	437
एक बार से अधिक सिंचित क्षेत्रफल	2	2	2	1	20	27
कुल सिंचित क्षेत्रफल	89	66	99	87	123	464
प्रतिशत सिंचित क्षेत्रफल	26.05	28.99	27.10	16.43	20.79	22.59

मण्डल का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 29.66 लाख हेक्टेयर है जिसमें से शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 18.24 लाख हेक्टेयर था जो कि कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल का 61.49 % है । यह प्रतिशत प्रदेश के औसत प्रतिशत 57.90 से अधिक है । मण्डल के अन्तर्गत एक बार से अधिक बोये गये क्षेत्रफल का प्रतिशत शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल से केवल 12.66 % है । इस प्रकार मण्डल में फसल गहनता 112 % है जो कि प्रदेश की फसल गहनता 142 % से अति कम है । मण्डल के विभिन्न जनपदों झाँसी, ललितपुर, जालौन हम्मीरपुर एवं बाँदा की फसल गहनता क्रमशः 164, 126, 106, 104 व 120 है । ललितपुर में फसल गहनता मण्डल के सभी जनपदों में सर्वोत्तम है । इस प्रकार शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल, शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल एवं फसल गहनता के दृष्टिकोण से मण्डल की स्थिति सम्पूर्ण प्रदेश की स्थिति से काफी पिछड़ी हुई है ।मण्डल में वास्तविक बोये गये क्षेत्रफल को बढ़ाने की काफी सम्भावना है । सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि करके तथा उन्नत कृषि विधियाँ अपना कर कृषि उत्पादन में वृद्धि की काफी सम्भावना है ।

भूमि निजी व्यक्ति की है या किसी अन्य प्रकार की और उसका उपयोग हो रहा है तो ऐसी भूमि को सरकार किसी प्राविधान से अपने अधिकार में करले । आज के युग में निरर्थक भूमि का उपयोग मान लिया गया है ।

D- Land for livelihood or recreation:-

भूमि का महत्व अनन्त है । इसका प्रयोग अनेक कार्यों में होता है । एक प्रकार से यदि हम ये कहे कि भूमि के बिना मानव का अस्तित्व ही नहीं है तो ये गलत नहीं होगा । इसका तात्पर्य ये हुआ कि भूमि के साथ व्यक्ति का सम्बन्ध जीविका एवं मनोरंजन दोनों के रूप में होता है । व्यक्ति की प्रगति में व्यक्ति का भूमि के साथ विभिन्न रूप से सम्बन्ध जुड़ा हुआ है और कोई भी व्यक्ति अपने को भूमि से अलग नहीं कर सकता है । आर्थिक दृष्टिकोण से भूमि का सम्बन्ध जीविका के रूप में होता है । देश व समाज का प्रत्येक उद्योग किसी ना किसीरूप में भूमि से सम्बन्धित होता है जैसे कृषि का आधार तो भूमि है ही परन्तु अन्य अनेक उद्योग जैसे सूती वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग, रबड़ उद्योग ये सभी कच्चे माल के लिये भूमि पर ही निर्भर रहते है । प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो अमीर हो अथवा गरीब, कृषक उद्योग में रत हो या लघु उद्योग में, किसी ना किसी रूप में भूमि के ही संरक्षण में रहता है, इसके बिना वो अपने अस्तित्व की कल्पना ही नहीं कर सकता है, परन्तु जीविका पालन में भूमि की सम्पूर्ण शक्ति का प्रयोग नहीं होता है । इसके अन्तर्गत अन्य शक्तियाँ भी है जो जीविका उपार्जन में तो सहयोग देती ही है परन्तु

साथ ही व्यक्ति के मनोरंजन में भी सहायक होती है जैसे सरिता या झरने का बहना, वर्षा का होना, ये सब जहाँ एक ओर जीविका में सहायक होते है अर्थात अच्छी फसल उत्पन्न करने में सहायक होते है तो दूसरी ओर व्यक्ति को रोमांचित भी करते है, उसको मनोरंजन प्रदान करते है । इसका तात्पर्य यह है कि भूमि एक ओर तो जीविका में सहायक होती है और दूसरी ओर मनोरंजन द्वारा कार्य करने की शक्ति प्रदान करती है ।

मानव जीवन का प्राचीन काल से अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि प्राचीन समय से विभिन्न धर्मों द्वारा रीति रिवाजो का पालन करते हुये, किसी ना किसी प्रकार का मनोरंजन उनसे जुड़ा है जिसने व्यक्ति व समाजको समय समय पर प्रेरणा व प्रोत्साहन प्रदान किया है । प्रत्येक व्यक्ति जाने व अन्जाने रूप से मनोरंजन से बंधा हुआ है और वो अपने काम व विश्राम के समय सदा ही मनोरंजन का सहारा लेता रहता है। प्रकृति की विभिन्न शक्तियाँ जब मनोरंजन प्रदान करती है तो व्यक्ति का भी कर्तव्य हो जाता है कि विभिन्न प्रकार से मनोरंजन की शक्ति को ढूंढ निकाले और उसीकी अनुसार विभिन्न गतिविधियाँ बनाता रहे । मनुष्य के लिये भूमि भी एक ऐसी आधार शक्ति है जिससे वो सहारा ले सकता है । व्यक्ति के लिये भूमि की उपयोगिता एक ही

दिशा में नहीं हो सकती है और भूमि की अधिकतम शक्ति को अपनाने के लिये ये आवश्यक हो जाता है कि व्यक्ति, समाज व प्रशासन की प्रतिबद्धता ऐसी हो जिसमें व्यक्ति की रुचि सदा ही बनी रहे और व्यक्ति से सम्बन्धित सभी दिशाओं में भूमि सहायक बनती जाये । जिस प्रकार से आवास के लिये भूमि की उपयोगिता है और आर्थिक क्षेत्र में व्यक्ति भूमि का सहारा लेकर कार्य करता है, इसी प्रकार से व्यक्ति के मानसिक व मनोवैज्ञानिक प्रभावों को सुरक्षित रखने के लिये भूमि द्वारा आकर्षित शक्तियों का महत्व बढ़ने लगता है । समाज का ये कर्तव्य हो जाता है कि भूमि को इस प्रकार से सुसज्जित किया जाये व सुधारा जाये जिससे व्यक्ति का सम्बन्ध भूमि से जुड़ा रहे और वो तभी सम्भव हो सकता है जब निरर्थक भूमि को मनोरंजन के लिये छोड़ दिया जाये और अनिवार्य रूप से उसका प्रयोग करके उसकी उपयोगिता को बढ़ावा दिया जाये । निरर्थक भूमि का ये मतलब नहीं हो जाता है कि उसको केवल अन्य कामों के लिये घेर लिया जाय । भूमि की उपयोगिता किसी ना किसी रूप में की जानी है, तो निरर्थक भूमि कोकुछ भाग अवश्य रक्षित कर देनी होगी, जिसको केवल मनोरंजन कार्यों में ही लगाया जा सकता है । इस प्रकार किसी भी क्षेत्र, समाज व देश में भूमि के दो भाग किये जा सकते है एक तो वो जो जीविका के लिये खड़ी जाये और दूसरी जो जिसकोकेवल मनोरंजन

तत्सम्बन्धित क्रियाओं के लिये सुरक्षित कर दिया जाये । यही बात बुन्देलखंड में इसी प्रकार जीविका निर्वाह के लिये जो भूमि है उसके पश्चात ऐसी निरर्थक भूमि भी उपलब्ध है जिसको सम्पूर्ण रूप से मनोरंजन के लिये सुरक्षित करना होगा जिससे ग्रामीण व नगरीय निवासी मनोरंजन को भी अपनी जीविका का एक अंग बना सके और उसके ही आधार पर इस क्षेत्र की सम्पूर्ण प्रणाली संगठित की जा सके । व्यक्ति के लिये ये उचित नहीं कि भूमि को केवल व्यापारिक दृष्टि से ही अपने उपयोग में लाये परन्तु भूमि के कुछ भाग को अवश्य वो अपने व्यक्तित्व से सम्बन्ध रखने के लिये छोड़ दे, जिससे कि व्यक्ति को अवसर मिल सके कि वो प्राकृतिक शक्तियों से सम्बन्ध बनाता रहे जैसे व्यक्ति का निरंतर सम्बन्ध वायु, आकाश व प्रकृति के अन्य तत्वों से रहता है उसी प्रकार निरर्थक भूमि भी एक ऐसी शक्ति है जिसमें ना केवल व्यक्ति की आन्तरिक शक्तियाँ जागृत रहती है परन्तु उसके साथ में व्यक्ति के व्यापारिक औचित्य को भी निरन्तर शक्ति मिलती रहती है । इस प्रकार से प्रशासन व समाज के दृष्टिकोण में परिवर्तन करना होगा । निरर्थक भूमि एक उचित शक्ति है जिसकी जागृति से बुन्देलखंड के एक अन्य भाग की सम्पन्नता निर्भर है । व्यक्ति जो भूमि का उपयोग अपनी जीविका के लिये करता है वो तो प्राचीन समय से ही व्यवस्था पूर्ण है और आज कल के युग में अधिकतम

भूमि का उपयोग जीविका सम्बन्धी होता है जिससे कि क्षेत्र व समाज का गठन होता है । व्यक्ति का जो भी सम्बन्ध निरर्थक भूमि से रहा है वो सदा से ही असंगठित है और जो भी व्यक्ति निरर्थक भूमि से ग्रहण करता रहा है उसका अभाव उसको नहीं होता है । परन्तु फिर भी इस अपार स्त्रोत से व्यक्ति सदा से ही शक्ति प्राप्त करता रहा है। समाज की अब एक ऐसी स्थिति आ गई है जब कि उसको निरर्थक भूमि की शक्ति को पुर्नगठित करना होगा और इस अपार स्त्रोत से अधिकतम ग्रहण करने के लिये कदम उठाने होंगें । इसी प्रकार से बुन्देलखंड की निरर्थक भूमि को पुर्नगठित करने का विचार करता है । निरर्थक भूमि को आधार मान कर इस भाग का सम्पूर्ण समाज अपनी विभिन्न कार्य प्रणालियों को पुर्नगठित करके निरर्थक भूमि को मनोरंजन से जोड़ सकता है और इसकी सम्पूर्ण व्यवस्था पर विचार किया जा सकता है ।

---:0:---

E- Wild Land resources:-

किसी भी क्षेत्र के प्राकृतिक निरर्थक साधन क्षेत्र के पर्यावरण को बनाते है । आज के युग में पर्यावरण का आर्थिक व समाज के विकास से घनिष्ट सम्बन्ध बन गया है । बुन्देलखंड भूखंड में विभिन्न निरर्थक प्राकृतिक साधन उपलब्ध है और जो अपने प्रकार से अनोखे भी है । किसी भी भाग के प्राकृतिक साधन निरर्थक हो सकते है, अगर निवासियों का उनसे सम्बन्ध ना हो और वो मानवीय प्रयोग से वंचित रह जाये । ये कथन सभी प्रकार की प्राकृतिक देन के लिये सत्य है जैसे भूमि, नदियाँ, वन पठार पहाड़ी भाग व प्राकृतिक तलाब आदि । अगर किसी भाग में जन संख्या के कम घनत्व के कारण, क्षेत्र के पिछड़ेपन के कारण या शासन की असमर्थता के कारण प्रकृति के निरर्थक साधनो से सम्पर्क ना रहे तो अदृश्य रूप में पर्यावरण को सुरक्षित रख कर मानव जाति व जीव जन्तु सभी को उनसे सहारा मिलता है, परन्तु पर्यावरण द्वारा एक सीमा तक ही व्यक्ति को लाभ मिल पाता है, परन्तु अगर सभी का सम्पर्क निरन्तर किसी ना किसी रूप से निरर्थक भूमि से रक्खा जाये तो अवश्य ही किसी भी क्षेत्र के नागरिक व प्राकृतिक जीव जन्तु अधिकतम लाभ पाने के अधिकारी बन सकते है । निरर्थक साधनो का प्रयोग सम्पूर्ण रूप से उन्ही क्षेत्रो को

प्राप्त हो सकता है जहाँ पर वो उपलब्ध हो और जहाँ पर मानव शक्ति को व औद्योगिक विकास के दूषित प्रभावो द्वारा क्षेत्र की प्राकृतिक शक्तियों को अपना योगदान ना दे सकें ।

बुन्देलखंड का भूखंड उत्तर प्रदेश का एक ऐसा भू-भाग है जहाँ पर अधिक मात्रा में निरर्थक प्राकृतिक शक्तियाँ उपलब्ध है और उनके द्वारा क्षेत्र की उत्पादकता व व्यक्ति की क्षमता बढ़ाई जा सकती है । बुन्देलखंड के क्षेत्र में प्राचीन समय से ही कृषि व उद्योग पिछड़ा रहा है और विभिन्न प्राचीन रियासतो के प्रभाव से समय समय पर युद्ध के क्षेत्र में भाग बना रहा है जिसके कारण आर्थिक उपलब्धियाँ यहाँ पर कम है और इस भाग का पर्यावरण जो प्राकृतिक सौन्दर्य से परिपूर्ण है उसका आर्थिक लाभ उस क्षेत्र को नही मिल पाया और इसलम्बन्ध में कोई भी योजना कभी नही बनाई गई । कृषि क्षेत्र को बढ़ाने के लिये विभिन्न प्रकार की सिंचाई योजनायें इस क्षेत्र में बनती रही है और सिंचाई साधनो की सहायता से कृषि उत्पादन महत्व पूर्ण हो गया । इसी प्रकार से कुछ समय पूर्व से विद्युत शक्ति की सहायता से बुन्देलखंड क्षेत्र में उद्योगो का भी विकास होने लगा है, परन्तु इस प्रकार की उपलब्धियाँ प्राकृतिक निरर्थक शक्तियों व पर्यावरण के आधार पर बहुत ही कम है और बुन्देलखंड में लगभग 60 % भाग में जो निरर्थक प्राकृतिक शक्तियाँ है उनमें इस क्षेत्र के निवासी आज भी वंचित है और प्रकृति की

इतनी प्रबल शक्ति का कोई भी उपयोग बुन्देलखंड निवासियों की जीविका में नहीं है । इस सम्बन्ध में अध्ययन अति आवश्यक हो जाता है कि निरर्थक शक्तियों का इस क्षेत्र के निवासियों से अधिकतम सम्पर्क बना दिया जाये और ऐसी योजना बनाई जाये जिससे उनकी उत्पादकता व क्षमता पर्यावरण के द्वारा बढ़ सके और इस उद्देश्य के आधार पर शोध कार्य इस सम्बन्ध में करना आवश्यक बन जाता है । इस सम्बन्ध में ये उचित होगा कि पहले से ही इस क्षेत्र के पर्यावरण के आधार पर व्यक्तियों को लाभान्वित किया जाये जिससे कि वह स्वतन्त्रता पूर्वक प्राकृतिक शक्तियों का अधिकतम भाग कर सके । इस सम्बन्ध में ये देखा गया है कि जिन भागों में पर्यावरण के दूषित होने के पश्चात पर्यावरण को सुरक्षित रखने का जो प्रयास किया जाता है, विभिन्न आर्थिक योजनाओं को उसी के अनुसार चलाना पड़ता है । इस प्रकार की प्रतिक्रिया से उपलब्धियाँ बहुत कम होती है और पर्यावरण से व्यक्ति के आर्थिक विकास का तालमेल नहीं हो पाता । इस सम्बन्ध में ये समझना जरूरी होगा कि अगर क्षेत्र के पर्यावरण को अनिवार्य रूप से व्यक्ति की जीविका से सम्बन्धित कर दिया जाये और सामान्य रूप से पर्यावरण की शक्ति को अपना लिया जाये तो वहाँ अधिक मात्रा में व्यक्ति की कार्यक्षमता व क्षेत्र की उत्पादकता बढ़ सकेगी और इस प्रकार से निरर्थक भूमि व्यक्ति के आर्थिक विकास का आधार बन सकती है।

बुन्देलखंड में जो निरर्थक भूमि पड़ी हुई है जिसका यहाँ के निवासी उपयोग नहीं करते है और मार्ग व सुविधाओं के अभाव के कारण उन स्थानों पर पहुँचना कठिन है, उसके साथ में बहुत सी ऐसी विभिन्न प्रकार की पहाड़ियाँ है और पहाड़ी क्षेत्र है, जिनका कोई भी सम्पर्क यहाँ के निवासियों से नहीं है और नदियों के क्षेत्र भी कुछ ऐसे है जहाँ पर कोई सिंचाई सुविधाएं उनको प्राप्त नहीं हुई है । ऐसे सभी भागों में अगर सम्पर्क निरन्तर निवासियों का बना दिया जाये और सुविधाएं उपलब्ध कर दी जाये, तो पर्यावरण के द्वारा क्षेत्र के निवासी सभी प्रकार के कार्यों में अपनी योग्यता बढ़ा सकते है । इस प्रकार की प्रक्रिया में क्षेत्र के उपयोग व कृषि केवल जीविका का एक माध्यम ही रह जाता है, परन्तु पर्यावरण की शक्ति से व्यक्ति की आन्तरिक शक्ति व विश्वास को बल मिल जाता है और विश्वास का अभाव उसमें नहीं रह जाता जो कि आधुनिक जीवन में सम्भावित है । इस प्रकार से पर्यावरण की अदृश्य शक्ति, आन्तरिक शक्ति को बल देती है और व्यक्ति की आन्तरिक शक्ति उसकी उत्पादकता व कार्यक्षमता को बढ़ा देती है । इस सम्बन्ध में ये कहा जा सकता है कि 30% तक सामान्य स्तर से उन्नति हो सकती है । जो निरर्थक भूमि द्वारा उपलब्ध होती है उसको किसी भी प्रकार से भौतिक शक्ति से ग्रहण नहीं किया जा सकता और आत्म विश्वास का अभाव जो व्यक्ति में आधुनिक

युग में बन जाता है उसको केवल पर्यावरण के ही प्रभाव से सुधारा जा सकता है ।

बुन्देलखंड की निरर्थक भूमि की योजना के सम्बन्ध में जो विभिन्न सुझाव व विचार देने का प्रयास किया गया है उससे निरर्थक भूमि का आर्थिक उपयोग, प्राकृतिक शक्तियों से सम्बन्ध जुटाने की योजना, जिससे निरर्थक भूमि पहाड़ी क्षेत्र व बुन्देलखंड के विभिन्न निरर्थक स्थान वहाँ के निवासियों की जीविका के समीप लाये जा सकते हैं ।

-----:0:-----

CHAPTER :- (III).

CHAPTER - III

WILDERNESS HABITATION IN BUNDELKHAND

A- Economic Habitation/Social Habitation:-

यदि हम आदि काल से मानव जीवन का अवलोकन करें, तो हमें ज्ञात होगा कि मानव के प्रारम्भिक जीवन में, जब कि मानव व पशु पक्षी का जन्म हुआ था उस समय सभ्यता का कोई चिन्ह नहीं था । गाँव शहर आदि का कोई निर्माण नहीं हुआ था । मानवक के पास ज्ञान की बुद्धि बिलकुल नहीं थी तब भी मानव व पशु पक्षी उसी स्थान पर डेरा डालते थे जहाँ उन्हे खाने को कन्दमूल या पशुपक्षी का मांस मिलता था व रहने को पेडो की छाया व गुफा आदि । जैसे पशु पक्षी अपना भोजन खोज निकालते थे उसी प्रकार से मानव भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करता था और वहाँ पर उसे खाने को मिलता था वही पर रुक जाता था । इस प्रकार वो घूम घूम कर अपने भोजन की व्यवस्था करता था । ये सब कुछ मानव अन्जाने में ही करता था, एक मानव का दूसरे मानव से कोई सम्पर्क नहीं था। एक स्थान से

दूसरे स्थान पर भ्रमण करता था और जहाँ पर उसे खाने को मिलता था वहीं पर रुक जाता था । इसप्रकार वो घूम घूम कर अपनेभोजन की व्यवस्था करता था । ये सब कुछ मानव अन्जाने में ही करता था, एक मानव का दूसरे मानव से कोई सम्पर्क नहीं था । एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हुये मानव एक दूसरे के सम्पर्क में आया व उसने एक दूसरे की समस्याओं को समझा । धीरे धीरे एक दूसरे के सम्पर्क में आने से मानव ने कुछ ज्ञान की वृद्धि हुई और मानव ने टोलियों में विभक्त होकर नदी के किनारे पड़ाव डाले व समूह में रह कर शिकार करने लगा । वस्त्र के स्थान पर खाल व पेड़ों की पत्तियों का उपयोग करने लगा । प्रत्येक मानव की एक ही समस्या थी आर्थिक समस्या, खाने की समस्या, रहने की समस्या आदि-आदि । जब मानव में कुछ और ज्ञान का विकास हुआ तो मानव खेती करने लगा । फिर मानव धीरे धीरे गाँव में बसने लगे और फिर इस प्रकार प्रचलन के द्वारा मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगे । अपनी क्षमता के अनुसार काम करने लगे और अपनीआवश्यकताओं कोएक दूसरे के माध्यम से धीरे धीरे पूरा करने लगा । इस प्रकार एक ओर तो मानव की शिक्षा के आधार पर अपने आपको बसाता गया और फिर उसकी जीविका आर्थिक आधार बन गई और दूसरी ओर इसी बसने के आधार पर मानव के चारों ओर एक सामाजिक वातावरण बनता गया । कहने का तात्पर्य यह है कि

आदिकाल से जब से मानव व पशु पक्षी की उत्पत्ती हुई मानव जाने व अन्जाने रूप में अपना बसेरा वहीं पर करता था जहाँ पर उसे खाने व रहने को मिल सके अर्थात मानव के जीवन में प्राचीन काल से जब से उसने ज्ञान की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी अन्जाने तौर पर आर्थिक बसेरा प्रमुख हो जाता था और फिर इसी आवश्यक आवश्यकता के आधार पर मानव अपने व्यक्तित्व का विकास करता था । एक कहावत है "आवश्यकता अविष्कार की जननी है" यही बात मानव जीवन पर भी लागू होती है कि मानव अपनी आवश्यकताओं के अनुकूल धीरे धीरे अविष्कार कर लेता है । मानव जीवन का अवलोकन करने से यह तथ्य और भी स्पष्ट हो जाता है ।

मानव जीवन में सबसे अधिक महत्व पूर्ण उसका अपना अस्तित्व होता है उसके पश्चात क्रमशः परिवार व समाज का स्थान होता है । प्रत्येक मानव के जीवन में एक समय ऐसा अवश्य आता है जब कि उसे अपने लिये बसेरा तलाश करना होता है, अपने लिये एक आर्थिक वातावरण का निर्माण करना होता है पर इसके लिये मानव को अथक प्रयत्न करना होता है । कोई आवश्यक नहीं ये बसेरा मानव के जन्म स्थान पर ही हो अपितु जहाँ पर मानव को अपनी प्रवृति के अनुकूल रोजगार मिल सके या रहन-सहन मिल सके वहीं पर उस का बसेरा होता है । मानव क्यों कि एक बुद्धिजीवि प्राणी है इसी लिये वो इस बात का निर्णय अधिक अच्छी तरह से कर सकता

है कि वो अपना आर्थिक क्षेत्र कहाँ पर व किस प्रकार करे । कौन सा कार्य उसकी प्रवृत्ति के अनुकूल है जिसमें वो सफल हो सकता है जिससे वो सफल हो सकता है जिससे वो अपने रहन सहन का सुविधा पूर्वक निर्वाह कर सके । इसी आधार पर गाँव शहर बसते है, उत्पादन होता है, क्रय-विक्रय होता है व आर्थिक समाज का संगठन होता है । किसी भी देश व समाज की प्रगति आर्थिक क्षेत्र पर होती है ।

जो लोग बस जाते है वो आर्थिक समाज का गठन करते है और उन्ही के द्वारा आर्थिक व्यवस्था का संचालन होता है और अर्थ व्यवस्था सम्पूर्ण रूप से चलती है । अर्थ व्यवस्था देश के आर्थिक समाज का प्रतिनिधित्व करती है अर्थात आर्थिक समाज वो है जहाँ पर दो अर्थव्यवस्था से जुड़ जाये। आज का समाज आर्थिक है अर्थात हमारी समस्त क्रियाओं का मापदण्ड आर्थिक है । व्यक्ति की सफलता असफलता उसका रहन सहन सभी को हम आर्थिक मापदण्ड से मापते है । व्यक्ति के साथ साथ समाज, क्षेत्र व देश की सफलता है क्यों कि व्यक्ति सफल है तो समाज सफल होगा और समाज के सफल होने से देश को सफलता प्राप्त होगी । इसी लिये आर्थिक रूप से बस जाना प्रत्येक व्यक्ति के लिये महत्व पूर्ण होता है देश व व्यक्ति का विकसित होना इसी बात पर निर्भर करता है कि उसमें कितनी क्षमता है क्यो कि व्यक्ति का विकास उसकी क्षमता के आधार पर ही होता है यही उसका माप है।

बुन्देलखंड में जोतनक्रिया का वितरण है वो भी इस बात को सिद्ध करता है कि जिन स्थानो में यहाँ के निवासियों को काम करने व रहने की सुविधा मिली उसी ही आधार पर वो बुन्देलखंड के नगरो व ग्रामो में बसने लगे और ये स्थान आर्थिक व सामाजिक दृष्टिकोण से बढ़ने लगे । परन्तु इस क्षेत्र में जो निरर्थक भूमि व विभिन्न वर्गों की भूमि के अधिकतम क्षेत्र पड़े हुऐ है यहाँ पर बुन्देलखंड के निवासी आकर्षित नही हुऐ है और यह ही कारण है कि बुन्देलखंड क्षेत्र में निरर्थक भूमि की अधिक मात्रा मिलती है, जो कि उत्तर प्रदेश के अन्य भागो में नहीहै । किसी भी समाज की प्रारम्भिक स्थिति यहाँ के निवासियों की बसैरे की होती है और उसके पश्चात सामाजिक अभ्यस्तता की स्थिति आती है और किसी भी क्षेत्र की उन्नति के लिये सामाजिक अभ्यस्तता एक विशेष माध्यम होती है । सामाजिक अभ्यस्तता के कारण हीकिसी भी क्षेत्र के निवासी अपने स्थान पर ही कार्य करना व रहना पसन्द करते है और प्रवजन को उचित नही समझते है और उनका आशय अपने क्षेत्र को ही उन्नतिशील बनाना होता है । बुन्देलखंड में अधिकतर उन्ही भागो में यहाँ के निवासी केन्द्रित रहे जहाँ पर उनको विभिन्न सुविधाए उपलब्ध थी और इस क्षेत्र के पथरीले व निरर्थक भाग प्रारम्भ से ही छूटे रहे व प्रशासन इन भागो की उन्नति करने में असमर्थ रहा । बुन्देलखंड के अधिकतर भूमि के भाग मे प्रकृति का

प्रकोप रहा है । समय समय पर अकाल आते रहे, वर्षा की कमी के कारण सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं रहे और परिणाम स्वरूप निरर्थक भूमि का क्षेत्र कम नहीं हुआ । यही कारण है कि बुन्देलखंड के अधिकतर गाँव एक दूसरे से अधिक दूर बसे हुये है और उनके बीच संचार व यातायात की सुविधा बहुत कम हो रही है । इस क्षेत्र के अधिकतर निवासियों में इस बात की क्षमता नहीं रही है कि वो अपने स्थान को छोड कर पड़ोस की निरर्थक भूमि को उपयोग में लाये । इस ख्याल से अब ये समय आ गया है कि क्षेत्र के निवासियो को निरर्थक भूमि की ओर आकर्षित किया जाये जिससे निरर्थक भूमि की अ-उपयोगिता का अनुभव हो सके । अगर वो इस प्रयास में सफल हो जाते है तो एक ऐसा आर्थिक समाज, बुन्देलखंड के क्षेत्र में गठित हो सकता है जो कि सम्पूर्ण समाज की प्रेरणा बन सके । बुन्देलखंड के निवासियो को आर्थिक व सामाजिक उन्नति के लिये प्रोत्साहित करना होगा और इस प्रकार की व्यवस्था करनी होगी जिस से कि यह स्वयं निरर्थक भूमि द्वारा शक्तिमान बन सके और इस क्षेत्र की आर्थिक व सामाजिक उन्नति का आधार निरर्थक भूमि बन जाये ।

यह तो स्पष्ट है कि बुन्देलखंड एक ऐसा भूखण्ड है जहाँ पर निरर्थक भूमि विपुल मात्रा में उपलब्ध है । एक गाँव से दूसरा गाँव पर्याप्त मात्रा में दूर है व इसके बीच का भूखण्ड एक दम उपेक्षित पड़ा है । उस

भूमि के सम्बन्ध में सरकार या समाज कोई भी उचित कदम नहीं उठा रही है । तो ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि आज जब कि व्यक्ति के मानसिक विकास में पर्याप्त आर्थिक उन्नति है तब भी व्यक्ति सुखी क्यों नहीं है ? तब फिर व्यक्ति इस भू-शक्ति को अपने जीवन व कार्य में सम्मलित क्यो नहीकर लेता है ? आदि कालमें जब अन्जाने में ही व्यक्ति अपनी आवश्यकताओ को ढूंढ निकालता था, उसके अनुरूप अविष्कार कर लेता था तो आज ये समस्या मानव के सम्मुख कैसे आ गई कि उसको आर्थिक कार्य संकटहीन लगता है और वो निराशावादी बन जाता है और उसकी उत्तेजना को कम हो जाती है ? इस समस्त समस्याओं के पश्चात ही आर्थिक प्रोत्साहन की आवश्यकता पड़ती है । जब व्यक्ति किसी स्थान पर रहने लगता है तो उसको जीवन निर्वाह करने के लिये विभिन्न निर्णय लेने पड़ते है और उसको आर्थिक समाज में रहने के लिये आर्थिक प्रोत्साहन की आवश्यकता पड़ती है । आर्थिक विकास सदैव आर्थिक प्रोत्साहन में ही सुरक्षित रहता है । प्रत्येक वर्ग जो रहते है उनको अपनी आर्थिक कार्य प्रणाली ऐसी बनानी पड़ती है जिससे कम से कम जोखिम उठाए हुऐ वो अपना आर्थिक आधार बना सके । समय समय पर जो कठिनताए आर्थिक क्षेत्र में आती रहती है उनको सन्तुलन करने के लिये व्यक्ति का आर्थिक प्रोत्साहन ही केवल एक मात्र सहारा होता है जो समयानुसार सन्तुलन करता रहता है । आर्थिक तौरे से आर्थिक समाज व आर्थिक

प्रोत्साहन जुड़ा है और इन तीनों स्थितियों में समन्वय होना अति आवश्यक है । विकासशील देशों में सफलता असफलता इन तीनों के आपसी समन्वय पर रहती है । इस कारण ये आवश्यक हो जाता है कि आर्थिक सुरक्षा प्राप्त होती रहे क्यों कि उसके ही आधार पर समाज का गठन होता है और प्रत्येक व्यक्ति अपने को सुरक्षित पाता है । जब एक बार व्यक्ति को आर्थिक सम्पन्नता मिल जाती है तो उसके द्वारा समाज की उन्नति भी सुरक्षित हो जाती है और व्यक्ति की इस प्रेरणा से ना केवल आर्थिक समाज बनता है परन्तु उसके साथ में संपूर्ण समाज सम्पन्न बन जाता है । इस विचार से बुन्देलखंड एक आदर्श भूखण्ड है । यहाँ पर विपुल मात्रा में उपेक्षित भूमि मिलती है जो टीलों तालाबों प्राचीन खण्डहरों आदि के रूप में निरर्थक पड़ी है । यदि इसका उपयोग हम मानव की क्षमता बढ़ाने के लिये मनोरंजन के साधन आदि के रूप में करें तो इस उपेक्षित भूमि का जो उपयोग होगा वह अन्य भागों के के लिये एक आदर्श कायम करेगा इससे समाज में अपनी नीतियों के प्रति विश्वास बढ़ने लगेगा और उसका प्रत्येक व्यक्ति जो निर्णय लेगा उससे सभी वर्गों का विश्वास बढ़ जायेगा ।

इस प्रकार से निरर्थक भूमि की उपयोगिता ही एक ऐसा साधन है जिससे सदा ही व्यक्ति को सहारा मिलता रहता है और विकास की प्रेरणा उसमें प्राकृतिक रूप से ही जागती रहती है । यदि व्यक्ति के जीवन

में इस प्रकार का विश्वास जागता रहे तो वो सभी प्रकार की कठिनाइयों का सामना कर सकता है । आधुनिक युग में विश्वास संकट । **Brisis of Confidance** । का होना स्वाभावित होता है । अब केवल निरर्थक भूमि की अभ्यस्तता ही व्यक्ति को अपने प्रति विश्वास दिला सकती है । इस प्रकार से कहा जा सकता है कि किसी भी भाग के निवासी के जीवन में सदा ही निरर्थक भूमि के प्रति ऐसा सम्बन्ध जुडा होता है जिसका ज्ञान जब उसमें नही होता है तो उसमें अपने विश्वास के प्रति अभाव होने लगता है और जैसे जैसे उसका ज्ञान निरर्थक भूमि के प्रति बढ़ने लगता है उसका स्वय का विश्वास जागृत होने लगता है । ये एक ऐसा प्राकृतिक नियम है जिसे अगर व्यक्ति ठुकराना चाहे फिर भी उसका व्यक्तित्व उससे जुड़ा रहता है । किसी भी समाज को अत्यन्त सम्पन्नता तभी मिल सकती है जब कि उसकी प्राकृतिक वेशभूषा एवं वातावरण को सुरक्षित रक्खा जाये और उसके साथ में विभिन्न प्रकार की भौतिक एवं आधुनिक शक्तियाँ समय समय पर उससे जुड़ती जाये, तभी व्यक्ति व समाज की सम्पूर्ण सफलता की स्थिति प्राप्त हो सकती है। ये प्रयास समय समय पर होता रहा है । और आज भी इसकी विशेष रूप से आवश्यकता सिद्ध हो चुकी है । विशेषकर ये स्थिति विकास शील देशो में अधिक पाई जाती है और यही अन्तर विकसित व विकास शील देशो में सदा से रहा है।

B- Methodology:-

निरर्थक भूमि को अपनाने के लिये निश्चित विधि को निर्धारित करना होगा । इस प्रकार की भूमि की उपयोगिता तभी बन सकती है जब बुन्देलखंड क्षेत्र के प्रत्येक निवासी को विधि की सरलता पर विश्वास हो । आर्थिक दृष्टिकोण से भी ये अति आवश्यक है कि भूमि पर लागत की सीमाएं प्रत्येक निवासी की आय के अनुसार निर्धारित की जा सके और इस पर जो व्यय हो वो उस व्यक्ति के मासिक बजट का एक अंग बन जाये । इस प्रकार से विधि पूर्वक निरर्थक भूमि प्रत्येक निवासी का एक उपयोग मात्र साधन हो सके ।

बुन्देलखंड की अर्थ व्यवस्था में इस क्षेत्र की निरर्थक भूमि एक महत्वपूर्ण अंग बन सकती है । इस क्षेत्र की इस भूमि शक्ति का प्रयोग बहुत पहले से जो होता रहा है उसका कोई निश्चित आधार नहीं था । शासन द्वारा व व्यक्ति द्वारा जो भी प्रयास रहा है वो केवल एक निश्चित उद्देश्य व सीमा तक ही किया गया है । यही कारण है कि बुन्देलखंड की भूमि का अधिक भाग आज भी निरर्थक बना हुआ है । समस्त निरर्थक भूमि को व्यापक रूप से बुन्देलखंड की अर्थ व्यवस्था में सम्मिलित होना एक विशेष प्रयास बन

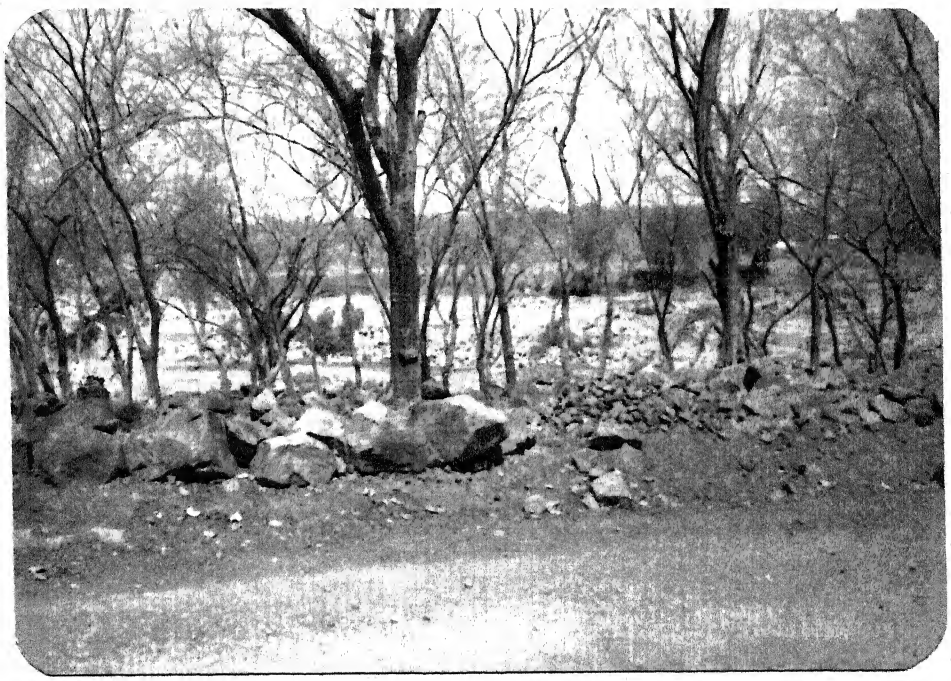

सकता है जिससे निरर्थक भूमि की उत्पादकता का अनुमान लगाया जा सकें ।

4-(I)- Wild Land Productivity:-

जो भी क्षेत्र बुन्देलखंड में निरर्थक भूमि के पड़े हुये है, उनको सामूहिक रूप से उपयोगी विधि पूर्वक इस क्षेत्र के नागरिकों की उपयोगिता का आधार बना कर सम्मिलित किया जा सकता है । निरर्थक भूमि की ऐसी योजनाएं होनी चाहिये जो ना केवल प्रत्येक नागरिक को मनोरंजन का साधन दे परन्तु उसके साथ में उनकी कार्यक्षमता को भी बढ़ावा दे सके । निरर्थक भूमि का सम्बन्ध बुन्देलखंड के प्रत्येक नागरिक की दैनिक क्रियाओं के साथ में जुड़ा होना चाहिये जिससे कि प्रत्येक नागरिक व उनके परिवारों की कार्य क्षमता व आर्थिक उपयोगिता उच्चतम सीमा तक पहुँच सके । इस प्रकार की भूमि का प्रयोग उनके लिये बढ़ाना होगा और इस भूमि पर आवश्यक परिवर्तन करने होंगें जिन पर व्यय होगा । किसी भी व्यक्ति की क्षमता या वस्तु की उपयोगिता बढ़ाने के लिये ऐसी वस्तुओं को व्यक्ति के दैनिक उपयोग में सम्मिलित किया जाता है, उसके पश्चात ही व्यक्ति की उत्पादकता का अनुभव होता है । प्रारम्भिक स्थिति में निरर्थक भूमि को अगर मनोरंजन स्थली उपयोगिता के लिये व्यक्ति से सम्बन्धित किया जाये और अनिवार्य रूप से व्यक्ति व उसका परिवार उसे मनोरंजन प्राप्त करे

और इस प्रकार की सभी भूमियों का सम्बन्ध नागरिको से जुड़ा हुआ हो तो व्यक्ति की क्षमता में अवश्य उन्नति होगी । किसी भी व्यक्ति की क्षमता के लिये जो अति आवश्यक क्रियाए होती है, उन्ही के कारण उनकी क्षमता बढ़ती है । इसी तरह अगर निरर्थक भूमि को भी अति आवश्यक क्रियाओं के अनुसार परिवर्तित कर दिया जाये तो क्षमता व्यक्ति की बढ़ सकती है । निरर्थक भूमि द्वारा जो भी मनोरंजन प्राप्त होगा वो व्यक्ति का मनोबल बढ़ायेगा और उसकी निरन्तर थकान व जीवन की कठोरता व नीरसता दोनो का ही भार उसके लिये कम हो जायेगा । बहुत से विकसित देशो ने भी इस प्रयास की सफलता अनुभव की है और उसके द्वारा ही मध्यम व निर्धन वर्ग के नागरिको का मनोबल ऊँचा हो सका है । वास्तव में ये मनोबल एक अदृश्य शक्ति है जिसका अनुभव होना व्यक्ति की उत्पादकता को बढ़ाता है । भारत, विशेषकर बुन्देलखंड के इस अविकसित क्षेत्र में इस मनोबल का अभाव है अगर विधि पूर्वक निरर्थक भूमि को शासन व नागरिको द्वारा सम्बन्धित किया जाये तो उत्पादकता में वृद्धि होगी । इस सम्बन्ध में पिछले अध्यायों में पूर्णतया [illegible] किया जा चुका है इस आधार पर नागरिक की कार्यक्षमता व उत्पादकता का अनुमान लगाया जा सकता है और उसके लिये कोई भी कार्य संचालित बनाया जा सकता है ।

जो सामान्य स्थिति से उत्पादकता यहाँ के नागरिको की रही है वो स्पष्ट है । इस सम्बन्ध में निरर्थक भूमि द्वारा जो उत्पादकता बढ़ने

की आधार है उसकी अवधि दो वर्ष मान कर उत्पादकता का अनुमान लगाया जा सकता है और प्रत्येक दो वर्ष की अवधि लेकर प्रारम्भिक उत्पादकता व नई उत्पादकता के अन्तर को समझा जा सकता है। इस प्रकार की कार्य प्रणाली में सर्वप्रथम निरर्थक भूमि को प्रत्येक व्यक्ति के कार्य का अंग बनाना होगा और उसके पश्चात उस भूमि से व्यक्ति के सम्बन्ध जोड़ने होंगे। ये सम्बन्ध कार्य सम्बन्धी होंगे सहकार सम्बन्धी होंगे और इन दोनो प्रकार के निरर्थक भूमि के सम्बन्ध व्यक्ति को मनोरंजन देंगे, जिससे उसके व उसके परिवार के मनोबल बढ़ने से कार्य क्षमता में वृद्धि आयेगी । इसी प्रकार से ग्राम वर्ग के स्त्री पुरुष निरर्थक भूमि के भागी बन सकेंगे और इस विधि द्वारा निरर्थक भूमि की उत्पादकता व्यक्ति द्वारा बढ़ सकेगी । निरर्थक भूमि को व्यक्ति की जीवन चर्या से जोड़ना एक नई तकनीकि बन गई है ।

B. (ii) Motivation for economic and social uplift :-

आर्थिक व सामाजिक उन्नति के लिये व्यक्ति को प्रोत्साहित करना पड़ता है। जो भी व्यक्ति के सामाजिक बन्धन होते है उनमें समय समय पर परिवर्तन आते रहते है । कुछ परिवर्तन स्वाभाविक रूप से आते है व कुछ परिवर्तन शासन व व्यक्ति स्वयं करता है । इस प्रकार के परिवर्तनो से व्यक्ति को आर्थिक क्षेत्रो में सफलता मिलती है और वो प्रोत्साहित हो

जाता है । आधुनिक युग में व्यक्ति को प्रोत्साहित करना एक तकनीक माना गया है और जिसका प्रयास निरन्तर किया जाता है । किसी भी प्रकार की उन्नति के लिये केवल एक बार या एक प्रकार का प्रोत्साहन लाभप्रद नहीं होता है । समयानुसार व्यक्ति की परिस्थिति बदलती रहती है और ये आवश्यक नहीं है कि परिस्थितियाँ व्यक्ति के स्वभाव । Mood । के अनुसार हो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति की क्षमता बदलने लगती है। समयानुसार अगर व्यक्ति को प्रोत्साहन मिलता रहे तो उसका सामाजिक जीवन सुखी बन जायेगा और उसके साथ में उसकी आर्थिक शक्ति भी बढ़ने लगेगी । किसी भी कार्य को करने के लिये आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है, जिससे कि व्यक्ति का प्रयास विफल ना हो जाय अल्प विकसित क्षेत्रों में विशेषकर आर्थिक व सामाजिक प्रयास के लिये प्रोत्साहित करना पड़ता है, जिससे आर्थिक लागत व उसका प्रतिफल निर्धारित किया जा सके । विकसित क्षेत्रों में जैसे विनियोगिता की विधि का अनुमान लगाया जाता है उससे अधिक आवश्यकता इस बात की है कि अल्प विकसित क्षेत्रों में लागत पर ध्यान रखते हुये कौन सी ऐसी विधि अपनाई जाये जिससे व्यक्ति प्रोत्साहित हो और अपनी क्षमता बढ़ा कर देश का उत्थान करे । सबसे उचित व लाभप्रद वही विधि होती है जिससे व्यक्ति, स्थान व क्षेत्र सबको ही लाभ व प्रोत्साहन मिलता रहे जो सरल भी हो और हेय के

निवासियो को आकर्षित भी करे । नई तकनीक के अनुसार विभिन्न स्त्री पुरुष सभी आयु के व्यक्ति आकर्षित हो, विनियोगिता की सीमाए भी उचित हो और निरन्तर निवासियों को ऐसी व्यवस्था के प्रयोग से ना केवल प्रोत्साहन ही मिलता रहे बल्कि उसके साथ में कार्यक्षमता में भी अधिकतम वृद्धि होती जाये । आधुनिक जगत की परिस्थितियाँ ऐसी है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति उलझा रहता है और जिसमें गतिके साथ क्षमता अगर मिलती जाये तो उत्थान होना स्वाभाविक है । इस प्रकार से प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुये ये आवश्यक हो जाता है कि किसी भी क्षेत्र के सभी वर्ग एक ही स्त्रोत में परिस्थितियो का सामना करे और सामूहिक रूप से ही उनका उद्धार हो सकता है, सभी किसी क्षेत्र के नागरिक उन्नति की आशा कर सकते है । विकास के लिये प्राचीन व नवीन पद्धतियाँ दोनो ही मिल कर क्षमता को बढ़ाती है । किसी भी व्यक्ति का ज्ञान व ट्रेनिंग अधूरी है जब तक कि निरन्तर वह व्यक्ति अपने कार्य से आकर्षित ना होता रहे । औद्योगिक व्यक्ति व आधुनिक परिस्थितियों में व्यक्ति थकान का अनुभव करता है और उसके कार्य में कोई आकर्षण नही रह जाता और उसको प्रत्येक कार्य निर्जीव लगता है । इस निर्जीवता व थकान को दूर करने के लिये म मनोरंजन का बहुत कम सहारा पहले लिया गया है । किसी वस्तु से आकर्षित व रोमांचित होना एक प्राकृतिक स्थिति होती है और उसमें प्राकृतिक शक्ति ही सहारा दे सकती है।

इस सम्बन्ध में निरर्थक भूमि का एक बड़ा योगदान हो सकता है । निरर्थक भूमि का सम्बन्ध व्यक्ति से जोड़ा जा सकता है व व्यक्ति की दिनचर्या में, और समस्त निवासियों को निरर्थक भूमि द्वारा प्रेरणा मिल सकती है । इस प्रकार से अगर निरर्थक भूमि को प्रयोगशील बना कर व्यक्ति की विभिन्न क्रियाओं में निरर्थक भूमि का सम्बन्ध जोड़ कर व्यक्ति के जीवन को आकर्षित बनाया जा सकता है । निरर्थक भूमि से सम्बन्ध रख कर व्यक्ति को सन्तुष्टि मिलेगी उसकी कार्य निष्क्रियता का प्रभाव कम होता जायेगा, व्यक्ति की उत्पादकता बढ़ने लगेगी व उसका जीवन आकर्षण मय होता जायेगा और उसको कार्य के प्रति घृणा नहीं रहेगी, क्यों कि थकान की स्थिति बदलने के लिये निरर्थक भूमि का आकर्षण उसको सदा रोमांचित करता रहेगा । इस प्रकार से यह कहा जा सकता है कि निरर्थक भूमि की तकनीक का प्रयोग अधिक से अधिक करना चाहिये । उसकी सहायता से जो मनोरंजन प्राप्त होता है उससे प्रत्येक प्राणी का सम्बन्ध प्रकृति से जुड़ा रहता है और संसार की भौतिकता की स्थिति में वो सन्तुलन बनाए रख सकता है । ये देखा गया है कि जिन व्यक्तियों का अधिक सम्बन्ध प्रकृति से रहता है उनकी कार्यक्षमता कहीं अधिक होती है अपेक्षाकृत उन व्यक्तियों से जिनका सम्बन्ध व कार्यशीलता प्रकृति से दूर रहती है । यही कारण है कि कार्य करने के व रहने के वातावरण को सुधारने का प्रयास निरन्तर किया जाता है।

कार्य करने का व रहने का वातावरण अधूरा है जब तक कि व्यक्ति को अपनी कार्यक्षमता के उत्थान के लिये मनोरंजन की सुविधा ना मिले । मनोरंजन का तात्पर्य केवल मनोरंजन ही नहीं है परन्तु मनोरंजन के प्रभाव से है जिसकी सहायता से व्यक्ति शक्ति व विश्वास का अनुभव करता है व अपनी कार्यक्षमता को बढ़ाता है । ये कथन सत्य है कि अगर मनुष्य के वातावरण को बदल दिया जाये तो मनुष्य बदल जायेगा ।

---=:0:=---

C- Economics of outdoor recreation:-

प्राचीन समय से ही मनोरंजन का रूप एक जननी का रहा है। मनोरंजन में एक अनोखापन होता है जो कि व्यक्ति को एक ओर तो कार्य से अलग करता हैऔर दूसरी ओर उसी व्यक्ति को कार्य करने के उपयोगी बना देता है । इस प्रकार सेकहा जा सकता है कि मनोरंजन आज के युग में भावना ही नहीं रह गया है परन्तु व्यक्ति के प्रतिदिन के जीवन में एक अनोखी शक्ति देता है । वास्तव में परिश्रम के पश्चात मनोरंजन द्वारा व्यक्ति की शक्ति व उसकी भावनाएं पुर्नजागृति हो जाती है । वर्तमान आधुनिक युग में भौतिकता के वातावरण में व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत करता है और ऐसे व्यक्ति के वास्तविक जीवन का ना तो कोई प्रारम्भ ही होता है और ना कोई अन्त । इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति जो अपना जीवन व्यतीत करता है वो अपने जीवन काल में सदा ही कार्य में जुटता रहता है और उसको भौतिकवाद में कोई विश्राम नहीं मिलता 2उसकी कार्यक्षमता को केवल यांत्रिक मापन दिया जाता है । एक सीमा ऐसी आ जाती है जब कि उसकी क्षमता कम होती जाती है और उसका स्थान अन्य शक्तिवान श्रमिक को मिल जाता है । ये क्रम चलता रहता है और इस प्रकार से श्रमिक के जीवन काल में भौतिकवाद के वातावरण में, उसकी मशीनी युग में अपने जीवन को समर्पित कर

देना पड़ता है । इस प्रकार से अधिक धन उस मृतक मशीन की सफलता को लिये दिया जाता है और जीवित श्रमिक अपना आस्तित्व खोकर काम में लग जाता है, जिस की ओर किसी का ध्यान नहीं है और ऐसी स्थिति में श्रमिक बिना किसी मनोरंजन सुविधा के बेसहारा बन जाता है और उस मशीन को सुधार कर मशीन द्वारा ही सब कुछ उपलब्ध कराना पड़ता है। ये आधुनिक औद्योगिकरण की परम्परा है । परन्तु श्रमिक के जीवन काल को देखा जाये तो उसका जीवित अस्तित्व मृत मशीन में समर्पित हो जाता है और श्रमिक के जीवन काल में उसका अपना कुछ नहीं रह जाता है ।

आधुनिक युग में ये अत्यन्त आवश्यक है कि मशीनी युग के साथ व्यथित जीवन को भी सदा सुरक्षित रखा जाये । पर्यावरण ही एक ऐसी प्राकृतिक सुविधा है जो कि मनोरंजन के द्वारा व्यथित को जीवनदान दे सकती है। ऐसे संकट में केवल अध्यात्मवाद ही सहायक हो सकते है जो कि व्यथित को मनोरंजन द्वारा न केवल रहना सिखाता है अपितु उसकी कार्य क्षमता को भी उच्चतम शिखर पर पहुँचा सकता है । इस प्रकार से विचार करना होगा कि क्या हम इस सामाजिक प्राणी को दूषित वातावरण में जीने दे या उसको हम मनोरंजन द्वारा सुरक्षित रख कर उसकी सारी क्षमताओं बढ़ा दें ।

औद्योगिक वातावरण व समाज में इस समय सर्वप्रथम महत्ता इस बात की है कि व्यक्ति अतिरिक्त समय को किस प्रकार से उपयोग में लाये । एक ओर तो कार्य का निर्माण होता है और दूसरी ओर अतिरिक्त समय व्यक्ति के पास बढ़ता जाता है । जहाँ पर कार्य निर्माण है वहाँ पर श्रम व उसका कल्याण किया जाता है और दूसरी ओर जहाँ पर अतिरिक्त समय है वहाँ पर उस अतिरिक्त समय को उपयोगी बनाने का प्रथम कर्तव्य अर्थशास्त्री का हो जाता है । अतिरिक्त समय को तुरंत कार्य में बदल देना कठिन होता है परन्तु इसको मनोरंजन के माध्यम से कार्य रूपी बनाया जाता है और एक सीमा ऐसी आती है जब मनोरंजन के द्वारा अतिरिक्त समय, कार्य की रचना करके उसमें मिश्रित हो जाता है। इस प्रकार व्यक्ति के लिये जितना कार्य महत्व पूर्ण है उतना ही अतिरिक्त समय । ये तभी सम्भव है जब कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में मनोरंजन अनिवार्य कर दिया जाये । ये वही अवसर है जिससे व्यक्ति मनोरंजन की उच्च सीमा पर पहुँच कर जीवन का अत्यधिक सुख भोग सकता है । जिस प्रकार से कार्यों में परिवर्तन होता जाता है उसी प्रकार से मनोरंजन भी चलने चाहिये । प्राकृतिक देन अनन्त है और व्यक्ति स्वतन्त्र है कि वो अपने अतिरिक्त समय को किस प्रकार से प्राकृतिक शक्तियों द्वारा उपयोगी बना सके । इससे ये सिद्ध होता है कि मनोरंजन अब एक आर्थिक समस्या बन गई है ।

बुन्देलखंड में भी मनोरंजन के साधनो का अन्य स्थानो की तरह अभाव है । जिस प्रकार से विकास की गति बढ़ती जाती है, उसके अनुसार मनोरंजन के साधनो की गति नही बढ़ती है । जब किसी भाग को हम विकसित करना चाहते है तो केवल आर्थिक विकास ही हमारी सीमा रह जाती है और व्यक्ति की उन्नति का मापन व्यक्तिगत आय (Per Capita Income) को लेकर हम सन्तुष्ट हो जाते है और विकास की गति के साथ इस प्रकार से मनोरंजन की गति नही बढ़ पाती मनोरंजन अर्थशास्त्र के अन्तर्गत संस्था रूपी ढ़ाँचा स्थापित करने का कार्य अर्थशास्त्रो का रह जाता है और उसी के आधार पर वो आर्थिक पसन्दगी (Economic Choices) करते है और इस प्रकार से विभिन्न संस्थाओं में प्रत्यय धारण उन क्रियाओं का होता रहता है । अब ये एक ऐसा समय आ गया है जब कि मनोरंजन एक आर्थिक समस्या बन गई है और अतिरिक्त समय के लिये स्वतन्त्र रूप से पसन्दगी करनी होगी जिससे मनोरंजन द्वारा व्यक्ति लाभ ग्रहण कर सके । इस प्रकार से इस वर्तमान अर्थ व्यवस्था में श्रम ही एक समस्या नही है परन्तु उससे अधिक अतिरिक्त समय की समस्या बन गई है । प्रत्येक दिन में जितना कोई व्यक्ति कार्य में व्यस्त रहता है वो तो उसका प्रतिदिन का कार्य है जितने उसका जीवन निर्वाह होता है, परन्तु उससे अधिक महत्व पूर्ण इस व्यक्ति का प्रत्येक दिन का अतिरिक्त समय है

जिसको उत्पादकीय बनाना होगा । इस प्रकार से कार्य करने व परिश्रम के पश्चात व्यक्ति के अतिरिक्त समय को व उसकी आन्तरिक शक्ति को मनोरंजन, पॉजिटिव बना सकता है, जिसका प्रयास करना होगा ।

बुन्देलखंड उत्तर प्रदेश का एक ऐसा भाग है जहाँ पर निरर्थक भूमि को प्रत्येक व्यक्ति के जीवन से अत्यधिक सम्बन्धित करना होगा और मनोरंजन के माध्यम से ही निरर्थक धरती बुन्देलखंड के निवासियों को जीवनदान दे सकती है । मनोरंजन को विज्ञान की श्रेणी में रखना होगा जिससे निरर्थक भूमि का उपयोग अतिरिक्त समय में एक आर्थिक कर्तव्य बन जाये । प्रकृति की प्रत्येक वस्तु उपयोगी होती है और उस को ग्रहण करने का आधार उसका आर्थिक रूप होता है । यही कारण है कि कोई भी व्यक्ति निर्जीव नहीं है और प्रत्येक विज्ञान का कार्य है कि उस शक्ति की नीरसता को उदारता में बदल दे । इसी प्रकार से ये कहा जा सकता है कि निरर्थक भूमि की सर्वोपयोगिता का अनुभव नहीं हो पाता है और ये व्यक्ति की अज्ञानता है कि वो निरर्थक भूमि को ठुकराये हुये है । ऐसी स्थिति में आर्थिक ज्ञान के अनुभव से निरर्थक भूमि को मनोरंजन जैसी शक्ति से सुसज्जित करना होगा और बुन्देलखंड का प्रत्येक प्राणी अपने विभिन्न कार्य में निरर्थक भूमि के मनोरंजन के योगदान को सम्मिलित कर सकेगा । यही विचार मनोरंजन अधिकार में आता है । मनोरंजन एक ऐसी

आर्थिक परमशक्ति है जिस को किसी ढंग से नहीं खरीदा जा सकता परन्तु उसका केवल अनुभव किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जो मनोरंजन का छिपा हुआ अनुभव होता है वो व्यक्तियों की आन्तरिक शक्तियों को जागृत करता है व विभिन्न आर्थिक व सामाजिक प्रयासों को बल देता है और जिसके द्वारा आर्थिक उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। ये ही वास्तव में जीवन का मूल है, शक्ति है जिसके लिये सदा ही व्यक्ति प्रयास करता रहता है और जिसके द्वारा वह आर्थिक सम्पन्नता ग्रहण करता रहता है। यही कारण है कि मनोरंजन को रचनात्मक कहा गया है। अंग्रेजी शब्द के अगर दो टुकड़े किये जाये तो उसका अर्थ हो जाता है पुनः निर्माण। उसमें भी एक अंग्रेजी शब्द का अनोखा हृदय मिलता है व सुझाव देता है कि मनोरंजन द्वारा पुनः निर्माण शक्तियाँ व्यक्ति की जागृत की जा सकती है जिससे आर्थिक उत्पादकता व्यक्ति की बनती जाती है।

---:0:---

D-Recreational use of wild land:-

अब ये बात निश्चित हो जाती है कि निरर्थक भूमि बुन्देलखंड के नागरिकों के लिये एक महत्व पूर्ण आर्थिक शक्ति है । जिस प्रकार से भूमि के विभिन्न उपयोग से व्यक्ति व समाज को जीवनदान मिलता है उसी प्रकार से निरर्थक भूमि को मनोरंजन के उपयोग में लाया जा सकता है । प्राचीन समय से ही व्यक्ति की भूमि से निर्भरता रही है और किसी भी समाज में निरर्थक भूमि को आवश्यकतानुसार परिवर्तित करके नहीं रूप दिया जा सकता है, जिससे व्यक्ति के माध्यम द्वारा उसकी आर्थिक व सामाजिक शक्ति की पूर्ति होती रहे । निरर्थक भूमि को मनोरंजन के योग्य बनवाने के लिये ना केवल व्यक्ति व समाज के प्रयास की आवश्यकता है परन्तु उसके साथ में ये आवश्यक हो जाता है कि सैद्धान्तिकता व औपचारिकता को ध्यान में रख कर शासन निरर्थक भूमि को मनोरंजन के लिये परिवर्तित करने में, हर प्रकार की आर्थिक सहायता देने के साथ साथ में विभिन्न समाज वर्गों के साथ भी सहभागिता के आधार पर निरर्थक भूमि को मनोरंजन के लिये उपयोगी बनाये । मनोरंजन के लिये निरर्थक भूमि पर अधिकार किसी विशेष वर्ग का नहीं है परन्तु इस प्रकार की व्यवस्था बुन्देलखंड के क्षेत्र में बनने की आवश्यकता है जिससे समाज का प्रत्येक वर्ग समान रूप से मनोरंजन के लिये निरर्थक भूमि का उपभोग कर सके । जिस

प्रकार से भूमि व्यक्ति के लिये अनाज उत्पन्न करती है, जिस प्रकार से प्राकृतिक शक्ति मनुष्य को जीवन दान देती है, जिस प्रकार से पानी के झरने, नदियाँ, तालाब, सूखी भूमि व मनुष्य की प्यास बुझाती है, जिस प्रकार से पशु पक्षी प्राकृतिक सौन्दर्य को जन्म देते है व जिस प्रकार से नगर, ग्राम, औद्योगिक संस्थाएं, वन, मानव को विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ प्रदान करते है, जिस प्रकार से कला, विज्ञान, संस्कृति देश को जीवनदान देती है, उसी प्रकार से निरर्थक भूमि को अपार शक्ति मनोरंजन केन्द्रो व संस्थाओ के द्वारा व्यक्ति व समाज को उत्तेजित कर सकती है जिससे निराशावादी भावनाए व्यक्ति की आशावादी वास्तविकता में बदली जा सकती है और जिसका विशेष रूप से आर्थिक महत्व बन जाता है । इस प्रेरणा से विभिन्न आर्थिक शक्तियाँ अधिकतम आर्थिक उपलब्धियाँ कर सकती है । यही कारण है कि आज का युग अपने तकनीकि ज्ञान से ना केवल विभिन्न प्रकार की उपलब्धियाँ करता है परन्तु मानसिक व शारीरिक वातावरण कोइ अच्छा बनाने का प्रयास करता है । निरर्थक भूमि से मनोरंजन प्राप्त करना ही केवल एक ऐसी महान शक्ति मानव हो सकता है जिससे विभिन्न आर्थिक व सामाजिक विषमताए दूर हो सके और उसके साथ में व्यक्ति का मनोविज्ञान व भौतिक विज्ञान बदला जा सके । देश की सभ्यता का इससे ही निर्माण होता है । जिस प्रकार से व्यक्ति के लिये

विभिन्न प्रकार की आर्थिक व सामाजिक शक्तियाँ उसके जीवन निर्वाह के लिये आवश्यक होती है, उसी प्रकार से मनोरंजन की सीमाएं केवल कुछ ही लोगों के लिये ना हो । मनोरंजन की शक्तियों को आधार बना कर प्रत्येक आर्थिक, सामाजिक व मानसिक उपलब्धियों की एक नई रूप रेखा देनी होगी जो कि मनोरंजन के अभाव से सम्भव नहीं हो सकती । निरर्थक भूमि पर जो मनोरंजन प्राप्त होता है तो व्यक्ति की आन्तरिक शक्तियों में बढ़ जाता है और वे व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से भिन्न हो जाता है । यही कारण है कि विकासशील आर्थिक समाजों में निरर्थक भूमि एक महत्व पूर्ण योगदान दे रही है ।

बुन्देलखंड में जो निरर्थक भूमि के भाग है, उनको वहाँ के नागरिकों व सरकार द्वारा मनोरंजन के लिये उपयोगी बनाने की तुरन्त आवश्यकता है । इस सम्बन्ध में ये ध्यान रखना होगा कि जो भी कदम उठाए जाए वो ऐसे हो जो कि बुन्देलखंड के निवासियों की सीमा में हो और उसी के अनुसार धनराशि सरकार व विभिन्न व्यक्तियों द्वारा निरर्थक भूमि पर मनोरंजन के लिये लगाई जाये । निरर्थक भूमि सम्बन्धी ऐसी योजनाओं का निर्माण होना चाहिये जिनमें बुन्देलखंड क्षेत्र के अधिकतम निवासी निरर्थक भूमि का मनोरंजन के माध्यम से उपयोग कर सके । इन योजनाओं में इस बात का ध्यान रखना होगा कि कम से कम सप्ताह में

हो सके प्रत्येक व्यक्ति का सम्पर्क निरर्थक भूमि के मनोरंजन केन्द्रों से होता रहे और प्रत्येक व्यक्ति की सीमा के अन्दर से विभिन्न स्थान हो । निरर्थक भूमि पर प्राकृतिक व मानवीय दोनो शक्तियों का उपलब्ध कराना होगा और इन स्थानो को आकर्षित बनाना होगा । ऐसे निरर्थक भूमि के केन्द्रो में मनोरंजन के तत्वाधान में अन्तर्गत जो भी योजनाओ का निर्माण होगा उनमें समाज के सभी वर्गों के लिये ऐसी व्यवस्था करनी होगी जिससे सामूहिक रूप से व्यक्ति सम्मिलित हो सके और मनोरंजन से ये केन्द्र व्यक्ति को उल्लास पूर्ण बना कर उनकी आर्थिक क्षमताओं को अधिकतम सीमा तक पहुँचा सके । निरर्थक भूमि व्यक्ति के लिये आर्थिक सफलता का एक द्वार बन जाना चाहिये । जिस प्रकार से बुन्देलखंड में आर्थिक विकास के लिये विभिन्न योजनाए चल रही है, उसी प्रकार से निरर्थक भूमि का विकास मनोरंजन के लिये होना चाहिये और निश्चित रूप से इनकी योजना बनानी चाहिये । निरर्थक भूमि को सुरक्षित करके प्राकृतिक वातावरण को सुरक्षित किया जा सकता है । निरर्थक भूमि में सभी प्रकार की प्राकृतिक शक्तियाँ को बुन्देलखंड में रक्षित करना होगा जिससे उनको आवश्यकतानुसार मनोरंजन के लिये परिवर्तित किया जा सकता है । इस प्रकार से निरर्थक भूमि पर मनोरंजन केन्द्रो के रूप में निर्माण होता रहेगा और उसकी प्रचलितता वही होगी जो कि किसी अन्य नगर व ग्राम की होती है । इन पर समाज के

प्रत्येक वर्ग कर समान रूप से आधिपत्य रहेगा । प्रत्येक व्यक्ति इसमें अपना सम्बन्ध जोड़ सकेगा, चाहे वो मध्यम वर्ग हो, निम्न या उच्च वर्ग । आज का युग भौतिकता का युग है । अक्सर व्यक्ति भौतिकता से ऊब जाता है व उसमें जो नीरसता व अभाव उत्पन्न होता है उसको वो पूरा नहीं कर पाता है जिसका परिणाम ये होता है कि व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है । यदि हम निरर्थक भूमि का उपयोग मनोरंजन स्थलों के रूप में करेंगे तो यह एक ऐसा आदर्श स्थल होगा, जहाँ पर व्यक्ति भौतिकता व नीरसता से उत्पन्न अभाव को प्राकृतिक माध्यम से पूरा कर सकेगा । बुन्देलखंड का पर्यावरण व स्थलरेखा इस प्रकार की है और यहाँ पर इतनी अधिक मात्रा में निरर्थक भूमि है कि हम निरर्थक भूमि का मनोरंजन स्थलों के रूप में परिवर्तन आसानी से कर सकते है जिस से समस्त बुन्देलखंड के निवासी लाभान्वित हो सकेंगे । इन स्थलों के निर्माण में समाज के प्रत्येक वर्ग को अपना विचार व अपना योगदान देना होगा । उनका दृष्टि कोण इस प्रकार बनाना होगा कि वो निरर्थक भूमि के महत्व को समझे व उसे सम्पर्क स्थापित करना चाहे । शासन किसी योजना को प्रारम्भ कर सकता है किन्तु वो योजना विकसित तभी हो पाती है, जब कि समाज के प्रत्येक वर्ग को उसमें सम्मिलित किया जाये । बुन्देलखंड के इन क्षेत्रों को मनोरंजन स्थलों के रूप में परिवर्तित करते समय हमें एक बात का विशेष रूप

ले ध्यान रखना पडेगा कि जब हम बुन्देलखंड के विभिन्न क्षेत्रो की निरर्थक भूमि को मनोरंजन केन्द्रो के रूप में स्थापना करे, तो किसी भी क्षेत्र विशेष को ध्यान में रख कर ये विकास ना करे वरन सम्पूर्ण बुन्देलखंड को ध्यान में रख कर ये विकास करे । अगर कोई क्षेत्र विशेष तो विकसित हो जाये और अन्य भाग उपेक्षित पडा रहे तो इससे ना तो समाज को लाभ मिल सकता है और ना ही सम्पूर्ण बुन्देलखंड क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो सकता है । बुन्देलखंड के सर्वांगीण विकास के लिये सम्पूर्ण क्षेत्र का विकास अत्यत आवश्यक है । एक अन्य बात का भी हमें ध्यान रखना पडेगा कि ये समस्त स्थल नगर व आबादी के करीब हो जिससे समाज का प्रत्येक वर्ग लाभान्वित हो सके, विशेष कर मध्यम व निम्न वर्ग । यदि ये स्थल नगर व आबादी के करीब नही होगे तो प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति इन तक आसानी से नही पहुँच पायेगें और इनकी कोई उपयोगिता नही रह जायेगी व इनका जो उद्देश्य है प्रत्येक वर्ग की कार्यक्षमता को बढ़ाना जो समाप्त हो जायेगा ।

अब यें प्रश्न उत्पन्न होता है कि हम इन मनोरंजन स्थलो का विकास किस प्रकार से करे, इनकी रूप रेखा किस प्रकार की तैयार करे कि ये समस्त वर्ग के लिये समान रूप से लाभकारी हो व प्रत्येक वर्ग इनमें रूचि ले सके । बालक व बड़े अपने अपने अनुरूप मनोरंजन प्राप्त कर सके अर्थात सभी आयु व वर्ग के स्त्री पुरूष का इनसे घनिष्ट सम्बन्ध बना रहे। हमारे

समाज में जिस प्रकार की सामूहिक विकास योजनाए बनती है हमें उन्ही के सिद्धान्तो पर पृथक रूप से बुन्देलखंड क्षेत्र में मनोरंजन विकास योजनाए प्रारम्भ करनी चाहिये और उसके लिये पूर्ण रूप से सम्पूर्ण योजना तैयार करनी चाहिये, जिससे निरर्थक भूमि की सम्पूर्ण प्राकृतिक शक्तियाँ जैसे बुन्देलखंड के टीले, खंडहर, प्राचीन किले, नदी व तालाबो के चारो ओर विभिन्न मनोरंजन केन्द्रो की स्थापना करनी चाहिये। बुन्देलखंड में बहुत से टीले खंडहर व किले आदि इस प्रकार के है कि जिनका कोई संरक्षक नही है, यदि सरकार उन्हे अपने संरक्षण में ले ले और उनकी उचित देखभाल करे, उन्हे मनोरंजन केन्द्रो के रूप में विकसित करे, तो हमे इनसे दोहरा लाभ प्राप्त होगा। एक ओर तो ये अच्छे मनोरंजन स्थल बन जायेंगे दूसरी ओर हम अपनी प्राचीन सम्पत्ति की रक्षा भी कर सकेंगे। किन्तु निरर्थक भूमि को मनोरंजन स्थलो के रूप में परिवर्तित करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि रूप परिवर्तन करते समय उसकी प्राकृतिकता ना समाप्त हो जाये अर्थात ये समस्त स्थल प्राकृतिक पर्यावरण में ही विकसित हो जिससे मानव प्राकृतिक शक्तियों को ग्रहण कर ले व अधिकतम लाभ उठा सकें।

बुन्देलखंड में जो विपुल मात्रा में टीले खंडहर व किले आदि है उनको हम प्राचीन वस्तुओ के संग्रहालय के रूप में विकसित कर सकते हैं।

जहाँ पर जाकर व्यक्ति अपनी प्राचीन संस्कृति व इतिहास का अवलोकन कर सके, ज्ञान प्राप्त कर सके कि प्राचीन संस्कृति किस प्रकार की थी आदि-आदि । टीले के चारों ओर व तालाबों और नदियों के किनारे हम पार्क, खेल के मैदान आदि का निर्माण कर सकते है । तालाबों में हम मछली पालन उद्योग को प्रोत्साहित कर सकते हैं व नदियों में और टीलों के निकट कृत्रिम झीलों में हम नौका विहार का प्रबन्ध कर सकते है । अन्य खाली भूमि पर हम "नेशनल पार्क सिस्टम" को आधार मान कर ऐसे पार्कों का निर्माण कर सकते है जहाँ पर विभिन्न प्रकार के पशु-पक्षी आदि को प्राकृतिक वातावरण में रखा जाये, जैसे कि वो जंगल में रहते है । इन समस्त स्थलों का निर्माण इस रूप में करना चाहिये कि प्रत्येक वर्ग व आयु का व्यक्ति अपने अनुरूप मनोरंजन प्राप्त कर सके । इसके लिये शासन को निरर्थक भूमि की सभी मनोरंजन केन्द्रों की योजनाओं को सड़कों द्वारा जोड़ कर उन तक न्यूनतम दरों पर आने जाने की परिवहन सुविधाए उपलब्ध कराना चाहिये । इस प्रकार से कुछ विचार कर शासन को एक मनोरंजन ढाँचा तैयार करना चाहिये जिससे कि ग्रामीण व शहर जीवन में ऐसा विकास हो जायेगा जिससे कि क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को वृद्धि मिलेगा ।

यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जिस प्रकार से खेती के लिये

भूमि का उपयोग किया जाता है, उद्योग के लिये केन्द्रो का निर्माण किया जाता है उसी प्रकार से निरर्थक भूमि का केवल मनोरंजन केन्द्रो के लिये उपयोग करना चाहिये बढ़ावा विकास करना चाहिये । जो भी निरर्थक भूमि प्रत्येक क्षेत्र में उपलब्ध है उसको अधिकतर मनोरंजन के लिये रक्षित कर देना चाहिये और किसी भी अन्य कार्य के लिये इस का उपयोग वर्जित कर देना चाहिये । यह कार्य शासन द्वारा होना चाहिये और अत्यन्त कड़ाई से इसका पालन होना चाहिये । जिस प्रकार से विभिन्न क्षेत्रो में जैसे कृषि व औद्योगिक क्षेत्रो में जो विकास का प्रशासनिक व कार्यकर्त्ताओं का ढाँचा होता है, उसी प्रकार से निरर्थक भूमि के मनोरंजन के लिये अलग से योजना होनी चाहिये, जिस से वहाँ के निवासी व अन्य व्यक्ति लाभ उठा सके । एक प्रकार से मनोरंजन व व्यक्ति का समीकरण हो जाना चाहिये । इस प्रकार के केन्द्रो से जो मनोरंजन का लाभ प्राप्त होगा वो वैसा ही होगा जिस प्रकार से मनोरंजन के द्वारा बुन्देलखंड के निवासियो में एक प्रकार की विशेष शक्ति, आत्मविश्वास व कार्यक्षमता जागृत हो जायेगी जो पहले कहीं भी नही देखी गयी हो । ये कार्यक्षमता उद्योगो, कृषि आदि के विकास में सहायक होगी और व्यक्तियों को भौतिकता से उत्पन्न संकट से छुटकारा दिला कर मानव का सम्बन्ध प्राकृतिक शक्तियों से जोड़ेगी ।

---:10:---

E- Ecological preservation:-

आधुनिक युग की विडम्बना है कि आर्थिक विकास की योजना बनाने में एक ओर तो उत्पादन को तकनीकि शक्ति से बढ़ाने का प्रयास किया जाता है और दूसरी ओर भूमि की पर्यावरण की परिस्थिति को सुरक्षित रखना भूल जाते है । विकास व पर्यावरण एक दूसरे में इतना मिश्रित होता है कि दोनो को अलग अलग महत्ता का अनुभव करना कठिन हो जाता है । इस प्रकार से पर्यावरण व परिस्थिति जगत की प्राकृतिक शक्तियां धीरे धीरे कम होती जाती है और उनका योगदान व्यक्ति के सम्पूर्ण जीवन में धीरे धीरे कम होता जाता है । इन प्राकृतिक कमी को बिना अनुभव किये व्यक्ति भौतिक विकास में उलझता जाता है और विभिन्न तकनीकि उपलब्धियो की शक्ति को अपनाने लगता है । ये निश्चित है कि परिस्थिति विज्ञान व पर्यावरण की कमी को किसी भी प्रकार की तकनीकि शक्ति द्वारा पुर्नजीवित नही किया जा सकता है । व्यक्ति अपनी जीविका के लिये पहाडी के ढाल पर जंगल काट काट कर खाने के लिये धान बोता है, नदियों की बाढ़ भूमि को बदलती जाती है नदी पर बांध बनाए जाते है और पानी रोकने के बाद आ जाता है और पृथ्वी की प्राकृतिक पानी की धाराएं असन्तुलन की स्थिति में है ।

व्याप्त हो जाती है और छोटी छोटी नदियों की सतह पर रेत जमने लगता है और पानी की मछलियां अपना जीवन दान दे देती है । इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि प्रत्येक प्राकृतिक शक्ति का व्यक्ति के जीवन से घनिष्ट सम्बन्ध है और अगर व्यक्ति को प्राकृतिक शक्ति से कुछ पाना है तो प्राकृतिक शक्ति को सुरक्षित रखना उसका कर्तव्य हो जाता है । बहुत सी प्राकृतिक शक्ति जो अदृश्य रूप में व्यक्ति को जीवन दान देती रहती है, उसका अनुभव व्यक्ति नही कर पाता है और प्राकृतिक शक्ति छिप कर सहारा देती रहती है। आर्थिक विकास करने में इस बात का ध्यान रखना होगा कि तकनीकि व विज्ञान की शक्ति से आर्थिक उपलब्धियाँ होती रहे और प्राकृतिक शक्ति व तकनीकि शक्ति का सन्तुलन बना रहे । प्रत्येक दिन के जीवन में वातावरण दूषित होने के कारण व परिस्थिति विज्ञान के धीरे धीरे नष्ट होने के कारण भयंकर रूप से प्राकृतिक प्रकोप आता रहता है जैसे नई नई बीमारियों का फैलना, मौसम की विषमताए व पृथ्वी द्वारा व्यक्ति की शक्ति का हनन आदि ।

अर्थशास्त्र में जिस प्रकार से माँग व पूर्ती उत्पादन व उपभोग की सीमाए व सन्तुलन की आवश्यकता होती है जिसमें व्यक्ति विशेष का योग दान रहता है। अगर इनका सन्तुलन बिगड़ जाये तो अर्थ व्यवस्था को सम्भालना कठिन हो जाये और उसका दुष्परिणाम समाज में संकट के रूप में

पड़ेगा । इसी प्रकार से अगर विभिन्न प्राकृतिक शक्तियों में असमानता व असन्तुलन हो जाये तो उसका दुष्परिणाम ना केवल व्यक्ति पर ही पड़ेगा परन्तु सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था बिगड़ जायेगी । आर्थिक विकास, परिस्थिति विज्ञान के आधार पर होना चाहिये और सदैव इस बात का प्रयास करना चाहिये कि मानवीय व प्राकृतिक सन्तुलन ना बिगड़ जाये । उत्तर प्रदेश का बुन्देलखंड एक ऐसा भाग है जिसमें अधिकतर प्राकृतिक शक्तियाँ सुरक्षित है जो कि निरर्थक भूमि के रूप में उपलब्ध है। सम्पूर्ण बुन्देलखंड की परिस्थिति ज्ञान द्वारा व्यक्ति विशेष व समाज सम्पूर्ण रूप से उसका फल भोग सके । इस भाग में आर्थिक विकास सम्बंधी योजना में परिस्थिति विज्ञान के आधार पर निरर्थक भूमि को आर्थिक उपयोगी, मनोरंजन द्वारा बनाया जाये । इस प्रकार से परिस्थिति सुरक्षित भी रहेगी और मनोरंजन के माध्यम से निरर्थक भूमि का उतना ही उपयोग हो सकेगा जितना कि कोई समाज अपनी तकनीकि शक्ति से करना चाहे । परिस्थिति विज्ञान की शक्ति अदृश्य है, जिसका केवल अनुभव किया जा सकता है, किन्तु मानवीय शक्ति का मापन तकनीकि ज्ञान है । व्यक्ति केवल विकास तकनीकि की देन ही नही है किन्तु प्रकृति का एक स्वरूप भी है और अगर व्यक्ति व समाज द्वारा आर्थिक उपलब्धियाँ करनी है तो परिस्थिति विज्ञान पर्यावरण को आधार मान कर बुन्देलखंड

में नवजागृति कर सकता है । कोई भी आर्थिक उन्नति परिस्थितिकी विज्ञान को नष्ट करके नहीं हो सकती । आज के युग में सबसे नैतिकता व तकनीकि का है और किसी भी विकास में दोनो शक्तियों की क्षमता को ध्यान रखना होगा । ज्ञान व विज्ञान की परिस्थिति में पर्यावरण व परिस्थिति दोनो को सुरक्षित रखते हुये उनका अधिकतम लाभ निरंतर रूप से प्राप्त करने के पश्चात ही व्यक्ति व समाज की कार्यक्षमता सुरक्षित की जा सकती है । व्यक्ति तो पुर्ननिर्माण कर सकता है परन्तु परिस्थिति विज्ञान व पर्यावरण को सुधारना बहुत ही मँहगा है, अगर वो नष्ट या दूषित हो जाये तो उसको सुधारने में बहुत कठिनाई आती है । आर्थिक विकास की ऐसी योजनाओ को अधिक महत्व दिया जा सकता है जिसमें परिस्थिति विज्ञान ना केवल सुरक्षित रह सके अपितु उसके द्वारा आर्थिक लाभ ग्रहण किया जा सके । बुन्देलखंड की निरर्थक भूमि की सबसे बड़ी उपलब्धि में होगी कि वो यहाँ के निवासियों को कार्यरत करने की प्रेरणा दे सके और जिस भूमि की व्यक्ति देन है उसी भूमि की शक्ति से वो अपनी क्षमता को अत्यधिक कर सके । जिस प्रकार से परिस्थिति विज्ञान से जीव जन्तु सुरक्षित व जीवित रहते है, उसी प्रकार से व्यक्ति व समाज को भी आत्मबल, आन्तरिक शक्ति व अपनी प्रेरणा को जागृत करना होगा । इस प्रकार के प्रयास संसार के कुछ भागों में आरम्भ किये गये है, परन्तु बुन्देलखंड

की निरर्थक भूमि इस क्षेत्र के समाज को आर्थिक बल दे सकती है और जागरूक कर सकती है । बुन्देलखंड के निरर्थक भूमि के फल भोगने का अधिकार सर्व-प्रथम बुन्देलखंड के निवासियों का है । इस प्रकार से किसी भी इस भाग की आर्थिक योजना बनाने में परिस्थिति विज्ञान को सम्मिलित करना होगा और पर्यावरण को शुद्ध रखना होगा।

मानव को इस प्रकार की तकनीकि अपनानी होगी जिससे उस का प्राकृतिक व परिस्थिति ज्ञान से अधिकतम सम्बन्ध हो सके, क्यों कि व्यक्ति व प्रकृति को अलग नहीं किया जा सकता है। मानव समाज एक उच्चतम वास्तविकता है जिसका पर्यावरण आधार है । पर्यावरण व परि-स्थिति वातावरण के अन्तर्गत विभिन्न विषमताओं में व्यक्ति जीवित रहता है और अपने अपने ढंग से वह विभिन्न परिस्थितियाँ व्यक्ति को सुरक्षित रखती है । प्रकृति किसी रूप में ही क्यों ना हो फिर भी वो व्यक्ति को परिस्थिति विज्ञान के अन्तर्गत जीवित रखती है । जब व्यक्ति अपने को परिस्थिति ज्ञान से व पर्यावरण से किसी कारण वश पृथक कर देता है तो उसका सन्तुलन प्रकृति से बिगड़ जाता है, जिसको व्यक्ति विशेष अपनी ज्ञान व शक्ति से सुधारना चाहता है और ऐसी स्थिति में व्यक्ति व परिस्थिति ज्ञान में अन्तर होता चला जाता है और यही सीमा प्रकृति तथा भौतिकता का होता है । अगर सम्पूर्ण विकास करना है तो

बिना इस अन्तर को लाये सन्तुलित आर्थिक क्रियाएं की जा सकती है, जो कि मानव को कहीं अधिक आर्थिक शक्ति दे सकती है । वर्तमान विकास में अब आवश्यकता इस बात की हो गयी है कि सभी प्रकार की आर्थिक क्रियाओं में परिस्थिति ज्ञान को ध्यान में रखा जाये और उसके ही आधार पर उन्नति की जाय ।

दो प्रकार के साधन होते है, एक तो वो जिनको नया नहीं बनाया जा सकता है जैसे खनिज स्त्रोत और दूसरे वो जिनको फिर नया बनाना सम्भव है जैसे पानी, जंगल इत्यादि और प्राकृतिक रूप में इनकी विभिन्न क्रियाएं भूमि पर होती रहती है । इनके द्वारा आर्थिक वृद्धि और आर्थिक उपभोग में सन्तुलन होता जाता है और मानवीय शक्ति की उपयोगिता का भी इससे अधिकतम सम्बन्ध रहता है । व्यक्ति इस प्रकार से इन क्रियाओं में व्यस्त रहता है और कोई भी अकेले विकास बिना प्राकृतिक सहारे के नहीं कर सकता है । व्यक्ति विकास की एक सीमा ऐसी आ जाती है जब कि वो अपनी क्रियाओं में असहाय होने का अनुभव करता है और उसके पश्चात वो पुनः प्राकृतिक परिस्थितियों का सहारा लेने के लिये विवश हो जाता है । परिस्थिति ज्ञान व वातावरण के स्त्रोत अनेक होते है किन्तु मानव शक्ति की सीमा निश्चित होती है, इस प्रकार व्यक्ति से अधिक प्राकृतिक शक्ति को परिस्थिति पर निर्भर होना पड़ेगा ।

परिस्थिति विज्ञान का ये विश्वास है कि समाज का विकास व्यक्ति पर विपरीत प्रभाव डालेगा और ऐसी स्थिति परिस्थिति संकट के कारण ही आ सकती है । इसका समाधान तभी हो सकता है जब कि पर्यावरण को अनिवार्य रूप से परिस्थिति ज्ञान के आधार पर प्रयोग में लाया जाये । तभी व्यक्ति सुरक्षित रह सकेगा व परिस्थिति संकट रोक सकेगा । क्योंकि विकास के अन्तर्गत जो नवीन वस्तुओं का उत्पादन होता है, उनके द्वारा पर्यावरण को दूषित होने से रोकना अत्यन्त आवश्यक है नहीं तो परिस्थिति व पर्यावरण का अस्तित्व मिटने से व सन्तुलन बिगड़ने से आधुनिक शक्तियाँ स्वयं मानव को नष्ट कर देंगी ।

F- Growth of Tourism Industry:-

भारत में पर्यटन उद्योग कोई नया नही है । पर्यटन द्वारा समय समय से व्यक्तियों को प्रोत्साहन मिलता रहा है । प्राचीन समय में जो लोग तीर्थ यात्रा करते थे उसमें भी वो धार्मिक स्थानो व जगह जगह का भ्रमण करते थे और उसके पश्चात उनको नई उत्तेजना का अनुभव होता था । जब व्यक्ति अपने कार्य से ऊब जाता था तो वो कुछ समय प्रकृति की छाया में अकेले व्यतीत करना चाहता था।प्राकृतिक सौन्दर्य ने सदा से व्यक्ति को आकर्षित किया है और व्यक्ति की सदा से इच्छा रही है कि वो प्राकृतिक स्थान में चला जाये । जब लोग भ्रमण करते है या पर्यटन केन्द्रो में जाते है तो उनकी आन्तरिक इच्छाये होती है कि वो अपने सगे साथ से दूर शान्तिमय वातावरण में जाकर बोरा ले । यही कारण है कि आज स्थान स्थान से पर्यटक भ्रमण करते रहते है व तैयार में पर्यटन एक प्रतिस्पर्धी व महत्वपूर्ण उद्योग बन गया है । ये निश्चित है कि अगर पर्यटन से व्यक्ति को लाभ ना हो तो वो पर्यटन नही करेगा, पर्यटक जागृत होने लगा है । पर्यटन केवल धनी वर्ग तक ही सीमित नही है अपितु सभी वर्गों में पर्यटन प्रचलित हो गया है। भारतवर्ष में पर्यटन द्वारा क्षमता को बढाना दूसरी स्थिति है, व्यक्ति की पहली स्थिति में उसके जीवन निर्वाह करने के वातावरण को सुधारना

होगा और उसमें निरर्थक भूमि की योजना अधिक सहायक बन सकती है। ये कहा जा सकता है कि पर्यटन से जीवन निर्वाह करके वातावरण को प्रोत्साहन मिलता है और अगर प्रारम्भिक स्थिति में निरर्थक भूमि का वातावरण रहे तो उसकी सहायता से पर्यटन की सीमाएं कहीं अधिक बढ़ जायेगी। ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। जो व्यक्ति इन दोनों से लाभान्वित होते है, उनकी कार्यक्षमता अन्य व्यक्तियों से कहीं अधिक होती है। इसमें निर्धन, धनी, स्त्री पुरुष व बालक सभी वर्ग आते है। व्यक्ति जीवन को रुचिकर बनाने के लिये पर्यटक व निरर्थक भूमि का प्रयोग दोनों ही अतिलाभदायक है। जिन जिन स्थानों में पर्यटन केन्द्र है वहाँ पर ना केवल बाहरी पर्यटक आते है परन्तु उस क्षेत्रों के निवासी भी उन केन्द्रों से आकर्षित होने लगे है व समय निकाल कर उन स्थानों पर जाते है व भ्रमण उनके लिये एक खोज बन गई है और वो सन्तुष्टि का अनुभव करते है। ये अनुमान लगाया है कि पर्यटन भ्रमण और मनोरंजन में भाग लेने से अधिक व्यय होता है और व्यक्ति की सीमा के बाहर है, निसन्देह जो भी लागत इस सम्बन्ध में आती है उससे कहीं अधिक व्यक्ति को लाभ भाग लेने में मिलता है, जिसका अनुमान करना कठिन है क्यों कि ये लाभ अदृश्य है और जिस की अर्जित व्यक्ति की कार्यक्षमता को कई गुना बढ़ा देती है। प्रत्येक शासन इस बात का प्रयास कर रहा है कि पर्यटन को बढ़ावा दिया जाये।

बुन्देलखंड क्षेत्र में ना केवल पर्यटन केन्द्र के स्थान बने हुये है परन्तु उसके अतिरिक्त निरर्थक भूमि की जो देन है उससे यहाँ के निवासियो का अधिक उज्जवल बन सकता है । निरर्थक भूमि की उपयोगिता प्रत्येक नागरिक के उत्थान में जोड देनी चाहिये और ये निरर्थक भूमि का स्व मनोरंजन के लिये बदल कर प्रत्येक नागरिक को उस का भागीदार बना देना चाहिये । इस प्रकार से इस क्षेत्र में जो निरर्थक भूमि से यहाँ के निवासियों को लाभ मिलेगा उससे इस प्रकार के अन्य क्षेत्र की प्रेरणा ले सकते है । पर्यटन, निरर्थक भूमि के लिये केवल तार्किक है परन्तु निरर्थक भूमि की मनोरंजन क्षमता से व्यक्ति का जीवन सुखमय बन सकता है ।

पर्यटन को केवल उपयोग मान कर विकास की अन्य दिशाओं में उन्नति नहीं होती और पर्यटन जो धन क्षमता प्रदान करता है उसका स्वरूप अधूरा रह जाता है, अगर उसके द्वारा व्यक्ति को आन्तरिक भावनाओ में अपने जीवन को प्राकृतिक क्षमता से जोडने का अवसर नहीं मिलता । किसी भी क्षेत्र में पर्यटन को बढावा देने की नई योजनाए बनाई जा सकती है, पर ये आवश्यक नहीं है कि उनके द्वारा अन्य व्यक्तियों को अन्य क्षेत्रीय व विभिन्न वर्गों को मनोरंजन मिले। आवश्यकता इस बात की है कि जो भी योजनाए बनाई जाये उनसे सभी को आनन्द

से सके और जिनका आधार केवल धन कमाना ही ना हो । मनोरंजन का स्तर पर्यटन उद्योग से ऊँचा माना जाता है और मनोरंजन में पर्यटन उद्योग सम्मिलित है । मनोरंजन जो निरर्थक भूमि पर आधारित किया जा सकता है उससे पर्यटन उद्योग को भी शक्ति मिलेगी । पर्यटन उद्योग में निरर्थक भूमि सुधारने की कोई विशेष योजना नहीं होती । इस प्रकार से जहाँ तक कि निरर्थक भूमि योजना का सम्बन्ध है, पर्यटन उद्योग अधूरा माना जाता है । आवश्यकता इस बात की है कि पर्यटन मनोरंजन योजनाओं का एक अंग बन जाये तभी निरर्थक भूमि का सही विकास किया जा सकता है ।मनोरंजन योजनाओं की प्रारम्भिक स्थिति पर्यटन होती है । प्रारम्भ में जब पर्यटन उद्योग को बढ़ावा दिया गया तो विशेषकर विकासशील देशों में ही इसकी गतिविधियाँ अधिक बढ़ाई गईं । उनका आशय यही था कि इनके द्वारा जो अन्य कठिनाइयाँ पिछड़े भागों में है, उनको पर्यटन उद्योग से ना केवल जोड़ दिया जाये परन्तु सभी व्यक्तियों को पर्यटन व मनोरंजन सम्बन्धी सेवाओं से सम्बन्धित किया जाये और उनके जीवन में मनोरंजन व पर्यटन एक अंग बन जाये । पर्यटन अधिकतर शक्तिशाली व आर्थिक समृद्धि वाले व्यक्तियों के लिये ही प्रचलित रहा है, परन्तु अगर सम्पूर्ण जन हित को लाभान्वित करना है तो पिछड़े क्षेत्र को सम्पूर्ण रूप से आकर्षित बनाना होगा और उस के सम्बन्ध में ऐसी सुविधायें देनी होंगी जिससे निरन्तर सभी व्यक्ति पर्यटन

व मनोरंजन को अपनी प्रगति का एक अंग समझने लगे । पर्यटन उद्योग में अधिक व्यय की सम्भावना होती है, उसके पश्चात ही यो अन्य उद्योग को अति लाभ दे सकता है । आवश्यकता इस बात की है कि ये मनोरंजन केन्द्र निरर्थक भूमि द्वारा स्थापित किये जाये, जिनसे कम लागत पर अधिक से अधिक पर्यटकों को आकर्षण मिल सके, जिसके लिये बुन्देलखंड की निरर्थक भूमि बहुत उपयुक्त है । इस क्षेत्र के बहुत से ऐसे स्थान है जो पहले से ही पर्यटकों के लिये आकर्षण का केन्द्र बने हुऐ है । अगर उनके समीप ही मनोरंजन के अन्य साधन उपलब्ध करा दिये जाये तो पर्यटन उद्योग की सीमाए और अधिक बढ़ जायेगी । इस सम्बन्ध में जो देश में पर्यटन विभाग व पर्यटक समितियाँ बनी हुई है उनका ध्यान इस ओर आकर्षित नही है और स्थानीय समस्याओं का यो अनुभव नही कर सकते है, जो कि क्षेत्र के लिये बहुत महत्व पूर्ण रखती है । बुन्देलखंड जैसे क्षेत्र में कुछ थोड़े से ही ऐसे केन्द्र है जिनको पर्यटन विभाग अपने से जोड़े हुऐ है और उनके पास कोई ऐसी योजना नही है जिससे इस क्षेत्र की विभिन्न निरर्थक भूमि को बढ़ावा मिल सके । ये तभी सम्भव होगा जब कि पर्यटन उद्योग का कोई निधी व अलग से अस्तित्व ना रखा जाय और सम्पूर्ण योजना के आधार पर पर्यटन उद्योग को चलाया जाये, विशेषकर देश के उन भागो में जो कि पिछड़े है और जहाँ निरर्थक भूमि की मात्रा उपजाऊ भूमि से कहीं अधिक है। बुन्देलखंड क्षेत्र में करीब 55% निरर्थक भूमि है और केवल 40% या 45% भूमि ऐसी है जिन पर खेती [illegible] में प्रयोग किया जाता है।

CHAPTER :- (IV).

C H A P T E R - IV

Resurrection of Old Land Based Society.

A. Social renaissance for the adoptation of Economic Capabilities :-

आर्थिक समाज को सरल बनाने के लिये समाजमें जागृत होना आवश्यक होता है । आर्थिक व सामाजिक विकास से एक दूसरे की उन्नति होती है । एक रूप से अगर विकास किया जाये तो विकास की गति कम होने लगती है । समाज जिसके लिये आर्थिक विकास किया जाता है उसको भी पूर्णतया सक्षम होना चाहिये जिससे कि वो विकास का फल भोग सके । इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि आर्थिक उत्थान के साथ साथ समाज की जागृत भी निरंतर होनी चाहिये । जो भी योजना विकास सम्बन्धी बनाई जाती है उसमें अधिकतम व्यक्तियों को सम्मिलित कियाजाता है और भागी बनाया जाता है । कोई भी उत्पादन की सफल होता है जब कि उसकी उपयोगिता की तीव्रता भी विद्यमान हो जाये । इस प्रकार उत्पादन व उपभोग दोनों का सम्बन्ध बना रहता है । ये प्रतिक्रिया का क्रम विकासशील देश में

लागू होती है परन्तु विकसित क्षेत्रों के लिये भी उतनी ही महत्व पूर्ण है।

बुन्देलखंड में जो निरर्थक भूमि सम्बन्धी योजनायें बनाने का प्रयास है उससे क्षेत्र के निवासियों को सम्पूर्ण रूप से मनोरंजन के साधन उपलब्ध होने और उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि होगी । ये तभी सम्भव हो सकता है जब कि अधिकांश मात्रा में सभी वर्ग के व्यक्ति पूर्णतः निरर्थक भूमि द्वारा स्थापित सुविधाओं में सम्मलित हो । सामाजिक स्तर पर भी व्यक्तियों को समझना होगा कि उनका भविष्य प्राकृतिक शक्तियों से बंधित है और उनको अपने प्रत्येक दिन के जीवन में सभी प्रकार से प्राकृतिक वातावरण से विश्वास व आन्तरिक शक्ति ग्रहण करनी होगी । ये तभी सम्भव हो सकेगा जब कि निरर्थक भूमि द्वारा सभी दिशाओं में उनका सम्बन्धि जुड़ा रहे । इस प्रकार की सामाजिक स्तर की जागृति होना अत्यन्त आवश्यक हो जाता है और समाज में व्यक्ति मिल जुल कर योजना के प्रति विश्वास बना सकते है । इसी प्रकार से आर्थिक क्षेत्र में जो भी योजनाए बनाई जाती है उनमें उचित तकनीकि द्वारा विस्तार पूर्वक योजना को कार्यरूप दिया जाता है और इस बात का अनुमान लगाया जाता है कि योजना पर जो भी लागत आयेगी उसके अनुसार लाभ कितना हो सकेगा। जब पूर्णतया विश्वास इस सम्बन्ध में हो जाता है तभी विभिन्न योजनाए अपनाई जाती है । यही आर्थिक योजना की सफलता का आधार है।निरर्थक

भूमि बुन्देलखंड की एक ऐसी देन है जिसको उपयोग में लाकर यहाँ के निवासी अधिक लाभान्वित हो सकते है । इस तकनीकि को उपयोग में लाने से कृषि उत्पादन के उत्थान में कोई बाधा नही पडेगी और निरर्थक भूमि द्वारा सभी क्षेत्रो में अधिक प्रगति होने लगेगी । जब भी कोई नवीन कार्य होता है तो अधिकतर व्यक्तियों को उसकी जानकारी की उत्सुकता होती है और जैसे जैसे उत्सुकता बढती जाती है व्यक्ति स्वाभाविक रूप से उसका भागी बनना चाहता है और उसी के अनुसार समस्त समाज में उसका प्रचार होने लगता है । इस प्रकार की प्रतिक्रिया से समाज में मांग किसी भी वस्तु की बढ़ सकती है और आर्थिक क्षेत्र में इस बढती हुई मांग को पूरा करने के लिये प्रयास किये जाते है और विभिन्न योजनाओ द्वारा उपलब्धियाँ पूरी होती जाती है जो कि व्यक्ति को सन्तुष्ट करती है । बुन्देलखंड के निवासियो को निरर्थक भूमि की मनोरंजन योजना का ज्ञान कराना होगा और इसके सम्बन्ध में जो उनकी उत्सुकता है उसके अनुसार निरर्थक भूमि के विकास की गति बढानी होगी । इस सम्बन्ध में स्थानीय प्रशासन द्वारा आवश्यक कदम उठाने चाहिऐ, जिससे निरर्थक भूमि की योजना बुन्देलखंड में तुरन्त चलाई जा सके । विभिन्न सम्बन्धित भागों का सहयोग लेना आवश्यक है जिससे प्रशासन को सुविधा मिल सके । इस क्षेत्र की विभिन्न सामाजिक संस्थाओं को भी पूर्णतया परिचित करना होगा जिससे आर्थिक उत्थान के साथ साथ सामाजिक जागृति हो सके ।

किसी भी कार्य को करने के लिये उचित चिन्तन की आवश्यकता होती है, विशेषकर आर्थिक व सामाजिक उत्थान करने के लिये आवश्यकता इस बात की है कि सभी व्यक्तियों का दृष्टिकोण व विश्वास क्षेत्र की प्रगति में सहायक बना दिये जाये । समाज में जागृति का होना इस बात का प्रतीक होता है कि वो निसंकोच किसी भी आर्थिक कार्य में अपने को सम्मिलित कर सकते है और उनको किसी भी क्षेत्र के विकास में इंकार नहीं हो सकती । अधिकतर देखा गया है कि जिन पिछड़े क्षेत्रों के निवासियों के लिये जो भी आर्थिक योजनाएं बनाई जाती है, वो प्रारम्भ में उनके महत्व को नहीं समझते और जब काफी समय व्यतीत हो जाता है तब उनको इन योजनाओं की आवश्यकता का अनुभव होता है । इस प्रकार की प्रतिक्रिया में समय पर अनुभव ना होने से आर्थिक व सामाजिक हानि होने लगती है । लेकिन अगर पहले से ही जागृति निवासियों में करदी जाये और किसी योजना के सम्बन्ध में अगर उनके विचारों को मान्यता दी जाये तो उनका मनोबल बढ़ जाता है और वो योजना से अपने को सम्बन्धित कर लेते है । इस प्रकार के प्रयास से आर्थिक दृष्टिकोण से क्षेत्र को अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। इस लिये आवश्यकता इस बात की है कि निवासियों को योजना के प्रति जानकारी दी जाये, उनको योजना का एक अंग बना कर निर्णय लिया

जाये और इस प्रकार योजना का कोई भी कार्य असफल नहीं हो सकेगा। ऐसी परिस्थिति विशेषकर उन निवासियों के लिये आती है जो कि उन क्षेत्रों में बसे हुये है । जहाँ पर योजनाएं प्रस्तावित है । कोई भी योजना एक व्यक्ति व प्रशासन की योजना नहीं कहीं जा सकती है और सभी को योजनाओं के निर्माण में विशेष रूप से गतिशीलता के आधार पर कार्य करना होगा ।

------:0:------

B. Provision of recreational abundance for common people:-

किसी भी क्षेत्र में जो भी मनोरंजन के साधन उपलब्ध होते है उन पर किसी एक वर्ग का अधिकार नही होता और ये उचित नही है कि वर्गों के आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाये । मनोरंजन पर सब का समान अधिकार होता है और मनोरंजन पाने के लिये समान व्यवहार की आवश्यकता है । ये तो ठीक है कि कुछ ऐसे मनोरंजन के साधन होते है जिनमें केवल धनी वर्ग ही अधिक सम्मलित होते है क्योकि उन साधनो को प्राप्त करने में व्यय अधिक होता है । इसी प्रकार जिन भागो में वर्गीकरण होने लगता है, तो उनके भोगने वाले भी बट जाते है । ऐसी परिस्थिति मे सम्पूर्ण समाज वर्ग लाभ नही ले पाता और कुछ वर्ग वंचित रह जाते हैं । इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि मनोरंजन के साधन ऐसे होने चाहिये जिसमें सभी वर्ग सामूहिक रूप से भाग ले सके, केवल एक वर्ग प्रभावित ना हो जाये । सभी व्यक्तियों को स्वतन्त्रता होनी चाहिये कि वो निसंकोच भाग ले सकें ।

बुन्देलखंड में निरर्थक भूमि अधिक मात्रा में उपलब्ध है । इस भूमि में जो मनोरंजन की योजनाए बनाने का प्रयास किया जा रहा है उनका मुख्य आधार ये होना चाहिये कि सम्पूर्ण वर्ग उनमें सम्मलित हो सके और ऐसी योजनाए बनाई जाये जिनमें सामूहिक रूप से मनोरंजन के

साधन उपलब्ध हो । इस प्रकार इन स्थानों को स्थापित करने की लागत भी कम होगी और अधिकतर व्यक्तियों की रुचि के आधार पर मनोरंजन की सुविधाएं प्राप्त हो सकेगी । अधिकतर ये देखा गया है कि मनोरंजन के साधन कम होते है और भाग लेने वाले व्यक्तियों के पास कोई पसन्दगी नही हो पाती । इस प्रकार से कुछ लोग मनोरंजन से वंचित रह जाते है और उपलब्ध मनोरंजन के समक्ष नही हो पाते । कुछ मनोरंजन के साधन ऐसे होते है जिनको कोई समय के लिये उपयोग में लाया जाता है और सन्तुष्टि प्राप्त होती है किन्तु कुछ ऐसे भी मनोरंजन के साधन चलन में है जिनमें व्यक्ति अधिक समय तक ठहरना चाहता है और उसी वातावरण में अधिक समय व्यतीत करना चाहता है । मनोरंजन दोनो से ही मिलता है किन्तु मनोरंजन सुविधा जनक होना चाहिए, जिससे सभी वर्ग मनमाना समय लगा कर भाग ले सके । प्रत्येक सप्ताह में दो दिन तक की सीमा में व्यक्ति को मनोरंजन की सुविधा शासन द्वारा मिलनी चाहिए व दो दिन की अवधि में वो अपने मन के अनुसार मनोरंजन के क्षेत्रो में समय व्यतीत कर सके । अगर कोई भी योजना इस प्रकार की सुविधा दे सकती है तो पूर्णतया निरर्थक भूमि से मनोरंजन मिल सकेगी । इसी प्रकार की मनोरंजन की योजनाओ में सम्पूर्ण समाज भी भाग ले सकेगा । इससे बड़े समाज के लिये कोई योजना बहुत बड़ी नही है।

जनतन्त्र में आवश्यकता इस बात की है कि जो भी कार्य विकास के लिये किया जाये उसमें सम्पूर्ण समाज का हित होना एक राष्ट्रीय कर्तव्य बन जाता है । किसी भी सुविधा को ग्रहण करने के लिये किसी विशेष वर्ग का अधिकार नहीं होता और सुविधा सभी वर्गों के लिये सुलभ बना देना एक विशेष उपलब्धि मानी जाती है । इस प्रकार से जो पिछड़े वर्ग है वो अपने को विकसित वर्गों के दबाव से बचा सकेंगे और जो समाज में वर्गीकरण है उस को बहुत कुछ सीमा तक कम किया जा सकता है। आर्थिक सम्पन्नता का होना व्यक्ति को सुख और शान्ति भोगने के अधिकार से वंचित नहीं कर सकता है और जिस प्रकार से कृषि व उद्योग की वस्तुओं का सभी वर्ग उपभोग करते है, उसी प्रकार जो प्राकृतिक शक्तियाँ हो वो भी समय रूप से सभी को अपनी शक्ति प्रदान करती है । इस लिये आवश्यकता इस बात की है कि व्यक्ति के द्वारा कोई ऐसा कदम ना उठाया जाये जो कि प्राकृतिक शक्तियों को अपमान करदे जैसे प्रकृतिक स्वतन्त्रता के साथ साथ व्यक्ति की स्वतन्त्रता उपलब्धियों को ग्रहण करने के लिये भी होनी चाहिये । निश्चय भूमि पर सर्वप्रथम अधिकार उन व्यक्तियों का अधिक है जिनके पास कुछ नहीं है क्यों कि वो आर्थिक शक्ति के अभाव के कारण प्राकृतिक शक्तियों पर अधिक निर्भर रहते है । जो व्यक्ति

सम्पन्न है उनको प्राकृतिक निर्भरता नहीं है, यही कारण है कि वो उनसे दूर है । इस प्रकार से ये आवश्यक हो जाता है कि जो भी योजनाए है उनमें सभी की आर्थिक व सामाजिक असमानताओं को दूर कर सकें ।

---:0:---

C. Compulsory outdoor recreation and rest cure for personal efficiency for common man :-

इस देश में मनोरंजन को बहुत सीमा तक विलास सम्बन्धी माना गया है, जिसका मुख्य कारण मनोरंजन का दुरुपयोग है । कोई भी व्यक्ति जो मनोरंजन में भाग लेता है तो ये समझा जाता है कि या तो वो बेरोजगार है या उसका असन्तुलित चरित्र है और लावारिस होने के कारण वो मनोरंजन के दूषित प्रभावो में पड गया है । ऐसी परिस्थिति में अगर व्यक्ति मनोरंजन में भाग लेते है तो ये कहा जाता है कि वो काम से छिप रहे है और अपना समय अनुत्पादक रूप में व्यतीत कर रहे है । इस प्रकार से मनोरंजन को अनुउत्पादकीय बना दिया गया है और मनोरंजन के प्रति व्यक्तियों की धारणा उचित नही रह गई है । आश्चर्य की बात यह है कि मनोरंजन को काम से नही जोड़ा गया है और ये समझा जाता है कि अगर मनोरंजन में लोग अधिक भाग लेगें तो उनका काम अधूरा रह जायेगा, और इस प्रकार से जो मनोरंजन का स्थान समाज की प्रगति में होना चाहिये वो नही है।

मनोरंजन का लक्ष्य केवल कल्याणकारी ही नही है, परन्तु व्यक्तियों की आन्तरिक क्षमताओं को विकासोन्मुख बनाना है और उनके साथ में उनकी क्षमता को उच्च स्तर देना है । मनोरंजन से व्यक्तित्व

सम्पूर्ण व्यक्तित्व की चेतना में वृद्धि होती है और वो अपने आपको किसीभी परिस्थिति में शक्तिशाली पाता है । ये देखा गया है कि अगर मनोरंजन व्यक्ति के लिये सुलभ बना दिया जाये और अनिवार्य रूप से समस्त व्यक्ति अपने परिवार सहित भाग ले सके तो उनके लिये जीवन सुखमय बन सकता है । इस प्रकार की प्रणाली अगर लागू करदी जाये तो प्रत्येक व्यक्ति किसी भी कार्य में क्यों ना हो, वो सप्ताह में एक या दो दिन अपने को व अपने परिवार को स्थानीय दिनचर्या से अलग करके निरर्थक भूमि में जो मनोरंजन की योजना बनाने का प्रचार है, उसमें सम्पूर्ण रूप से भाग ले सकता है व उसमें पुर्नशक्ति जागृत हो सकती है । इस सम्बन्ध में बहुत से स्थानो पर सप्ताह में दो दिन शनिवार व रविवार को अवकाश रखा जाता है इस दो दिन के अवकाश की अवधि उचित है, जिसमें सभी समाज के वर्ग पूर्णतया मनोरंजन के वातावरण में सम्मिलित हो सकते है । ये तभी सम्भव हो सकता है जब कि निरर्थक भूमि पर अधिकतम मात्रा में मनोरंजन की सम्पूर्ण सुविधा बना दी जाये और इन सुविधाओं में समान रूप से सभी वर्ग भाग ले सके ।अगर इस प्रकार की योजना बनाने में प्रशासन व सम्पूर्ण समाज अपना अपना योगदान दे तो ये आशा की जा सकती है कि निरर्थक भूमि एक ऐसी निरन्तर शक्ति मनोरंजन के

रूप में समाज को प्रदान कर सकती है, जिसके द्वारा घर व्यापार एवं कार्य क्षेत्र में बाहर समाज के सम्पूर्ण वर्ग को मनोरंजन की सुविधा कम से कम व्यय पर अधिक से अधिक मनोरंजन के लिये उपलब्ध हो सके । इस प्रकार की योजना में ऐसे विभिन्न साधन जुटाए जा सकते है जिनमें सभी आयु के स्त्री पुरुष अपनी अपनी पसन्दगी से निर्लोच भाग ले ले सके और उनका सदा ही ये प्रयास व विश्वास रहे कि इस प्रकार की निरर्थक भूमि द्वारा मनोरंजन की योजना उनके व्यक्तित्व को उज्जवल बना सकती है । इस योजना की सफलता व लाभ तभी होगा जब प्रत्येक नागरिक को इसकी उपयोगिता का आभास हो जाये, इसके लिये केवल प्रचार की ही आवश्यकता नहीं है, परन्तु उपयुक्त सुविधाएं अधिक मात्रा में जब उपलब्ध होने लगेगी और आने जाने के साधन सरल हो जायेगें तो स्वयं ही व्यक्ति आकर्षित होने लगेंगे । मनोरंजन को विकास का एक आवश्यक अंग बनाना चाहिये और ये समझना होगा कि जितना काम आवश्यक है उतना ही मनोरंजन भी है, और व्यक्ति की निपुणता, सफलता व कार्यक्षमता का घनिष्ट सम्बन्ध मनोरंजन से है । व्यक्ति के जीवन से नीरसता व आलस्य समाप्त करने के लिये मनोरंजन को प्राथमिकता देनी पड़ेगी । बुन्देलखंड जैसे क्षेत्र में सबसे अधिक सुविधा निरर्थक भूमि की है और क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में आर्थिक विकास

के लिये प्राकृतिक साधन उपलब्ध है । यही कारण है कि इस क्षेत्र के सभी वर्ग प्रशासन को बाध्य करें कि वो मनोरंजन सम्बन्धी योजना तुरन्त बुन्देलखंड की निरर्थक भूमि पर स्थापित करें । इस प्रकार के वातावरण में मनोरंजन के स्थान बनाना सरल है और ये क्षेत्र, देश के अन्य भागों को अपनी इस सफलता की प्रेरणा दे सकता है ।

-----:0:-----

REFERENCES
Boundaries Province
Boundaries State
Railways Line
District Boundaries
Roads Metalled
Rivers
CAWNPORE
JALAUN
HAMIRPUR
BANDA
FATEHPUR
RAE BARELI
ALLAHABAD
GWALIOR
JHANSI
CENTRAL INDIA
Phaphund
Auraiya
Rampura
Kuthaund
Sikandra
Devapur
Akbarpur
Pukhrayan
Bangra
Jalaun
Kalpi
ORAI
Kuncha
Samthar
Saidnagar
Erachh
Moth
Garsarai
Garautha
Jalalpur
Sumerpur
Maudaha
Charkhari
Kabrai
Supa
Mahoba
Jaitpur
Mau Ranipur
Ghatampur
Lalauli
Ghazipur
Khaga
Kishanpur
Sirathu
Manjhanpur
Kamasin
Rajapur
Karwi
Manikpur
Rewah
Salon
Lalganj
Dalmau
Bachhrawan
Maharajganj
Maurawan
Purwa
Bighapur
Ajgain
Datia
Lalitpur
Mahroni
JUMNA

D. Participation facilities during week ends for Rural - Urban population :-

निरर्थक भूमि द्वारा जो भी मनोरंजन के साधन जुटाने का प्रयास किया जाये, उसमें ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या दोनों ही के लिये समान रूप से मनोरंजन के साधन स्थापित होने चाहिये। ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या को बाटा नहीं जा सकता है और उनका पारस्परिक सम्बन्ध आर्थिक विकास में महत्व पूर्ण योगदान देता है । इस प्रकार ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिये और योजना के अनुसार सप्ताह में दो दिन शनिवार व रविवार को दोनों भागों के निवासियों को एकत्रित होने की सुविधा प्रदान करनी पड़ेगी । इन भागों में बहुत से ऐसे केन्द्र स्थापित होने चाहिये जिनमें सरलता पूर्वक कम से कम व्यय करके सभी वर्ग के लोग निरर्थक भूमि के मनोरंजन स्थानों में भाग ले सकें । प्रारम्भिक स्थिति में आवागमन के साधन निशुल्क होने चाहिये और इस बात का प्रयास करना चाहिये कि उचित सड़कों के द्वारा सभी लोग कम समय में इन स्थानों में पहुँच सकें । शासन को यातायात सेवाओं को विशेष रूप से सप्ताह में कम से कम दो दिन उपलब्ध कराना चाहिये। जिससे परिवार समय पर आ जा सकें । इस प्रकार यातायात सेवाओं को उपलब्ध कराना

कठिन व मंहगा नहीं है । शासन को चाहिये कि सप्ताह के इन दिनो में आस पास की सड़क यात्रा सेवाए नजदीक के भागो से मनोरंजन केन्द्रो तक आरक्षित करदे और विशेष रूप से इन भागो में सड़क सेवाए चलाई जाये । इसके साथ मे निजी सड़क सेवाओं के प्रोत्साहन भी दिये जा सकते है और इस प्रकार से सभी समाजके वर्ग इन सेवाओं से लाभान्वित होगें। इस सम्बन्ध में ये कहना उचित होगा कि निर्देश भूमि द्वारा मनोरंजन के लिये सप्ताह में दो दिन सम्पूर्ण प्रशासन प्रणाली व निजी प्रणाली अपने को सम्पूर्ण कर देगी और जिसके द्वारा मनोरंजन एक विकास का आवश्यक अंग बन जायेगा । इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की निराशा होना उचित नहीं है । सर्वप्रथम प्रशासन को व समाज को इस सम्बन्ध में निर्णय लेना होगा और सही रूप से मनोरंजन के लाभ पर विश्वास करना होगा ।उसके पश्चात ही मनोरंजन सेवाओं को अनिवार्य बनाया जा सकता है । ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या दोनो के लिये ही मनोरंजन महत्वपूर्ण है और दोनो को ही समान रूप से उसका भागी बनना चाहिये उनके कार्य क्षेत्र अलग होने पर भी उन सभी में कार्यक्षमता बढ़ाई जा सकती है और उनके योगदान का प्रभाव सम्पूर्ण आर्थिक विकास पर पड़ेगा । ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या का मनोरंजन क्षेत्र में बटवारा नहीं होना चाहिये और उनकी आपस की पसन्दगी जितनी अधिक मिल सके, उतना

ही आर्थिक विकास के लिये अच्छा है । मनोरंजन एक ऐसा माध्यम है जिसके सहारे से व्यक्ति सभी नीरसताओं को भुला सकता है और मनोरंजन के माध्यम से सामाजिक व आर्थिक एकता को ग्रहण कर सकता है । बुन्देलखंड के माध्यम से सामाजिक व आर्थिक एकता को ग्रहण कर सकता है । बुन्देलखंड के इस भाग में ग्रामीण व नगरीय जन संख्या में बहुत भेदभाव नहीं है और ये एक सफल प्रयास होगा अगर हम उनको एक दूसरे के समीप ला सके । इस प्रकार की योजना में सरकारी व गैर सरकारी सभी व्यक्ति व संगठनो का अनिवार्य रूप से भाग लेना आवश्यक है और आपस में कोई मतभेद व अन्तर होना उचित नहीं है। सभी वर्गों को यह समझना होगा कि यह योजना उनके हित में है और निरर्थक भूमि द्वारा मनोरंजन की आवश्यकता समझने के साथ साथ इस सुविधा को भोगने के लिये, अपने परिवारो के सहित सभी को सम्मिलित होना चाहिये । प्रारम्भ में यह स्वाभाविक है कि कुछ संकोच हो सकता है परन्तु एक दूसरे के द्वारा इस शक्ति का अनुभव होने लगेगा और अधिक से अधिक मात्रा में लोग अपने इस अतिरिक्त समय को मनोरंजन के लिए रख सकेगें । अभी तक इस देश में व क्षेत्र में अतिरिक्त समय व अवकाश समय का सही उपयोग नहीं हो पा रहा है और मनमाने ढंग से अन्य उत्पादहीन रूप से समय का दुरूपयोग किया गया है । अधिक से अधिक

व्यक्तियों की यह धारणा होती है कि जो कुछ भी वो कार्य करते है, उसके समय का पालन करना ही उनका कर्तव्य है और अतिरिक्त समय को वो अपना समय समझते है और उसकी उत्पादकता पर उनको कोई ध्यान नही रहता । इस प्रकार से कार्य करने का समय व उनका अपना समय दोनो में बहुत अन्तर हो जाता है और सम्भावना इस बात की हो सकती है कि काम करने के समय की अवधि कम होती जाय । इस का व्यक्ति की क्षमता पर बुरा प्रभाव पडता है और उत्पादकता गिर जाती है । प्रत्येक सप्ताह में जो भी समय उपलब्ध है, उसका उचित रूप से बटवारा किया जा सकता है और समय के आधार पर उत्पादकता का अनुमान भी लगाया जा सकता है । ऐसी स्थिति में ग्रामीण व नगरीय सभी वर्गों में समय का सही उपयोग किया जा सकता है व अवकाश के समय का उत्पादकता के आधार पर उपयोग किया जा सकता है । सरकारी व गैर सरकारी वर्गों के लिए आवश्यकता हो जाती कि वो मनोरंजन के द्वारा निरर्थक भूमि का उपयोग अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक सीमा में कर सके और उनको सभी आवश्यक सुविधाए शासन व संगठनो द्वारा उपलब्ध करादी जाय ।

---:0:---

8. **Commuhity gatherings and social carnivals ~~and~~ ~~Meals~~ for wild land utilization :-**

निरर्थक भूमि को मनोरंजन के योग्य बनाने के लिये सबसे उपयुक्त योजना उसके उपयोग के लिये कार्नीवाल लगाना है। सामाजिक कार्नीवाल का उद्देश्य विभिन्न प्रकार के मनोरंजन के साधनों को एकत्रित रूप से स्थापित करना होता है, जिसमें सभी प्रकार के खेल तमाशे सम्बन्धी प्रतियोगिताए, सर्कस, ड्रामे, गायन और नृत्य सभी प्रकार की मनोरंजन सुविधाए होती है और उसके साथ में सार्वजनिक मेला भी लगता है, जिसमें सभी स्त्री पुरुष एकत्रित होकर भाग लेते है। अगर सप्ताह के दो दिन में मनोरंजन की इस प्रकार की व्यवस्था की जाये तो सभी वर्ग उससे आनन्द ले सकेंगे और मनोरंजन का उच्च साधन उनको मिल जायेगा। खेलकूद के साथ साथ ऐसे स्थानो में वस्तुओं के खरीदने व बेचने का भी प्रबन्ध होता है। सामाजिक कार्नीवाल जो होते है उनमें सभी क्षेत्रो के व पास के भागो के व्यक्ति सम्मिलित होते है, एक या दो दिन उन स्थानो में डेरा डालते है व वहीं रह कर उनको एक दूसरे से मिलने का अवसर प्राप्त होता है। इस प्रकार से सभी विभिन्न वर्गों के व्यक्ति एकत्रित हो जाते है और उन सभी में एकता की भावना जागृत हो जाती है। यह एक ऐसा

अवसर होता है जिसमें जाति-पाति, भाषा-धर्म व ऊँच-नीच का कोई बन्धन नहीं रहता और सभी की भावना होती है कि सामूहिक रूप से एकत्रित होकर मनोरंजन का आनन्द ले । इस प्रकार के जो कार्निवाल या मेला लगते है, उनमें सार्वजनिक रूप से सभी लोग अपना अपना योगदान देकर सफल बनाते है व प्रशासन आवश्यक सेवाएं व सुविधाऐं उपलब्ध कर देता है । इस प्रकार से सामूहिक रूप से सभी व्यक्तियों को एकत्रित होने का अवसर प्रत्येक सप्ताह में मिल सकता है और वो अपनी रूचि के अनुसार मनोरंजन में भाग ले सकते है । इन कार्निवाल को दिन और रात का प्रश्न नहीं होता व हर समय मनोरंजन लेने की सुविधा रहती है । जो भी व्यक्ति उनमें सम्मलित होते है उन सबका एक ही लक्ष्य होता है कि एक या दो दिन के थोडे समय में इस मनोरंजन के अवसर का पूरा आनन्द ले सके व सप्ताह के अन्य दिनो के लिये वो पुनः उत्साहित होकर अपने कार्य को करते रहे । सामूहिक रूप से जो व्यक्ति एकत्रित होते है, उनके सम्पर्क से प्रत्येक व्यक्ति को एक दूसरे से मिलने का अवसर प्राप्त होता है व विचार विमर्श के द्वारा बहुत सी सामाजिक व आर्थिक समस्याओं का समाधान होने लगता है ।

निरर्थक भूमि योजना बुन्देलखंड में सामाजिक उत्थान के लिए बहुत सहायक बन सकती है । आवश्यकता इस बात की है कि सभी वर्ग

के लोग चाहे वो नगरो में बसते हो या ग्रामीण क्षेत्र के हो, उनके लिये एकत्रित होना और एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करने का अवसर पा लेना या केवल एक सामाजिक प्रक्रिया है, परन्तु उसके साथ में एक ऐसा सम्बन्ध है जिससे वह अपनी मानसिक व शारीरिक शक्तियों को मनोरंजन के माध्यम से गठित व शक्तिशाली कर सकती है । प्राचीन समय से ही देश की संयुक्त परिवार प्रणाली, पंचायती गठन, गाँव सब कुछ एक ऐसा अवसर प्रदान करता है जिसमें व्यक्तिअकेले मनोरंजन का लाभ नहीं भोगना चाहता, देश की व देश की परम्पराऐ ऐसी बनी हुयी है जिसमें व्यक्ति अपने परिवार व सहयोगियो के साथ मिल जुल कर आनन्द लेना चाहता है, इस प्रकार की धारणा नगरो में भी बनी हुयी है और सभी चाहते है कि उनको एक दूसरे के समीप आने का अवसर मिले प्राचीन समय में ऐसे अवसर आते रहते थे और जनसंख्या की कमी के कारण सभी आपस में मिलते जुलते रहते थे, परन्तु आज के युग मे जनसंख्या की वृद्धि होने से व नयी तकनीकी के चलने से फासले तो अवश्य कम हो गये है, परन्तु व्यक्ति की भावनाऐ एक दूसरे से दूर हो गयी है । ऐसी परिस्थिति में आवश्यकता इस बात की है कि मनोरंजन को अपनाने के लिए व उसके द्वारा शक्ति ग्रहण करने के लिए ऐसी सामुहिक योजनाऐ चलायी जाय जो नये वातावरण व परम्पराओं दोनो के आधार पर

समाज के विभिन्न वर्गों व व्यक्तियों को एक दूसरे के समीप ला सके। बुन्देलखंड में व प्रदेश के अन्य भागो में समय समय पर क्षेत्र के निवासी, अपने परिवार के साथ एकत्रित होते रहे है परन्तु उनको नियोजित व विस्तार पूर्ण मनोरंजन सुविधाए उपलब्ध नही हुयी है । ग्राम के भागो में जहाँ भी मेले व नुमाइशें होती रहती हैं, वहाँ पर बड़ी मात्रा में आस पास के निवासी सम्मिलित होने के लिए व मनोरंजन के लिए आते रहे है । बुन्देलखंड में व अन्य भागो में मनोरंजन के कार्यक्रमो का बहुत अभाव रहा है और कोई भी ऐसा अवसर निवासियों को नही मिला है, जिस से वो अपने अतिरिक्त समय में एक दूसरे के साथ मिल कर मनोरंजन का आनन्द ले सके । सदा ही उनके सामने एक ऐसा महत्व पूर्ण प्रश्न आ जाता है, कि वह सभी लोग केवल मनोरंजन ग्रहण करने के लिए धन का व्यय कैसे कर सकेगें ? और मेलो में सम्मिलित होने के लिए अधिक व्यय होना स्वाभाविक है, ऐसी परिस्थिति में जो व्यक्ति व्यय करने का प्रबन्ध कर सकते हैं, वही व्यक्ति ऐसे स्थानो पर जाते रहे है परन्तु अधिक वर्ग ऐसे भी होते है, जिनको आर्थिक संकट के कारण सम्मिलित होने की सुविधा नही हो पाती ।

निरर्थक भूमि द्वारा संचालित ऐसी योजना स्थापित की जा सकती है, जहाँ पर सभी वर्गों के लिए सम्मिलित होने की संपूर्ण सुविधाएं

शासन व संगठनों द्वारा उपलब्ध की जा सके और यह सभी सम्भव होगा जब कि अधिक से अधिक आने जाने की व अन्य सुविधाओं के सम्बन्ध में पूर्णतः प्रबन्ध किये जाये व इस प्रकार की योजनाओं को अधिक से अधिक आकर्षित बनाया जाय । सभी श्रेणियों व आयु के व्यक्तियों के लिए ऐसे आकर्षण होने चाहिए व खेल कूद की ऐसी सुविधाएं देनी होगी, जिससे निर्धारित समय में सम्पूर्ण आनन्द प्राप्त किया जा सके और सभी की रुचि के अनुसार उनको तमाशा दिखाने का अवसर दिया जाये । निरर्थक भूमि के क्षेत्रों में ऐसे स्थानों का चयन किया जा सकता है, जहाँ पर मेले, कार्निवाल व नुमाइशें स्थापित की जा सकें । ऐसे स्थान भी स्थापित किये जा सकते है, जहाँ पर स्थायी रूप से कुछ मनोरंजन की सेवाएं बनादी जाए और जिनसे आस पास के निवासी लाभान्वित हो सकें । ऐसी स्थायी योजनाएं व केन्द्र स्थापित करने से लागत नियन्त्रित रह सकेगी और समय समय पर मनोरंजन कार्यों में व मेला लगाने में व्यय कम आयेगा व आवश्यकता अनुसार उनको नियमित किया जा सकता है ।

कार्निवाल, खेल कूद व मेले के लिए विभिन्न आकर्षक स्थानों पर स्थायी भवनों को स्थापित किया जा सकता है व अस्थायी ढांचे भवनों के ऐसे बनाये जा सकते है, जिनका समय समय

पर प्रयोग किया जा सके । निरर्थक भूमि पर कुछ ऐसे केन्द्र स्थापित हो सकते है, जिनमें पशु पक्षी को पाला जा सके और उनसे बालको व सभी वर्गों को मनोरंजन प्राप्त होता रहे । बुन्देलखंड में भूमि की कमी नहीं है और निरर्थक भूमि को अधिक से अधिक मात्रा में उपयोगी बनाया जा सकता है व विभिन्न स्थानीय योजनाए संचालित की जा सकती हैं ।

किसी भी अर्थव्यवस्था में क्षेत्र का उपयोग आर्थिक दृष्टिकोण से होना चाहिए । कुछ ऐसे कार्य होते है, जिनसे अर्थ व्यवस्था के सुधारने में आर्थिक उपलब्धि तुरन्त प्राप्त हो जाती है परन्तु कुछ ऐसे भी कार्य होते है जिनमे आर्थिक उपलब्धियाँ निवासियों के आत्म विश्वास, मनोबल व कार्य क्षमता से प्राप्त होती है । इस प्रकार से आवश्यकता इस बात की है कि आर्थिक उपलब्धियों के लिए क्षेत्र के निवासियों को ऐसी सुविधाए उपलब्ध करायीं जाय, जिनसे उनके कार्य करने की दशाओं का उत्थान हो सके और उनकी कार्य क्षमता बढ़ती जाये ।

---:0:---

F. Emotional intergeation through wild land media :-

निरर्थक भूमि के द्वारा जो मनोरंजन के साधन स्थापित हो सकते है, उनमें सम्मलित होने वाले सभी वर्गों में एकता की भावना जागृत हो जाती है और जो भी अपरिचित सम्बन्ध होते है वो सभी एक स्थान में मिश्रित हो जाते है । उनके द्वारा क्षेत्रीय व स्थानीय भावनाएं एकता की ओर अग्रसर होने लगती है । ये एक ऐसा सम्बन्ध होता हैं जिससे ना केवल व्यक्ति व समाज लाभान्वित होता है परन्तु संपूर्ण समाज व देश को लाभ मिलता है । बुन्देलखंड ऐसे क्षेत्र में जहाँ दूर दूर स्थान बसे हुये है वहाँ एकता की भावना होना सब की सुरक्षा के लिये अत्यन्त आवश्यक है । आधुनिक युग में बहुत कम ऐसे साधन होते है जहाँ पर सामूहिक रूप से लोग एकत्रित हो सके व एक दूसरे के सम्पर्क में आ सके । इस प्रकार के स्थानों में संस्कृति का उत्थान होता है और विभिन्न वर्ग एक दूसरे की समस्याओं का अनुमान लगा कर उनके समाधान का कार्य कर सकते है । सौर्य पूर्ण जीवन में ये अति आवश्यक है कि एकता का प्रचार किया जाये जिससे आर्थिक व सामाजिक समस्याएं सुलझती रहे । किसी भी क्षेत्र व देश की अखण्डता के लिये संपूर्ण जनसमूह को एक दूसरे के घनिष्ट सम्पर्क में आने

का अवसर मिलना चाहिये । जिस तरह की परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के सुख दुख में सम्मिलित होते है और एक दूसरे के हित को सुरक्षित रखने के लिये प्रयास करते रहते है और इसके द्वारा भावनाओं को आदर देते हुये परिवार की अखण्डता किसी भी परिस्थिति में टूटने नहीं देते । इसी प्रकार से क्षेत्र, प्रान्त व देश के लिये भी एक दूसरे से सम्पर्क बनाना जिसेकर उन भागो से जो दूर बसे हुये है और कोई भी ऐसा व्यापक साधन नहीं है जिससे व्यक्ति एक दूसरे के समीप आकर एकता की भावनाओं को प्रकट कर सके । इस कमी को पर्यटको द्वारा बहुत सीमा तक पूरा किया जा सकता है और दूर दूर से आने वाले परिवार सब भी एकत्रित हो सकते है, जब उनके लिये किसी भी क्षेत्र में कोई आकर्षण बना हो । आवश्यकता इस बात की है कि क्षेत्रीय भावनाए उभरी न हो जाये, जिससे राष्ट्रीय भावनाए ना उभर सके । अखंडता के लिये प्रत्येक व्यक्ति व वर्ग में राष्ट्रीयता का भाव होना किसी भी देश के लिये एक मुख्य उपलब्धि होती है । इस सम्बन्ध में आवश्यकता इसबात की है कि जिन भागो में निरर्थक भूमि पडी हुई है, उसको ऐसे प्रयोग में लाना होगा जिससे सम्पर्क विभिन्न स्थानो पर बना रहे और साथ में क्षेत्रीय आर्थिक व सामाजिक उन्नति होती रहे । आर्थिक उन्नति में

व्यक्ति की जीविका की पूर्ति हो जाती है परन्तु उसके साथ में उसमें सामाजिक सम्मान व आत्मतुष्टि पाना है, तो आवश्यकता इस बात की है कि कोई ऐसा साधन जुटाया जाय जिससे अधिक से अधिक व्यक्तियों व परिवारों के सम्मिलित होने का प्राविधान किया जा सके। मनोरंजन एक ऐसा माध्यम है, जिसमें विभिन्न विचारों व वर्गों के लिये सामान्य रूप से आकर्षण पैदा करता है और उनमें जो भी आन्तरिक भावनाएं होती हैं, वो सभी मनोरंजन के आगोश में लिप्त हो जाती है और सामान्य रूप से सभी आयु व भावनाओं के व्यक्ति आनन्द ले सकते है। मनोरंजन एक ऐसा माध्यम है जिसमें सभी भाषाओं, धर्मों व वर्गों के व्यक्तियों में एक दूसरे के प्रति कोई अन्तर नहीं रह जाता और अपने अपने रूप में सभी स्थान स्थान पर भ्रमण करके सम्पूर्ण देश की प्राकृतिक शक्तियों का अनुभव कर सकते है। किसी भी भाग की निरर्थक भूमि केवल उस क्षेत्र की शक्तियों को ही प्रस्तुत नहीं करती परन्तु प्रकृति की सम्पूर्ण शक्ति को, क्षेत्र की मानवीय शक्तियों से जोड़ती है और दोनों की सहायता से जो भी उपलब्धियाँ होती है वो निष्पक्ष रूप में सभी के लिये मान्य हो जाती है। इस प्रकार से जब कोई व्यक्ति

किसी क्षेत्र में आकर किसी भी प्रकार के मनोरंजन का अनुभव करता है तो सर्वप्रथम उसकी आन्तरिक भावनाएं उस स्थान के लिये श्रद्धा पूर्ण हो जाती है और बिना किसी भेद भाव के सभी व्यक्ति उन प्राकृतिक शक्तियों व प्रभावो को अपनाना चाहते है । इस प्रकार की निरर्थक भूमि द्वारा जो भी सुविधाए प्राप्त होती है, वो सम्पूर्ण देश के लिये एकता का सन्देश लाती है । यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति विदेश जाता है तो कुछ ही समय पश्चात उसको अपने देश की याद आने लगती है और जिस दिशा में देश होता है उस दिशा में देख कर वो विभोर हो उठता है और उसकी आत्मा देश के लिये व्याकुल हो उठती है । इसी लिये जो जिस स्थान पर पैदा होता है, पलता है, जिस प्राकृतिक पर्यावरण में वो अपने जीवन का अधिकतम भाग व्यतीत करता है, वो सब कुछ उसके लिये बहुत महत्व पूर्ण बन जाता है और उस स्थान को वो अपना घर व अपना देश समझने लगता है । इसी लिये आवश्यकता इस बात की है कि बुन्देलखंड में जहाँ निरर्थक भूमि अधिक मात्रा में है, उसका उपयोग ऐसा होना चाहिये जिससे अधिक से अधिक व्यक्ति अपना सम्बन्ध इस स्थान से रख सके और ऐसे निरर्थक स्थानो को सही उपयोग तब ही हो सकता है जब उनको अन्य व्यक्तियों के लिये उपयोगी बनाया जाये।

अगर निरर्थक भूमि के भागो में कृषि व उद्योग केन्द्रित कर दिये जाये तो उनका अधिक से अधिक व्यक्तियों से सम्पर्क नहीं जोड़ा जा सकता और उनकी स्थापना से केवल आर्थिक दृष्टिकोण ही रह जाता है, परन्तु अगर उन स्थानो को मनोरंजन जैसी योजनाओं से भरपूर कर दिया जाये तो आर्थिक व सामाजिक लाभ के साथ अन्य व्यक्तियों से निरन्तर सम्बन्ध जोड़ा जा सकता है और इस प्रकार से सभी व्यक्ति एकता व अखंडता का वातावरण विभिन्न क्षेत्रो में स्थापित कर सकते है और निरर्थक भूमि व्यक्ति की दूरी को समीप ला सकती है ।

-----=:0:=-----

G. Re-orientation of Bundelkhand environment :-

निरर्थक भूमि को मनोरंजन के लिये उपयोगी बनाने के लिये जो कार्य होगा उससे इस बुन्देलखण्ड क्षेत्र की उपेक्षित पड़ी हुई भूमि काम में आ सकेगी । जो भाग घिरे हुये है या जिन स्थानों में आवागमन के कोई साधन नहीं है उनका भी उत्थान होगा । यातायात व बिजली शक्ति उन को मिल जायेगी । इस क्षेत्र के निवासियों को इस भूमि के सम्पर्क में आने पर सभी प्रकार की सुविधाएं भूमि को मिल सकेगी । इस प्रकार के परिवर्तन से निरर्थक भूमि का प्राकृतिक सौन्दर्य सुरक्षित रह सकेगा और अपना योगदान व्यक्ति की क्षमता बढ़ाने के लिये देता रहेगा । निरर्थक भूमि अन्य प्रकार की भूमियों से बिल्कुल पृथक होती है । निरर्थक भूमि पर मनोरंजन की योजना बनाने हेतु कोई भी अव्यवस्था का दबाव नहीं पड़ना चाहिये । कृषि, उद्योग व बस्तियों से निरर्थक भूमि का सौन्दर्य नष्ट होने की सम्भावना होती है और निरर्थक भूमि का योगदान केवल कृषि उद्योग के द्वारा ही व्यक्ति के लिये होता है, जिसमें हम प्राकृतिक सम्पत्तियों को नष्ट करके आर्थिक उपलब्धियाँ करते है, उत्पादन बढ़ाते है व उपभोक्ताओं को सन्तुष्ट करते है ।

परन्तु अगर बुन्देलखंड की निरर्थक भूमि को केवल मनोरंजन की सुविधाओं के लिये सीमित कर दिया जाये तो इस भूमि की प्रगति को लाभ होगा। मनोरंजन के लिये आरक्षित क्षेत्र का होना अति आवश्यक है जिसमें कोई अन्य कार्य ना लगाया जाये और ऐसे सुरक्षित भागों के लिये निरर्थक भूमि सबसे उत्तम होती है जिसको उपयोग में लाने से किसी भी अन्य आर्थिक कार्य में हस्तक्षेप नहीं होगा। इस प्रकार से निरर्थक भूमि को बुन्देलखंड में मनोरंजन योजनाओं के लिये आरक्षित कर देना चाहिये।

बुन्देलखंड प्राकृतिक पर्यावरण से भरपूर है और इस अद्भुत शक्ति का पहले अनुभव नहीं था और सभी समझते थे कि इसका दायित्व यहाँ के निवासियों का ही है और वो अपनी जीविका सुधारने के लिये स्थानीय शक्तियों का प्रयोग ना करके पड़ोसी भागों से व शासन से सहायता ले सकते हैं। बुन्देलखंड के अधिकतर भाग प्राचीन छोटी व बड़ी रियासतों से घिरे हुये थे और उनका प्रभाव इस क्षेत्र में पड़ता था और जब कोई कठिनाई होती थी तो इस क्षेत्र के निवासी पास वाली रियासतों में शरण ले लेते थे और जो कुछ भी बुन्देलखंड के भागों में सीमित साधन थे उनको उपलब्ध करने में समय के अनुसार शासन मदद करता था। निरर्थक भूमि योजना अधिक मात्रा में

है उसको खेती के लिये प्रयोग में लाना मंहगा पड़ता था और उतनी ही खेती की जाती थी जब तक जो वहाँ के निवासियों को भोजन दे सके । कोई भी अपनी पूँजी इस पिछड़े क्षेत्र में लगाना नहीं चाहता था और सम्पन्न केन्द्रों में ही वो विनियोगित करता था । इस प्रकार से इस क्षेत्र का जो पर्यावरण रहा है, उसमें पत्थर व चट्टानों का एक खास स्थान है । इस भूमि शक्ति को लोगों ने अधिक मात्रा में व्यापार तथा पर आर्थिक प्रयोग किया । पत्थरों से उनको व्यापार की प्रेरणा मिली और इस भूमि शक्ति का उन्होंने लाभ उठाया, परन्तु फिर भी उनकी आर्थिक व सामाजिक उन्नति आशानुसार नहीं हो सकी। बुन्देलखंड की इस अनन्त प्राकृतिक शक्ति व पर्यावरण को एक नया रूप देना होगा । इस भाग में खनिज शक्ति व प्राकृतिक वातावरण महत्वपूर्ण है जिसको औद्योगिक रूप दिया जा सकता है और यहाँ के निवासियों को आत्म निर्भरता प्राप्त हो सकती है । पिछले 60 वर्षों में कृषि की अधिक वृद्धि हुई है, उद्योग भी स्थापित होते जा रहे है । इतने बड़े प्राकृतिक भण्डार को प्रयोगवादी बनाने के लिये धन शक्ति की आवश्यकता है और शासन अपनी गति से औद्योगिक योजनाओं को चलाता है परन्तु आवश्यकता इस बात की है कि ऐसी

योजनाएं बनाई जाये जिससे प्राकृतिक संपत्ति का उपयोग निर्धन निवासी कर सके, पर्यावरण सुरक्षित रह सके और पर्यावरण के माध्यम से वहाँ के निवासी अपनी जीविका कमा सके । पर्यावरण द्वारा जीविका कमाने के लिये प्रस्तावित पर्यटन योजना पर विचार किया जा सकता है और उसके आधार पर सभी प्रकार की प्राकृतिक देने जो क्षेत्र में अधिक मात्रा में है प्रयोग में ला सकती है ।

----=:0:=----

CHAPTER :- (V).

C H A P T E R - V

Financial Management of Bundelkhand Ecology .

4. Social or State responsibilities :-

देश के किसी भी भाग के पर्यावरण व परिस्थिति विज्ञान को सुरक्षित रखना वहाँ के निवासियों व प्रशासन का मुख्य कर्तव्य हो जाता है । इस प्रकार से किसी भी क्षेत्र का आर्थिक व सामाजिक विकास उस क्षेत्र की परिस्थिति की सुरक्षा व विकास से जुड़ा हुआ है । बुन्देलखण्ड में निरर्थक भूमि की देखभाल, विकास व सुरक्षा ही के कारण वहाँ के निवासी अपनी उन्नति की आशा कर सकते है । मानव कल्याण के लिये संयुक्त रूप से व्यक्ति व प्रशासन दोनो के योगदान की आवश्यकता है । प्रत्येक विकास कार्य में ना केवल धन की आवश्यकता होती है परन्तु उसके साथ में उस क्षेत्र के निवासियों का योगदान भी अत्यन्त आवश्यकता होता है । इतने महत्व पूर्ण कार्य के लिये ये आवश्यक हो जाता है कि राज्य शासन क्षेत्रीय आवश्यकतानुसार अपनी योजनाए बनाए और उसके साथ में वहाँ के निवासियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त करें, उसके पश्चात ही

कोई भी योजना सफलता की आशा कर सकती है । विभिन्न कार्यों के संचालन में प्रशासन को वहाँ के निवासियों के साथ मिल जुल कर व सन्तुलन बना कर कार्य करना होगा जिससे पारस्परिक सद्भावना होकर विभिन्न आर्थिक व सामाजिक क्षेत्र की योजनाएं समयानुसार चल सकें । इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि निरर्थक भूमि योजना बुन्देलखंड में चलाने के लिये दोनो पक्षो को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिये और निर्धारित अवधि में निरर्थक भूमि के विकास कार्यों को संचालित करके, बुन्देलखंड क्षेत्र को उस योजना को समर्पित कर देना चाहिये । बुन्देलखंड में निरर्थक भूमि से सम्बन्धित सभी कार्य संचालन करने में इस बात की आवश्यकता है कि झांसी में राज्य प्रशासन निरर्थक भूमि योजना के लिये एक केन्द्र स्थापित करे और जिसमें सभी विकास सम्बन्धी इकाइयाँ स्थापित की जाये जिससे कि वो सम्पूर्ण बुन्देलखंड में निरर्थक भूमि सम्बन्धी सर्वेक्षण करके अपनी अपनी योजनाओं को निर्धारित करें । इस प्रकार से राज्य प्रशासन को इस केन्द्र से पूर्ण रूप से सहायता मिल सके और निरर्थक भूमि योजना को बुन्देलखंड में तुरन्त प्रारम्भ करने में सहायता मिल जाये । निरर्थक भूमि योजना की रूप रेखा तैयार करने में इस क्षेत्र की पूर्ण जानकारी होना आवश्यक है । निरर्थक भूमि विकास

सम्बन्धी कार्यों में प्रशासन के सभी विभागों के योगदान की आवश्यकता पड़ेगी और प्रस्तावित केन्द्र की स्थापना से विकास कार्यों में गति आ जायेगी । अगर बुन्देलखंड के निवासियों को निरर्थक भूमि सम्बन्धी योजना के प्रति सही रूप से अवगत कराया जाये तो सभी स्तरों में उत्साह जागृत हो जायेगा और वो अपना अपना योगदान देकर निरर्थक भूमि को अधिक प्रयोगवादी बना सकेंगे । निरर्थक भूमि सम्बन्धी योजना को लाने में आवश्यकता इस बात की है कि कुछ योजना सम्बन्धी कार्यों को प्रशासन अपने अधिकार में रखे और कुछ कार्यों को क्षेत्र के निवासियों को सौंप दे और दोनों ही निश्चित समय में अपने अपने कार्यों को समाप्त कर करके योजना के प्रोग्राम को आगे बढ़ाए । प्रत्येक वर्ष का कार्य क्रम योजना सम्बन्धी होना चाहिये जिसके लिये ये आवश्यक है कि भविष्य में वर्षों की कार्य गति को बढ़ाने के लिये सभी प्रबंध पहले से कर लिये जाये इस सम्बन्ध में ये कहना आवश्यक है कि सभी सम्बन्धित शासन के विभागों में प्रत्येक वर्ष की कार्य प्रणाली व योजनाएं बना ली जाती है और जिनमें उन्हें समयानुसार पूरा करना होता है । इस प्रकार से अगर प्रशासन विभिन्न विभागों द्वारा बुन्देलखंड क्षेत्र की निरर्थक भूमि सम्बन्धी योजनाओं को लाना

चाहता है तो सभी विकास का क्षेत्र की, सभी निर्धारित दिशा में कार्य करे और उसके साथ में यहाँ के निवासियों के प्रतीक योगदान को अपने कार्यों से सम्बन्धित करने की चेष्टा को सफल बनाए । इस प्रकार से निरर्थक भूमि विकास कार्य चलाने में राज्य शासन व बुन्देलखंड निवासी दोनों ही अपना अपना योगदान दे सकते हैं । निरर्थक भूमि को बुन्देलखंड के निवासियों से सम्बन्धित करने के लिये प्राथमिकता शासन को देनी चाहिये जिससे योजनाओं के संचालन में कठिनाई ना हो और इसके साथ में विभिन्न कार्य क्षेत्रों का बटवारा सही ढंग से किया जा सके । इस प्रकार की योजना के संचालन में विशेष समस्या का समाधान भी किया जा सकता है । जो भी प्रशासन इस कार्य के लिये प्रत्येक वर्ष विशेष प्रबन्ध करेगा उसके साथ में बुन्देलखंड क्षेत्र से भी विशेष सुविधा विभिन्न वर्गों के आधार पर ग्रहण की जा सकती है । ये सभी सम्भव होगा जब कि शासन क्षेत्र के निवासियों का विश्वास निरर्थक भूमि के विकास के लिये प्राप्त करे । इस सम्बन्ध में उचित वातावरण स्थापित करना चाहिये । प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि पर्यावरण और परिस्थिति विज्ञान का क्षेत्र ना केवल सुरक्षित रहे परन्तु मानव की लालसा होती है कि उसका अधिकतम सम्बन्ध प्राकृतिक शक्तियों से बना रहे । अगर

व्यक्ति को ये विश्वास हो जाये कि प्राकृतिक शक्तियों द्वारा उसका दैनिक जीवन आर्थिक व सामाजिक क्षेत्र से सम्बन्ध हो सकता है तो वो भी अपने प्रयास से किसी भी निरर्थक भूमि योजना में साझीदार बनना ग्रहण कर लेगा । जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है, निरर्थक भूमि को उपयुक्त मार्ग में मनोरंजन योग्य बना कर बुन्देलखंड के नागरिकों की दिनचर्या से सम्बन्धित कर देना होगा और इस नवीन प्रयास से व्यक्ति व वातावरण दोनो ही आर्थिक व सामाजिक उपलब्धियाँ प्राप्त कर सकेंगे । ये एक ऐसा कदम है जिसमें राज्य शासन व नागरिकों का प्राचीन दृष्टिकोण बदल जायेगा और वो विकास की इस नई दिशा में अपना अपना सहयोग बिना किसी संकोच के दे सकेंगे । ये तो निश्चित है कि किसी नई दिशा को अपनाने में प्रारम्भ में संकोच होता है परन्तु निरर्थक भूमि द्वारा जो बुन्देलखंड के निवासियों को अनोखी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है उसके लिये निरर्थक भूमि को व्यक्ति के जीवन से सम्बन्धित करने में शासन के साथ में सभी वर्गों के पूर्ण सहयोग की अत्यन्त आवश्यकता है । यही एक ऐसी योजना है जिससे कि क्षेत्र व देश की प्राचीन परम्पराएं सुरक्षित रखते हुये व्यक्ति की क्षमता को आधुनिक विकास के द्वारा अत्यधिक बढ़ाया दिया जा सकता है ।

प्राकृतिक सौन्दर्य को बिना खंडित किये हुये निरर्थक भूमि द्वारा बुन्देलखंड के निवासी अपने जीवन को अधिकतम आनन्दमय बना सकते हैऔर उसके द्वारा अधिकतम कार्य क्षमता प्राप्त करने का प्रमाण दे सकते हैं ।

B. Self sufficient balanced Socio-economic Units for financial existance in different Wild Land disci lines

भारत के सभी भागो में प्राचीन समय से ही प्रत्येक ग्राम एक आत्म निर्भर आर्थिक सामाजिक इकाई के रूप में कार्य करता रहा है और बहुत समय तक इन इकाइयों पर बाहरी एवं पड़ोसी दुष्प्रभाव नहीं पड़े । इसके अनुभव से देश वासियों व देश वासियों को कार्य क्षमता के अनुभव का प्रमाण मिलता है । इससे से प्रतीत होता है कि प्रत्येक ग्राम की क्षमता है कि वो अपने अस्तित्व को सुरक्षित रख सकता है और उसके साथ में आर्थिक व सामाजिक नियमो का पालन कर सकता है । इस प्रकार से प्रत्येक ग्राम सक्षम है कि वो अपने निवासियों के लिये उचित कार्य उपलब्ध कराये जिससे कि वो अपने ग्रामो को आत्म निर्भर रख सके । देश के ग्राम प्राचीन समय से ही छोटी छोटी इकाई के रूप में कार्य करते रहे है और वो अपनी कार्यक्षमता को सुरक्षित रखना जानते है । इस लिये से आशा की जाती है कि बुन्देलखंड का प्रत्येक ग्राम इकाइयों के रूप में निरर्थक भूमि सम्बन्धी विकास योजनाओं से पूर्ण सहायता व अपना योगदान निसंकोच देसके । निरर्थक भूमि सम्बन्धी सभी प्रकार की विकास सम्बन्धी जो भी योजना बनाई जाये उसमें ग्रामो की

सामूहिक शक्ति मिल कर प्रशासन को अपनी आर्थिक शक्ति की चुनौती दे सकती है, जो कि अपने प्रकार से इन बड़े कार्यों में सरकार के साथ जुट कर सहायता प्रदान कर सकेगी । ग्रामों में बिखरी हुई वित्त शक्ति कुछ सीमा तक नियोजित नहीं होती है और अगर पर्याप्त रूप से शक्ति, प्रशासन और ग्राम निवासी मिल कर निरर्थक भूमि के कार्यों में लगाए तो इस वित्त शक्ति से कहीं अधिक मात्रा में ग्रामीण लाभ ग्रहण कर सकते है जो कि उद्देश्य रहा है । इस सम्बन्ध में यह कहना उचित होगा कि ग्रामीण वित्त शक्ति के प्राप्त करने के सम्बन्ध में एक निगम बुन्देलखंड में स्थापित कर दिया जाये, जोकि सरकार के बराबर व्यय करने के लिये निरर्थक भूमि के विकास में सुविधा दे सके । ग्रामीण वित्त सहायता एवं राष्ट्रीय वित्त सहायता दोनो की प्रतिशत सीमाएं समयानुसार निर्धारित की जा सके । इस योजना के अन्तर्गत अगर बुन्देलखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों की निरर्थक भूमि इकाइयों को मनोरंजन योग्य बना दिया जाये, तो अधिकतर ग्रामीण जन संख्या जो समय समय पर नगरों में जा कर काम ढूंढती है और वहाँ बस जाती है और अपने ग्रामीण जीवन को त्याग देती है, इस प्रकार की प्रवृत्ति निश्चित समाप्त हो जायेगी और सभी ग्रामवासियों को ना केवल अपने ही क्षेत्र में स्थायी रूप से काम मिलने लगेगा वरन

सामुहिक शक्ति मिल कर प्रशासन को अपनी आर्थिक शक्ति की चुनौती दे सकती है, जो कि अपने प्रकार से इस बड़े कार्य में सरकार के साथ जुट कर सहायता प्रदान कर सकेगी । गांवों में बिखरी हुई वित्त शक्ति कुछ सीमा तक नियोजित नहीं होती है और अगर पर्याप्त रूप से शक्ति, प्रशासन और ग्राम निवासी मिल कर निरर्थक भूमि के कार्य में लगाएं तो इस वित्त शक्ति से कहीं अधिक मात्रा में ग्रामीण लाभ ग्रहण कर सकते है जो कि उद्देश्य रहा है । इस सम्बन्ध में यह कहना उचित होगा कि ग्रामीण वित्त शक्ति के प्रयोग करने के सम्बन्ध में एक निगम बुन्देलखंड में स्थापित कर दिया जाये, जोकि सरकार के सहकार प्राप्त करने के लिये निरर्थक भूमि के विकास में सुविधा दे सके । ग्रामीण वित्त सहायता एवं राष्ट्रीय वित्त सहायता दोनों की प्रतिशत सीमाएं समयानुसार निर्धारित की जा सके । इस योजना के अन्तर्गत अगर बुन्देलखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों की निरर्थक भूमि इकाइयों को कृषि योग्य बना दिया जाये, तो अधिकतर ग्रामीण जन संख्या जो समय समय पर नगरों में जा कर काम ढूंढती है और वहीं बस जाती है और अपने ग्रामीण जीवन को त्याग देती है, इस प्रकार की प्रवृत्ति निश्चित समाप्त हो जायेगी और सभी ग्रामवासियों को न केवल अपने ही क्षेत्र में स्थायी रूप से काम मिलने लगेगा वरन

को बढ़ी दर प्राप्त हो जायेंगे । इसके साथ में निरर्थक भूमि योजनाओं के अन्तर्गत उनको पूर्णकाल कार्य में व्यस्त रहने का अवसर मिलेगा और साथ ही साथ इन व्यक्तियों की कार्य क्षमता भी अधिकतम हो जायेगी और जो भी अपने गावों व नगरों के निवासियों से किसी भी प्रकार दूर नहीं जायेंगे । मनोरंजन की सुविधाओं को अनिवार्य करने से एक ऐसे समाज का विकास प्रारम्भ हो सकता है, जिसका अनुमान पहले नहीं हो सकता । यह एक ऐसा अवसर होगा जब कि ग्रामीण व नगरीय निवासी पारस्परिक मनोरंजन प्राप्त करके एक दूसरे के नजदीक आ जायेंगे और कोई भी भावना ग्रामीण व नगरीय आधार पर नहीं रहेगी । इस प्रकार की व्यवस्था के पश्चात जो उपलब्धि ग्रामीण व नगरीय मानव शक्ति से प्राप्त होगी उसका विश्लेषण विशेष शक्ति के आधार पर करना होगा और इसी के अनुसार पर्याप्त आमदनी विभिन्न वर्गों की बन सकती है और समाज के वो वर्ग जो न्यूनतम स्तर पर जीवन निर्वाह कर रहे है, वो भी अपनी कार्य क्षमता व उपलब्धि का अनुभव निरर्थक भूमि के मनोरंजन के स्रोत से ग्रहण कर सकते है । इस सम्बन्ध में ये आवश्यक होगा कि बुन्देलखंड क्षेत्र की निरर्थक भूमि मनोरंजन योजनाओं के सम्बन्ध में ग्रामीण व नगरों के आमदनी के स्रोत का सही रूप से विश्लेषण किया जाये और उसके द्वारा

योगदान को निर्धारित किया जाये । ग्रामीण व क्षेत्रीय समाज बहुत पहले से ही अपने अपने क्षेत्र में विकास से सम्बन्धित रहा है, और निरर्थक भूमि योजना कार्य में पूर्णतः सम्मिलित होने में किसी भी प्रकार की शंका उनको नहीं होगी । प्रशासन तन्त्र व क्षेत्रीय विभिन्न संस्थाओं पर से अपेक्षा हो जाता है कि वो निरर्थक भूमि सम्बन्धी मनोरंजन योजना की पूरी जानकारी सुनिश्चित करें सभी वर्गों को योजना सहित दे और उनके साथ में इस योजना से होने वाले लाभ व विकास के सम्बन्ध में इस क्षेत्र के निवासियों को सही ढंग से अवगत करायें । इस प्रकार से यह आशा की जा सकती है कि निरर्थक भूमि की सहायता से इस क्षेत्र का उत्थान हो सकेगा जिसमें राज्य शासन व क्षेत्र के सम्पूर्ण समाज के वर्गों की भागीदारी होना अनिवार्य है ।

------:0:------

C. Compulsory Wild Land developments cess chargable in proportion to Rural-Urban income groups :-

निरर्थक भूमि मनोरंजन योजना के चलाने में इस क्षेत्र के नागरिकों की उन्नति करने की अभिलाषाओं को ध्यान में रखते हुये ग्रामीण व नगरीय निवासियों की व्यक्तिगत आमदनी की सूची बन जानी चाहिए जिससे सभी वर्गों से एक निश्चित **cess** के रूप में पूंजी वर्गों की आमदनी के अनुसार ग्रहण की जा सके । इस सम्बन्ध में पूर्णतया जानकारी योजना के चलाने से पूर्व प्रशासन द्वारा दी जावे और इस एकत्रित पूँजी से राज्य प्रशासन अपनी ओर से वित्त सहायता पर्याप्त रूप में दे । बुन्देलखंड क्षेत्र में इस योजना को चलाने में निम्नलिखित कदम उठाए जावे । निरर्थक भूमि मनोरंजन योजना के सम्बन्ध में राज्य प्रशासन को नीति सम्बन्धी निर्णय देना होगा, जिस से इस कार्य को चलाने की सभी बाधाएं दूर हो जावे । इस सम्बन्ध में आवश्यकतानुसार अगर धारा भी पारित करना हो तो मनोरंजन को प्रत्येक व्यक्ति या वर्ग के लिये अनिवार्य बनाने सम्बन्धी योजना की नीति की घोषणा पर्याप्त रूप में करनी होगी । इससे सम्पूर्ण समाज को आर्थिक व सामाजिक दिशा में लाभ मिलेगा और कोई भी व्यक्ति ऐसे वातावरण में अपने निर्धारित कार्य की अवहेलना नहीं करेगा ।

मनोरंजन की चेतना समाज को होनी चाहिये व उसके साथ में प्रशासन व विभिन्न औद्योगिक वर्गों में, कृषि समाजों व विभिन्न कृषक वर्गों में ये भावना होगा कि प्रत्येक बुन्देलखंड के नागरिक को मनोरंजन प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध हो और प्रत्येक सप्ताह में अनिवार्य रूप से सभी वर्ग मनोरंजन के वातावरण में सम्मिलित हो सके। अपने व्यस्त कार्यक्रम में हट कर परिवार सहित सम्मिलित होकर एक नई शक्ति का अनुभव करने का उनको अवसर दिया जाये। इसके साथ में समाज के धनी व निर्धन वर्ग पारस्परिक मनोरंजन के द्वारा एक दूसरे के अधिक नजदीक आ जायेंगें। ये सब तब ही सम्भव होगा जब बुन्देलखंड की निरर्थक भूमि की मनोरंजन योजना के माध्यम से क्षेत्र की सम्पूर्ण जनसंख्या को सम्मिलित होने का अवसर मिले। इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि जब कोई इस प्रकार की योजना चलती है तो राज्य प्रशासन के अत्याधिक प्रयास के साथ में नागरिको का भी प्रोत्साहन व योगदान बढ़ता जाता है और वो अपनी सभी शक्ति ऐसे पवित्र कार्यों में लगा देते है। ऐसी परिस्थिति में जब कोई cess लगाई जाती है तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होती है और सभी वर्ग अपना अपना योगदान देने में तत्पर होते है और एक अच्छे पवित्र कार्य में धन शक्ति एकत्रित हो जाती है।

---::-----

D. **Input and Output ratio in relation to productivity and investment :-**

किसी भी आर्थिक कार्य को करने में सोचना पड़ता है कि लागत के अनुसार प्रतिफल क्या होगा । बुन्देलखंड निरर्थक भूमि मनोरंजन प्रस्तावित योजना में जो लागत का अनुमान किया जा सकता है, उसमें विभिन्न सम्बन्धित शासन के विभाग जैसे पर्यटन, समाज कल्याण, कृषि परिवहन व ऐसे अन्य सामाजिक विभाग भी है जो इस सभी भूमि में योजना के अन्तर्गत अपने अपने कार्य पूर्णतया सम्भालेंगें और उन कार्यों की उपलब्धि मनोरंजन के लिये होगी और उसका प्रयोग सभी वर्ग करेंगें । प्रत्येक वर्ष योजना में गति लाने के लिये तुरन्त निर्माण कार्यों को निरर्थक भूमि पर पूरा कर देने का निर्णय लेना होगा । इस प्रकार से एक अवधि में सम्बन्धित विभागों की लागत का निरर्थक भूमि की योजना के सम्बन्ध में अनुमान लगाया जा सकता है । इस कार्य को तुरन्त पूरा करने के लिये भी अवधि निर्धारित करना होगा और उसी के अनुसार लागत का अनुमान लगाया जा सकता है । इससे पूर्व प्रत्येक वर्ष में धन स्त्रोतों का साधन जुटाने के पश्चात जो धन अर्पित सार्वजनिक रूप से ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों से प्राप्त होगी, जिसका अधिकतर अनुमान cess के आधार पर

लगाया जा सकता है उस धन शक्ति को भी वार्षिक व्यय में समर्पित करना होगा जिससे राज्य प्रशासन की धन शक्ति व कुल सार्वजनिक धन शक्ति का उचित सन्तुलन रखा जा सके । इस प्रकार से बुन्देलखंड में निरर्थक भूमि मनोरंजन योजना को चलाने की कुल विनियोगिता का अनुमान लगाया जा सकता है और उस के साथ में सो धन शक्ति भी मालूम की जा सकती है जो कि अन्य स्त्रोतो से प्राप्त हो सकती है । इस प्रकार से शासन द्वारा जो धन का व्यय होगा, उससे तात्पर्य केवल उस शुद्ध धन शक्ति का है जिसको कि उस कार्य में व्यय किया जायेगा, जिसमें प्रशासन कर्मचारियों के वेतन, व्यय व प्रशासन के अन्य खर्च सम्मिलित नही हो। इस प्रकार से केवल शुद्ध व्यय से विनियोगिता का अनुमान लगायेंगे । इसका कारण केवल ये है कि निरर्थक भूमि योजना चलाने में किसी नये विभाग की स्थापना नही की गई है और सभी कार्य ऊपर दिये गये विभागो को सौंप दिये गये हैं । केवल जो प्रस्तावित योजना सम्बन्धी निदेशालय केन्द्र का झाँसी में स्थापित करने का विचार है। उसका कार्य क्षेत्र, प्रस्तावित योजना को सामूहिक रूप से विभिन्न शासन के विभागो द्वारा कार्य संचालित करना है व क्षेत्र के कार्यों में देख रेख रखना है । क्यों कि सभी प्रकार के निर्माण कार्य विभागों में

प्रचलित है, केवल अन्तर यह है कि निरर्थक भूमि पर मनोरंजन की योजना के अन्तर्गत सभी विभाग अपने अपने कार्य करेगें और इस प्रकार के कार्यों को अपने सम्बन्धित विभाग के कार्यों में जोड़ कर सम्मिलित कर लेगें और विशेष रूप से अतिरिक्त समय में अपना अपना योगदान भी इस योजना को देगें । ये आशा की जाती है कि सहीतकनीकि का पालन सभी विभाग इस योजना के अन्तर्गत कर सकेगें । इसके साथ में जो भी समय समय पर स्थायी रूप में ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के निवासियों से जो सहायता प्राप्त करने का अनुमान है उसका भी उचित प्रयोग किया जायेगा । ये योजना केवल राज्य सरकार की ही नही है परन्तु इस क्षेत्र के निवासियों की भी है । इस आधार पर पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित करना आवश्यक बन जाता है ।

निरर्थक भूमि योजना से जो मनोरंजन इस क्षेत्र के सभी वर्ग के निवासियों को प्राप्त होगा, उसका दायित्व योजना की सफलता पर है और इससे जो क्रान्तिकारी परिवर्तन कार्यक्षमता पर आयेगा उसका अनुमान केवल उपलब्धियों पर ही आधारित है और यह निश्चित हैकि इस क्षेत्र के प्रत्येक निवासी को अपने प्रति एक

विश्वास जागृत हो सकेगा व काम करने की लगन निरन्तर बढ़ती जायेगी जिससे क्षेत्र की कार्य क्षमता बढ़ जायेगी । इसका लाभ प्रजातन्त्रिक, गैर प्रजातन्त्रिक व श्रमिक वर्गों को मिलेगा । समाज कल्याण कार्य क्षेत्र में ये एक प्रथम श्रेणी का कार्य होगा जिसमें मनोरंजन जैसे माध्यम से प्रत्येक प्राणी अपने में एक नई शक्ति का अनुभव करेगा, जिससे सार्वजनिक जीवन में कहीं भी व्यक्ति कार्यरत हो उसको वो अपनी कुशलता व विश्वास से उच्चतम स्तर पर पहुँचा सकता है । ये कभी क्षेत्र में व्यापक रूप में है और अगर मनोरंजन द्वारा वो पूर्ण की जा सके तो वो अन्य स्त्रोतों के लिये प्रमाण बन सकती है । वास्तव में मनोरंजन क्षेत्र पर प्रस्तावित विनियोगिता के आधार पर उसका प्रतिफल एक रूप से अदृश्य है परन्तु इससे जो कार्य सम्बन्धी विश्वास व शक्ति जागृत होती है वो बहुमूल्य है, जिसका धन के रूप में प्रमाण मिलना कठिन हो जाता है । उत्पादकता के क्षेत्र में जो जागृत होगी और उसके आधार पर जो आर्थिक उन्नति प्राप्त होगी, वो प्रस्तावित विनियोगिता से कहीं अधिक है । प्रारम्भिक स्थिति में इन दोनों के सन्तुलन की आवश्यकता नहीं है । क्षेत्र की विकासशील स्थिति में हर्ष व विश्वास का केवल यही विषय बन जाता है कि निरर्थक भूमि से मनोरंजन द्वारा प्रत्येक

क्षेत्र के व्यक्ति की उत्पादकता में वृद्धि निरन्तर हो सकेगी और जो बुन्देलखंड के क्षेत्र में प्रत्येक वर्गों में विश्वास, अन्धकार मग्न बना हुआ है, वो प्रज्ज्वलित होकर मनोरंजन का सहारा लेकर जागृत हो जायेगा । राज्य प्रशासन द्वारा जो भी विकास के कार्य किये जाते है, उसमें केवल प्रशिक्षण व धन सामग्री का ही आशय नहीं होता वरन उसके साथ में नागरिक में आत्मविश्वास को बढ़ावा व उसमें एक ऐसी प्रेरणा देना होता है, जिससे उनको कार्य करने का लगाव व प्रोत्साहन बना रहे और वो आत्म विश्वास प्राप्त करके अधिक से अधिक लाभ करने में सफल नागरिक बन सके । अगर सभी वर्गों में अधिक से अधिक ये भावना व विश्वास जागृत हो जाये तो इससे राज्य प्रशासन को अधिक सफलता होगी और साथ में क्षेत्र भी आत्म विश्वास के साथ उन्नति कर सकेंगे । इस लिये जो आत्म - विश्वास व प्रेरणा मनोरंजन के प्रयोग से मिलेगी वो भी एक रूप से अतिरिक्त विनियोगिता है, जिसे क्षेत्र की प्रगति ग्रहण करेगी । किसी भी प्रकार के विकास में धन संचित विनियोगिता के साथ में अगर इस प्रकार की अदृश्य शक्ति भी निवासियों को प्राप्त होती रहे तो दोहरी शक्ति निरन्तर प्राप्त की जा सकती है और उसके आधार पर क्षेत्र की उत्पादकता की गति भी बढ़ाई जा सकती है ।

E. Proporticnate Financial burdun of state and indivudal in accordance with per- capits income of Bundelkhand Region.:-

निरर्थक भूमि सम्बन्धी जो भी कार्य मनोरंजन के लिये चलाने की योजना है, उसके लिये आर्थिक धन अर्पित की जिम्मेदारी का प्रभाव सामान्य रूप से राज्य सरकार व क्षेत्र के सभी वर्गों पर ऐसा पड़ना चाहिये जिससे वो सरलता से बोझ उठा सके । इस सम्बन्ध में ये सुझाव दिया जा सकता है कि राज्य सरकार किसी भी प्रकार की कटौती निरर्थक भूमि मनोरंजन की योजना में ना करे और पूर्णतया अपनी ओर से धनराशि बुन्देलखंड को समयानुसार देते रहे । जितनी अधिक वित्त सहायता सरकार से प्राप्त हो सकेगी, उतना ही अधिक कम बोझ बुन्देलखंड के निवासियों पर पड़ेगा । बुन्देलखंड उत्तर प्रदेश का एक पिछड़ा क्षेत्र है और निरर्थक भूमि में प्रस्तावित मनोरंजन की योजना का निर्माण एक ऐसा महत्व पूर्ण कदम है जिसके लिये प्रदेश की सरकार को, वित्त अर्पित को जुटाने के लिये तुरन्त उचित प्रबन्ध करना चाहिये । पिछड़े क्षेत्र होने के नाते वैसे तो सारी धनराशि लगाने का औचित्य राज्य सरकार का है परन्तु फिर भी औपचारिकता को ध्यान में रखते हुये बुन्देलखंड के ग्रामीण व नगरी क्षेत्रों का भी आर्थिक

योगदान आवश्यक हो जाता है । इस सम्बन्ध में क्षेत्र की व्यक्तिगत आमदनी का अनुमान लगाना होगा और जो भी प्रक्रिया उनसे सहायता प्राप्त करने की अपनाई जाये, उसमें ये ध्यान रखना होगा कि अधिक से अधिक मात्रा में सभी वर्ग अपना योगदान दे सके और उनकी सहायता सरकार को कार्य चलाने में निरन्तर प्राप्त होती रहे । जो प्रस्तावित cess एकत्रित करने की योजना पहले बतलाई गई है उसके साथ में अगर अतिरिक्त धन व्यक्ति आमदनी के अनुसार निश्चित दर से प्राप्त की जा सके तो ठीक होगा । इससे सम्बन्धित एक और नया सुझाव दिया जा सकता है कि राज्य सरकार सात की से उचित सूद की दर पर बाँड्स का संचालन करे और इन बाँड्स पर विशेष रूप से निरर्थक भूमि मनोरंजन योजना अंकित की जाये जिससे बाँड्स के खरीदने वालों को और अधिक विश्वास योजना को प्राप्त मिल सके । जो भी धनराशि इन बाँड्स से मिले, वो निरर्थक भूमि कार्य में लगाई जाये । योजना सम्बन्धी ये बाँड्स करीब दस रुपये से लेकर सौ रुपया तक ही रक्खे जायें, जिससे कि निर्धन वर्ग भी उनको खरीद सके । इसमें आवश्यकता इस बात की है कि इन प्रस्तावित बाँड्स को, केवल क्षेत्र के निवासी ही खरीद सकते हैं और उससे प्राप्त धनराशि सरकार द्वारा केवल क्षेत्र की प्रस्तावित मनोरंजन योजना के

लिये ही लगाई जाये । जो भी ऐसे बाँध ग्रामीण व नगरीय स्थापित करेंगे उनको भी इस योजना के प्रति प्रोत्साहन मिलेगा । इस प्रकार से ये आशा की जा सकती है कि विशेष प्रबन्ध, प्रस्तावित निरर्थक भूमि की योजना के लिये प्राप्त हो सकेगा और प्रशासन को कोई आपत्ति नही होगी और वो निःसंकोच इस योजना को चलाने की स्वीकृति दे देगा । अगर ऐसी प्रस्तावित योजना प्लानिंग कमीशन को भी भेज दी जाये, तो वो भी सक्षम है कि बुन्देलखंड के क्षेत्र के निर्माण में किसी अंश उचित धनराशि उत्तर प्रदेश शासन को देकर योजना को सफल बनाने में सहायता देगा ।

वित्त सम्बन्धी आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए संस्थागत वित्त द्वारा महत्वपूर्ण सहायता प्राप्त हो सकती है । संस्थागत वित्त का बुन्देलखंड निरर्थक भूमि योजना से घनिष्ट सम्बन्धी स्थापित करना चाहिए । इस सम्बन्ध में राज्य शासन द्वारा बुन्देलखंड मण्डल के लिए विशेष रुप से प्राविधान वित्त सहायता का होना चाहिए, जिससे कि संचालन में सुविधा मिल सके।संस्थागत वित्त द्वारा आर्थिक सहायता सम्बन्धी सरल शर्तें होनी चाहिए और आवश्यक छूट के लिए भी प्राविधान होना चाहिए। बुन्देलखंड जैसे पिछड़े क्षेत्र में सरल शर्तों पर सुविधाएं मिलनी चाहिए और शासन द्वारा विभिन्न बैंकों की इकाइयों से भी व संस्थाओं से भी सम्पर्क करने की आवश्यकता है।

विशेष वैधानिकता सम्बन्धी वातावरण स्थापित होने से क्षेत्र के लिए विश्वास बढ़ जायेगा और इस देश की पूँजी भी इस योजना में आने लगेगी ।

-----:0:-----

F. Other incentives from local resources :-

वित्त शक्ति के साथ में क्षेत्र की अन्य शक्तियों को भी एकत्रित करने का साधन जुटाना होगा । बुन्देलखंड के क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में विभिन्न स्थानीय साधन उपलब्ध है । ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर अतिरिक्त साधन अन्य क्षेत्रों से सस्ते दामों पर प्राप्त किये जा सकते हैं । कुल भूमि भाग में निरर्थक भूमि पर ही वन सम्पत्ति व आवश्यक खनिज जिनकी उपयोगिता मनोरंजन के लिये प्राप्त की जा सकती है, उपलब्ध है । इसके साथ में नदियाँ, तालाब व अधिक मात्रा में ऐसी चट्टाने स्थापित है, जिन सभी का प्रयोग मनोरंजन का स्थान बनाने में आभूषण का काम करेगा जिससे इस क्षेत्र का प्राकृतिक सौन्दर्य जगमगा उठेगा। इस प्रकार की कमी ग्रामीण व शहरी की सभी महसूस करते है ना उनके पास अवकाश है, ना धन है और ना इस सौन्दर्य को प्राप्त करने की क्षमता है । ये सब कुछ उनको मिल सकता है जब कि वो सभी अपने अपने साधन जुटा कर मनोरंजन सम्बन्धी सुविधाएं निरर्थक भूमि पर स्थापित करने में राज्य सरकार की सहायता दें । इसके लिये ये अति आवश्यक है कि वो स्वयं जो भी साधन उनके पास है,

उसकी सूचना से राज्य सरकार को समय समय पर अवगत कराये । ये कार्य उतना ही महत्व पूर्ण है जैसे कोई अपने घर में मनोरंजन साधन जुटाने में भरपूर प्रयास करता रहता है, उसके बाद उसका आनन्द लेता है और अपना आत्म विश्वास बनाता है । लेकिन अन्तर यह है कि प्रस्तावित मनोरंजन की योजना क्षेत्रीय स्तर पर है जिसके लाभ को सभी वर्ग भोगेंगे और लाभान्वित होंगे और अपने घर की योजना एक व्यक्ति परिवार के लिये होती है। इस प्रकार से यह कहा जा सकता है कि बुन्देलखंड क्षेत्र में निरर्थक भूमि को मनोरंजन के लिये अपनाने में साधनों की कोई कमी नहीं है केवल दृढ़ संकल्प ही इस योजना को क्षेत्र के लिये सफल बना सकता है । प्राकृतिक शक्तियाँ जिनका व्यक्ति उपयोग करने की क्षमता नहीं रखता वो शक्तियाँ इस लिये विफल हो जाती है कि व्यक्ति उनका लाभ लेने में असमर्थता की स्थिति में होता है । अगर अधिक से अधिक व्यक्ति इन शक्तियों से लाभ लेना चाहते है तो इन सब को प्राप्त करना होगा, जिसके लिये व्यक्ति व प्रशासन दोनो की सहायता की आवश्यकता है । जब तक सभी स्थानीय साधन उपयोग में ना आ जायें तब तक बाहरी साधनों पर निर्भर होना उचित नहीं है । निरर्थक भूमि एक ऐसा प्रकृतिक भण्डार है, जिसके साधनों को

जुटा कर व्यक्ति अपनी रुचि से जो भी काम करेगा उन सभी में उसकी योग्यता का प्रमाण मिल जायेगा । इस प्रकार का प्रोत्साहन व्यक्ति अपने संघर्ष से ही ग्रहण कर सकता है । जो भी उसके अपने स्थानीय साधन है, उनको रुचि के अनुसार एकत्रित करके अपनी योग्यता बढ़ा सकता है । राज्य सरकार का कार्य इस सम्बन्ध में विभिन्न ऐसी शक्तियों को जुटाना है, जो कि क्षेत्र के वर्गों को कहीं और से प्राप्त नहीं हो सकती और योजना को लाने में सरकार की स्वीकृति आर्थिक सहायता व शक्ति सभी कुछ मिल कर योजना को प्रयोगवादी बना देती है । सबसे सफल योजना वही है, जिसकी प्रेरणा वहाँ के निवासियों से मिले और राज्य उसको पूरा करने के लिये कटिबद्ध हो ।

निरर्थक भूमि क्षेत्र में जो बस्तियाँ है उनके निवासियों में से नवयुवक वर्ग व स्त्रियाँ इस योजना में महत्व पूर्ण योगदान दे सकती है । उनमें से अधिक मात्रा में केवल निरर्थक भूमि सम्बन्धी योजनाओं में कार्य कर सकती है और इस प्रकार से उनको स्थाई संचालित रोजगार प्राप्त हो सकता है । ये मानव शक्ति एकत्रित रूप में विशेष योजना प्राप्त कर सकती है, जिसकी उत्पादकता का अनुमान अन्य निवासियों को भी होता रहेगा । इस प्रकार के

विशेष अनुभव प्राप्त होने से यहाँ के निवासियों को निरन्तर काम मिल सकेगा और क्षेत्रीय साधन जुटाने में भी सहायता मिलेगी। युवक पीढ़ी भी अनुभव कर सकेगी कि बहुत से आर्थिक सामाजिक कार्य उनके द्वारा क्षेत्र में संचालित किये जा रहे हैं व उनका अपना योगदान व आर्थिक महत्व भी है। इस प्रकार से इस पिछड़े वर्ग का सम्पर्क नगरों के निवासियों से हो सकेगा और उनको जो शिक्षा इस कार्य से मिलेगी उसके द्वारा वो देश व प्रान्त के अन्य क्षेत्रों में जाकर भी देखभाल कर सकते हैं। किसी भी आर्थिक व सामाजिक कार्य के संचालन के लिए स्थानीय मानव शक्ति का सहारा लेना अधिक उचित होता है, जिसके द्वारा क्षेत्र का विकास अधिक गति से हो सकता है। निरर्थक भूमि के जो निवासी है, उनमें बहुत उदासीनता है और उनकी साझेदारी का होना योजनाओं के चलाने में सहायक बनेगा। इस क्षेत्र के व्यक्तियों की उदासीनता का कारण भूमि का निरर्थक होना है और भूमि की शक्तियाँ भी उदासीन हो गयी हैं, परन्तु प्रकृति उदासीन नहीं है। विकसित अविकसित होने का घनिष्ट सम्बन्ध उदासीनता से होता है। आर्थिक व सामाजिक, ऐसी योजनाओं का संचालन करना चाहिए जिससे क्षेत्र की उदासीनता समाप्त हो सके और आर्थिक उत्पादकता व सामाजिक

सम्पन्नता में वृद्धि की जा सके । युवा पीढ़ी को विश्वास पात्र बनाने के लिए उदासीनता का वातावरण नहीं होना चाहिए और उनके लिए उदासीनता शक्ति का प्रयोग भी वर्जित कर देना चाहिए । उदासीनता निराशा लाती है और किसी देश के लिए अगर उदासीनता के कारण आर्थिक उन्नति न हो सके, तब ऐसी स्थिति में सभी साधन इस दुखद प्रक्रिया को समाप्त करने में लगा देने चाहिए । युवा वर्ग व क्षेत्र की महिलाएं सभी स्थानीय साधनों को जुटा सकती है, जिन के द्वारा आर्थिक शक्ति एकत्रित की जा सकती है ।

----:0:----

G. Matching state grants and financial contribution from different states and international bodies:-

प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत देश के अन्य प्रान्तो व केन्द्रीय सरकार से सम्बन्ध रखना आवश्यक हो जाता है । निरर्थक भूमि ऐसी महत्व पूर्ण योजना के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार एवं विभिन्न प्रान्तो को अवगत कराना चाहिये और इसकी विस्तृत प्रोजेक्ट तकनीकि ढंग से बना कर तैयार करनी चाहिये । योजना सम्बन्धी सभी प्रकार के प्रस्तावित विषयो पर स्थानीय जानकारी प्राप्त करने के पश्चात उनका विश्लेषण करते हुये, आँकड़े एकत्रित करके प्रोजेक्ट में इनकी सूचना सम्मिलित करनी चाहिये जिससे सभी को निरर्थक भूमि मनोरंजन योजना प्राप्त करने का अवसर मिले । इस प्रकार की प्रस्तावित योजना में वित्त सहायता ग्रहण करना सम्भव होता है और सभी प्रकार के राज्य इस प्रकार की सहायता एक दूसरे से ग्रहण करते रहते हैं । इसके लिये आवश्यक है कि अन्य प्रान्तो से व केन्द्रीय सरकार के भिन्न भिन्न प्रकार के सरकारी व गैर सरकारी प्रतिनिधि आकर बुन्देलखंड की इस योजना को स्वयं निरीक्षण करें । इसके पश्चात ही उनका महत्व वो लोग समझेंगे और

उनको किसी भी प्रकार की सहायता देने में आपत्ति नहीं होगी । प्रान्तीय सरकार को चाहिये कि निरर्थक भूमि मनोरंजन योजना के प्रति अपना निर्णय लेने के पश्चात वो सभी प्रान्तो व केन्द्रो में इस योजना का विभिन्न माध्यमो द्वारा प्रचार करे और उसके महत्व को देश के सभी भागों में अवगत कराये । इस सम्बन्ध में देश की जो विभिन्न वित्त व बैंक की संस्थाए है, उनको भी अपनी योजना को भेजे और वित्त सहायता व ऋण उनसे उपलब्ध करने का प्रयास करें । सभी संस्थानो से उनके विशेषज्ञों को आमन्त्रित करके अपनी योजनाओं के सम्बन्ध में अतिरिक्त सुझाव ग्रहण करे और अपनी सुविधानुसार उन का पालन कर सकते हैं । इस वित्त सहायता के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक और राज्य इन्वयोरेन्स कम्पनी व विभिन्न प्रकार की जो प्रान्तीय व केन्द्रीय वित्त संगठन व कारपोरेशनस है, उनसे भी सहायता लेने का प्रयास करे । सरकार को चाहिये कि संस्थागत वित्त । Institution finance के माध्यम से निरर्थक भूमि योजना के लिये पर्याप्त सहायता ग्रहण करने का निर्णय ले । इसी प्रकार से अन्तराष्ट्रीय क्षेत्र में विभिन्न वित्त सहायता सम्बन्धी व विकास सम्बन्धी संस्थाए हैं जिनसे सहारा लेना आवश्यक हो जाता है जिससे आधुनिक तकनीकि अपनायी जा सके और इस सम्बन्ध में उनके विशेषज्ञ व कन्सलटेंट क्षेत्र के

सम्बन्धित व्यक्ति व प्रशासन के उचित अधिकारी अपना आदान-प्रदान बनाए रखें और निरन्तर उनसे सम्पर्क करके उचित सहायता प्राप्त करें। विदेशीय व देशीय सहायता प्राप्त करने का अर्थ केवल इतना ही है कि जिससे क्षेत्रीय व प्रान्तीय व्यक्तियों द्वारा जो कार्य चलाया जायेगा उसको और अधिक बल मिले और आवश्यकतानुसार उनकी तकनीकि का अतिरिक्त रूप से प्रयोग कर सके। विदेशों के लिये इस प्रकार की योजना कोई नई नहीं है और वो जानते हैं कि मनोरंजन कितनी अतिरिक्त शक्ति व प्रोत्साहन व्यक्ति के विभिन्न दैनिक कार्यों में देता है। इसका प्रमाण विदेशों में मिलता है, उन्होंने मनोरंजन को बुरी नहीं समझा और अपनी सम्पन्नता को मनोरंजन से जोड़ा। ये भ्रम नहीं होना चाहिये कि मनोरंजन केवल धन वर्गों का अधिकार है। इस प्रकार की मनोरंजन योजना स्थापित करने से अधिक से अधिक वर्गों को बुन्देलखंड क्षेत्र में मनोरंजन से लाभ पाने का अवसर मिलेगा और जो सामाजिक वर्गीकरण बना हुआ है, वो भी एक स्तर में समाज को ला सकेगा। आर्थिक व सामाजिक क्षेत्र में एक स्तर की पुकार है। ऐसी योजनाओं का निर्माण अत्यन्त आवश्यक हो जाता है, जिससे वर्गीय खाई समाप्त हो जावे और भेदभाव व विषमताएं दूर हो जावे और सभी व्यक्तियों को समान रूप से अपने आर्थिक व

सामाजिक जीवन को सुखमय बनाने के अधिकार मिल सके । इस प्रकार की योजना को बनाने के लिये सभी भागों से सम्बन्ध करना आवश्यक है जिससे अच्छी उपयोगी योजनाएं अधिक से अधिक अपनाई जा सके । उत्तर प्रदेश व देश के सभी भागों में समस्या एक ही प्रकार की है और निरर्थक भूमि की योजना सभी के लिये उपयोगी बनाई जा सकती है । इस सम्बन्ध में विशेष बात यह है कि अगर मनोरंजन को अनिवार्य कर दिया जायेगा तो मनोरंजन का जो दुरुपयोग इस समय हो रहा है वो समाप्त हो जायेगा और सभी वर्ग एक दूसरे से मिल कर मनोरंजन की प्रथा को अपनायेंगें और एक दूसरे से मनोरंजन को वंचित नहीं करेंगें । समाज में मनोरंजन का स्थान एक आवश्यक वस्तु के रूप में देना होगा उस के पश्चात ही आशा की जा सकती है कि मनोरंजन की आवश्यकता प्रतीत होने लगेगी और उसके द्वारा ही जागृति व पुर्नविकास प्राप्त हो सकेगा ।

-----:0:-----

H. <u>Share Capital from Wild Land use Co-operatives :-</u>

निरर्थक भूमि मनोरंजन योजना को चलाने के लिये ग्रामीण व नगरों के सहकारी बैंको को भी इस योजना से सम्बन्धित किया जा सकता है। अगर इस योजना को सहकारिता से कुछ सीमा तक, आवश्यकतानुसार बैंधित किया जाये, तो व्यक्ति की साझेदारी इस योजना से बंध जाती है और व्यक्ति अपने को संबंधित कर देता है। मनोरंजन ऐसी योजना को सभी प्रकार के वर्गों की सहकारिता के माध्यम से सम्मिलित होने का अवसर मिल सकेगा और वो व्यक्तिगत रूप से अपना योगदान व अन्य प्रकार के साधन जो उनके अधिकार में हैं, उन सभी को एकत्रित करके योजना को समर्पित कर देंगे। सहकारिता के माध्यम की विशेषता यह है कि इसके द्वारा बुन्देलखंड क्षेत्र के सभी व्यक्तियों से सम्पर्क बनाया जा सकता है, जिससे कोई व्यक्ति वंचित ना रह जाये। इस सम्बन्ध में किसी भी माध्यम की असफलता से मतलब नहीं है और सभी माध्यमों से कार्य लगन, निष्ठा व रुचि पूर्वक ईमानदारी से अपना कार्य समझ कर पूर्ण निष्ठा से करना होगा। विभिन्न माध्यमों द्वारा बुन्देलखंड क्षेत्र के सभी निवासियों को निरर्थक भूमि मनोरंजन योजना के सम्बंध

में समय समय पर विचार व प्रदर्शन द्वारा मनोरंजन की आवश्यकता को समझना होगा । दूरदर्शन व आडो विजुअल माध्यम का उपयोग इस सम्बन्ध में किया जा सकता है । प्रचार का तात्पर्य केवल यह है कि सभी वर्ग निःसंकोच मनोरंजन योजना को अपना कर अपना सहयोग अनिवार्य रूप से देते रहें ।

निरर्थक भूमि का Infra Structure सहकारी समितियों द्वारा स्थापित होना चाहिये जिसके अन्तर्गत विभिन्न कार्य क्षेत्रों में सहकारिता के माध्यम से सभी कार्य किये जा सकते हैं। सहकारिता के आधार पर सभी व्यक्तियों की पारस्परिक साझेदारी बन जाती है और वो आर्थिक विकास कार्यों में एक दूसरे से बंधित हो जाते है और संगठन व सामूहिक ढंग से अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं । निरर्थक भूमि योजना में ये आवश्यक हो जाता है कि स्थानीय व निकट सम्बन्धी व्यक्ति एक दूसरे के सम्पर्क में आते रहे और पारस्परिक सम्बन्धों से अपनी उपलब्धियों द्वारा सम्पूर्ण फल भोग सके । निरर्थक भूमि की बहुमुखी योजना का आधार सहकारिता के माध्यम से सुरक्षित रह सकता है और उससे जो मनोरंजन प्राप्त करने की योजना है उसमें सभी के सम्मिलित होने के लिये विभिन्न समितियों की विधि संगठित पृथक व एकत्रित रूप में आवश्यकता

के अनुसार प्रयोग में लाई जा सकती है । जो भी मनोरंजन योजनाएं स्थापित की जा सकती है, उन सभी का एक दूसरे से निकटीय सम्बन्ध और वित्तीय अंकित के प्रयोग में इस बात का ध्यान रखना होगा कि उन योजनाओं की इकाइयां मनोरंजन के लिये विभिन्न सुविधाएं प्रदान कर सके व ऐसी भी योजनाएं बने जिनमें सभी इकाइयां एकत्रित रूप में अपना योगदान दे कर निरर्थक भूमि योजना के अन्तर्गत अपनी सम्मिलित अंकित से हम बुन्देलखंड जैसे क्षेत्र को आकर्षित बनाने में अपना योगदान दे सके। सहकारिता व संगठनवाद से पारस्परिक विश्वास व आत्मनिर्भरता की प्रेरणा मिलती है और सभी सम्बन्धित व्यक्ति ऐसी योजना में साझेदार बन जाते है । कोई भी एक व्यक्ति व संस्था इतनी वित्तीय सहायता नहीं दे सकती है । ऐसी परिस्थिति में केवल सहकारी समिति ही अन्य वित्तीय अंकितयों के साथ चल कर योजना में सहायक बन सकती है और आवश्यकतानुसार इन समितियों की हिस्सा पूँजी का प्रयोग किया जा सकता है । निरर्थक भूमि योजना में जो मनोरंजन मिलेगा उसमें नगरीय व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के निवासी सम्मिलित होने के अधिकारी है और इस प्रकार से सहकारी समितियों द्वारा ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों की अधिकतम पूँजी

समितियों के माध्यम से एकत्रित की जा सकती है जो इतनी अधिक मात्रा में किसी अन्य स्रोत से नहीं मिल सकती । जो पूँजी सरकार के द्वारा उपलब्ध होती है उसमें कुछ ऐसी शर्तें लगी होती हैं जिन पर अधिकतर निर्भर नहीं हुआ जा सकता । इस प्रकार से उचित होगा कि बुन्देलखंड में निरर्थक भूमि योजना के स्थापित करने में अधिक से अधिक ग्रामीण पूँजी के स्त्रोत का प्रयोग किया जाये और निरर्थक भूमि की सीमाएं भी ग्रामीण क्षेत्रों में है और उनको ही अधिक मात्रा में आर्थिक उपलब्धियां अपनी ही सीमा में प्राप्त होगी ऐसी परिस्थिति में गांवों में निरर्थक भूमि पर नगरीय क्षेत्र के निवासी जो मनोरंजन प्राप्त करेंगें और उनका सम्पर्क ग्रामीण निवासियों से बढ़ता जायेगा । ऐसी परिस्थिति में दोनो ही शक्तियां अपने अपने रूप से निरर्थक भूमि द्वारा मनोरंजन सेवाएं बुन्देलखंड निवासियों को दे सकेंगें ।

----=:0:=----

C H A P T E R :- (VI).

C H A P T E R - VI

Wild Land utilisation in Bundelkhand.

A. Establishment of outdoor recreational units for repose in the form of Hostels, Motels, Caves , Hutments, Wild Land Club and Cottage, Marketing units for Comman man :-

बुन्देलखण्ड के अपेक्षित विकसित क्षेत्र में निरर्थक भूमि मनोरंजन सेवाएं स्थापित करने के लिये एक उचित वातावरण पर्याप्त है । समस्त निरर्थक भूमि को विभिन्न श्रेणियों में बाँटा जा सकता है, जिसमें उपयुक्त मात्रा में विभिन्न मनोरंजन योजनाएं स्थापित की जा सकती है । इन योजनाओं के अन्तर्गत भ्रमण व आवास की सुविधाएं होना अति आवश्यक है, जिन स्थानों में नगर व ग्रामीण व्यक्ति आकर विश्राम कर सके व आवश्यकतानुसार अपना समय व्यतीत कर सके । सभी वर्गों के पर्यटकों के लिये सुविधाएं उपलब्ध कराना एक राजकीय कर्तव्य हो जाता है । इन सुविधाओं में इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो सेवाएं दी जायेगी उन में सभी आर्थिक श्रेणी व विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्ति आकर निसंकोच अपना समय मनोरंजन में लीन कर सके और उन सभी के परिवारों को

घर जैसा वातावरण मिल सके और उनका मनोरंजन रुचि के अनुसार हो सके । इस सम्बन्ध में जो आवास योजनाएं आने वाले पर्यटकों के लिये दी जा सकती है, उनमें विभिन्न श्रेणीयों के व सुविधाओं के निशुल्क हास्टल शुल्क सहित motels स्थापित किये जा सकते है और प्राकृतिक वातावरण को सुरक्षित रखते हुये गुफाएं व झोपड़ियाँ ऐसी स्थापित की जा सकती है जिनमें रहने की सभी सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो । जो भी व्यक्ति नगरों से आते हैं वो व उनके परिवार प्राकृतिक वातावरण में एक अद्भुत मनोरंजन का अनुभव करते है और रोमांचित हो उठते है जो कि उन्हें नगरों व अपने अपने स्थानों में नहीं प्राप्त होता । नगरों व कार्य ग्रहस्थ स्थानों की व्यस्तम जीवन उनकी प्राकृतिक भावनाओं को उभरने नहीं देता और तभी व्यक्ति व उनके परिवार आधुनिक जीवन से ऊब जाते है और वो चाहते है कि उनको प्राकृतिक पर्यावरण में ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हो जहाँ पर वो अपने व्यस्त जीवन में नवीनीकरण कर सकें ।

इस देश में कुटियों, गुफाओं और झोपड़ियों में रहना नगर वासियों के लिये सदा ही रोमांचित रहा है । उनमें प्रकृति का जो सौन्दर्य खिलता है और उस अद्भुत मनोरंजन का अनुभव होता है,

जिसके लिये बुन्देलखंड की ये निरर्थक भूमि उपयुक्त है । आज भी अजन्ता एलोरा, खुजराहो ये सभी ऐसे वातावरण में स्थापित है जो कि बुन्देलखंड और विन्ध्याचल क्षेत्रों की तरह है और अगर ऐसे रमणीक आवास के साधन निरर्थक भूमि में उपलब्ध करा दिये जाये तो ये गुफाएं रहने के लिये अधिक आकर्षित बनाई जा सकती है । जो कुछ भी कटाव से पत्थर व अन्य पथरीले विभिन्न रूप के प्राप्त होगें, उनसे बहुत सी कुटीर वस्तु वहाँ के निवासी बना सकते है व एक उपयुक्त साधन उनकी जीविका का प्रारम्भ हो सकता है । इन क्षेत्रों में कुछ ऐसी अद्भुत कलाएं है, जिसमें मूर्ती बनाना व प्राचीन कला का प्रदर्शन करना, जिनके बाजार ना केवल क्षेत्रीय व देशीय है, परन्तु जो पर्यटक इन स्थानों पर आते रहते है, वो उनके निर्यात का प्रयास सदा करते रहतेहैं । भारत के मध्य व दक्षिण में ऐसे भी क्षेत्र है जहाँ पर इन गुफाओं में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है और बहुत कुछ ऐसी सेवाएं पर्यटन केन्द्रों में दक्षिण भारत में भी स्थापित की गई है । बुन्देलखंड का पर्यावरण इन अद्भुत वस्तुओं के निर्माण के लिये उपयुक्त है और इस प्रकार से मनोरंजन का एक अद्भुत स्त्रोत इनसे प्राप्त हो सकता है । ये सब कुछ उनको निरर्थक भूमि द्वारा स्थापित मनोरंजन योजनाओं में प्राप्त हो सकता

है और वो अपने आप को स्वतन्त्र रूप में निरर्थक भूमि कलब में, अपनी इच्छानुसार एकत्रित व पृथक रूप में अपने समय का मनोरंजन द्वारा उपयोग कर सकते है । जो भी मनोरंजन ग्रामीण व नगरीय पर्यटकों द्वारा संचालित होगा उसको दोनो स्थानो के नागरिक संगठित रूप में अपनी अपनी रुचि के आधार पर प्रस्तुत कर सकते है और इस प्रकार का आयोजन दोनो पक्षो के लिये आकर्षित बनाया जा सकता है, जैसे लोकगीत व ग्रामीण नृत्य नगरो में अधिक आकर्षित माने जाते हैं और इसी प्रकार से नगरो में जो नाटक, नृत्य व अभिनय का प्रदर्शन होता है, वो ग्रामो में रुचि के साथ देखा जाता है । अगर सभी मनोरंजन कार्यक्रम संगठित रूप में चलाये जाये तो सभी वर्गों के नागरिको में रुचिकर व आकर्षित हो सकते हैं । इस सम्बन्ध में ये देखा गया है कि देश के बहुत से प्राचीन कलात्मक स्थानो पर मनोरंजन द्वारा जन जीवन आकर्षित बना दिया गया है जहाँ पर दूर दूर के स्थानो से ग्रामीण व नगरीय व्यक्ति समय समय पर आकर एकत्रित होते है और उन स्थानो पर उनको सभी मनोरंजन के साधन उपलब्ध रहते हैं।बुन्देलखंड में जैसे खजुराहो मन्दिर एक प्राचीन कलात्मक केन्द्र है, जो देश विदेश में प्रसिद्ध हो गया है और खजुराहो के चारो तरफ जो निरर्थक

भूमि पड़ी हुई है, उसमें अधिकतर पर्यटकों के लिये सुविधाओं और मनोरंजन के केन्द्र बना दिये गये है जो कि दूर दूर के निवासियों को आकर्षित करते हैं, उसमें निरन्तर विभिन्न वर्गों के व्यक्ति आते रहते हैं और उनको जो मनोरंजन मिलता है, वो अपने प्रकार का अद्वितीय है । प्राकृतिक सौन्दर्य और अधिक बढ़ जाता है अगर उन स्थानों पर मनोरंजन के साधन जुटा दिये जाते व सामूहिक सेवाएं जन समाज के लिये उपलब्ध करादी जाये । ये सभी सुविधाएं पृथक रूप में किसी भी समाज को प्राप्त नहीं हो सकती और ना उनसे विभिन्न वर्ग लाभान्वित हो सकते हैं । मनोरंजन की सामूहिक सेवाएं, जो निरर्थक भूमि पर इस योजना के अन्तर्गत स्थापित की जा सकती है, उससे समाज का एक ऐसा स्त्रोत बनाया जा सकता है जिस में भेद भावना वर्गीकरण व सभी प्रकार के सामाजिक द्वेष समाप्त किये जा सकते हैं । प्राकृतिक शक्ति इतनी अनुपम है, जो सबके लिये समान है, उसकी शक्ति का सभी सेवन कर सकते हैं और वो एक माध्यम बन सकता है जिसमें कृषि के आधार पर प्राकृतिक पर्यावरण से प्रत्येक व्यक्ति की आन्तरिक शक्ति व उसमें आत्म विश्वास की भावना जागृत की जा सकती है । व्यक्तियों के जरिए समाज व देश का मनोबल बढ़ाया जा सकता है । जो व्यक्ति जहाँ रहता है या कोई कार्य करता है, उसमें

अगर कुछ समय के लिये परिवर्तन कर दिये जाये और नये वातावरण में उनको समय व्यतीत करने का अवसर मिले तो उनको एक नवीन शक्ति का अनुभव होने लगता है और अपने कठोर परिश्रम व व्यस्त जीवन के पश्चात तभी व्यक्ति प्राकृतिक शक्तियाँ ग्रहण करने के लिये लालयित हो जाते है और इन सभी का स्त्रोत प्राकृतिक वातावरण है और निरर्थक भूमि द्वारा मनोरंजन को शक्ति को ग्रहण करना है । जिस प्रकार कि व्यक्ति कभी कभी दूर की दिशाओ में देख कर सो जाता है, कभी कुछ ढूँढता है, वो सब कुछ उस अनन्त में है जो उसे प्राप्त करना है और जिस विचार का वो अनुमान लगाता है, उसको केवल प्राकृतिक दिशाओ में ही ढूँढना है, और जो कुछ वो उस अनन्त में ढूँढता है, उसको प्राकृतिक शक्ति प्रदान करती है, जिस को ग्रहण करने के लिये व्यक्ति विभिन्न मनोरंजन की तैयारे निरर्थक भूमि पर स्थापित करना चाहता है । ये वो योजना है जो कि व्यक्ति की निराशा को प्रकृति की आशा से जोड़ती है, जिसके लिये इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति निरन्तर प्रयास करता है । इसमें उनको सभी दुख व सुख का अनुभव होता है जैसे कुटीर उद्योग में कारीगर का व्यक्तित्व झलकता है व हथकरघे में छुपी हुई कला का प्रदर्शन मिलता है । यही कारण है कि जिन वस्तुओ का प्रकृति से सम्बन्ध जुड़ा होता है वो

सभी वस्तुऐं हमें अच्छी लगती है । निरर्थक भूमि के मनोरंजन स्थानों पर स्थानीय सेवाओं द्वारा अगर विभिन्न वस्तुऐं उपभोग के लिये उपलब्ध की जा सके, तो उनकी बहुत अधिक मांग हो सकती है और ऐसे केन्द्र स्थापित किये जा सकते है जहाँ पर कलात्मक वस्तुऐं लाकर बेची जा सके, जिन के द्वारा विभिन्न संस्कृति का आदान-प्रदान हो सके । जो भी वस्तुऐं प्राकृतिक से अधिक जुड़ी हुई होती है, उतना ही व्यक्ति उनको अपने निकट समझता है, उन वस्तुओं की मांग बढ़ती जाती है और व्यक्ति सदा आकर्षक वस्तुओं को ग्रहण करने का प्रयास करता है । जितने भी आवास के केन्द्र मनोरंजन सेवाओं के अन्तर्गत स्थापित किये जा सकते है, उनमें जितनी आपस की प्राकृतिक भिन्नता होगी, उतना ही वो रहने के लिये आकर्षक होंगें । इस प्रकार से प्राकृतिक वातावरण का आधुनिक सेवाओं से मिश्रण अगर हो जाये, तो निरर्थक भूमि का उपयोग आर्थिक दृष्टि से बढ़ जाता है।प्राकृतिक पर्यावरण द्वारा बाहरी मनोरंजन क्षेत्र स्थापित करने में निरर्थक भूमि पर सभी उपलब्ध साधनों व क्षमताओं का प्रयोग करना अति आवश्यक है और उन सभी को उपयोगवादी बनाना होगा । इस प्रकार से निरर्थक भूमि का अपना योगदान विकसित भूमि से कहीं अधिक बढ़ाया

जा सकता है और आपस में दोनो प्रकार की भूमि में समन्वय स्थापित किया जा सकता है । अगर ऐसी योजनाए निरर्थक भूमि पर स्थापित करा दी जाये तो स्वयं वहाँ के ग्रामीण व नगरीय निवासी आकर्षित होकर उनका सम्पूर्ण रूप से आनन्द ले सकेगें । ऐसी योजनाए निवासियों को उनके उपभोग के लिये आकर्षित करती है, जिनका निवासियों को पहले से अनुभव नही होता । इस प्रकार से प्रत्येक सप्ताह में एक या दो दिन का समय सभी वर्गों के लिये निकाला जा सकता है, जब कि वो निरर्थक भूमि पर स्थापित मनोरंजन योजनाओ में अनिवार्य रूप से एकत्रित होकर अपने मनोबल को बढ़ाए और विभिन्न परिवार एक दूसरे के साथ मिल कर प्राकृतिक शक्तियों का अनुभव कर सके और जब वो अपने अपने काम पर लौटे, तो सभी में एक नया उत्साह जागृत हो जाये और उनका निरन्तर प्रयास हो कि जल्दी ही अगले सप्ताह में सामूहिक रूप से एकत्रित होकर मनोरंजन द्वारा अपनी आत्म शक्ति व मनोबल को बढ़ाने का अवसर प्राप्त कर सकें ।

-----=10:=-----

B. Establishment of Wild Sanctuaries, Parks, Aqueriumes, Japanese type gardens by local resources and remodelling of ponds, National lakes, revulets, Hillocks and

बुन्देलखंड के इस अद्भुत पर्यावरण में जो नदी, नाले बहते हैं, उनमें पानी केवल वर्षा ऋतु में ही आता है व भूमि के स्त्रोतों से ही पानी आने का साधन है । ग्रीष्म ऋतु में अधिकतर सो सूख जाते हैं । ऊबड़ खाबड़ भूमि होने के कारण स्थान स्थान पर नदी नालों में पानी ताल के रूप में जमा हो जाता है और सिंचाई के लिये भी इस क्षेत्र के निवासी बंधिया बना लेते है, जिसमें पानी सिंचाई के लिये आवश्यकतानुसार रोक लिया जाता है । इस प्रकार से प्राकृतिक ताल अधिक पाये जाते हैं । भूमि को घटाने व्यापक रूप में है और जब गहरे स्थान में पानी भरा होता है, तो अद्भुत सौन्दर्य उनसे प्राप्त होता है । निरर्थक भूमि में अगर इस प्रकार के पानी के तालों को सुरक्षित कर दिया जाये तो बहुत पक्षी आकर बसेरा लेते रहेंगे । इस क्षेत्र में कई स्थान ऐसे भी है, जहाँ पर अधिक मात्रा में पशु पक्षी आते रहते है और उन्होंने अपना अस्थाई घर बना लिया है । इस प्रकार के आरक्षित क्षेत्र अगर वन विभाग के संरक्षण में स्थापित करा दिये जाये, तो वो इनको का रूप धारण कर लेंगे । जो ताल गन्दे पड़े हुये है, उनमें

मत्स्य विभाग केवल व्यापारिक दृष्टिकोण से मछलियों के ठेके लेकर लेन देन करता है । इस प्रकार से ये सभी ताल दूषित हो गये है और उनमें कोई प्राकृतिक आकर्षण नही रह गया है । अगर उनको मछली की नई व आकर्षित नस्लो के लिये आरक्षित कर दिया जाये तो वो आकर्षण का एक केन्द्र बन सकते हैं व इन स्थानो पर एक्वेरियम । तालाब । का रूप धारण कर सकते हैं । उनके आस पास के क्षेत्र में जापानी जैसी बागवानी की जा सकती है व अति सुन्दरमय उनको बनाया जा सकता है और ऐसे फूल वाले वृक्ष लगाए जा सकते है, जिनमें अधिक समय तक आकर्षण रह सके और जो कुछ भी थोड़ा बहुत पानी इन तालो में हो वही सिंचाई करके फिर तालो में लौटाया जा सके। इस प्रकार की व्यवस्था विभिन्न देशो में अपनाई जाती है व इस बात का प्रयास किया जाता है कि सीमित साधनो से अधिकतम उपलब्धि सिंचाई व पर्यावरण की उन्नति में की जा सके । इस प्रकार से भूमि के निचले भाग में जो पानी के स्त्रोत है उनसे भी इन केन्द्रो को जोड़ा जा सकता है और भूमि के जो भी और नीचे स्तर है उनके आधार पर निचले भाग में और स्थानो के जो ताल है, वो पानी के साधन दे सकते हैं । जहाँ पर आवश्यकता होगी वहाँ पर पम्प द्वारा, जो डीजल से चलाए जा सकते हैं, सहायता पर्यावरण की उन्नति में उपलब्ध कराई

जा सकती है । अगर कोई योजना बनाली जाये जिससे इस क्षेत्र के नदी, नाले व तालाब आपस में जोड दिये जाये, तो पानी का अभाव नहीं रहेगा व विशेषकर पर्यावरण सुरक्षित हो जायेगा व निरर्थक भूमि मनोरंजन का केन्द्रबन सकेगी । वर्षा ऋतु में इस प्रकार के भण्डारो को जल शक्ति से सुरक्षित किया जा सकता है व पर्यटको के लिये आकर्षित बनाया जा सकता है । आज भी इस क्षेत्र की जो अधिकतर नदियां है, उनमें ग्रीष्म ऋतु में जिन स्थानो पर जल उपलब्ध है, वहाँ पर अधिक मात्रा में आस पास के निवासी अपना समय व्यतीत करते है और पशु पक्षियों के लिये भी वो केन्द्र बन गया है । इस प्रकार के केन्द्र जिन स्थानो में है, वहाँ पर नई बस्तियाँ व ग्राम स्थापित होने लगे है और इस क्षेत्र में जो पुरानी व छोटी रियासते रही व जो स्थान खण्डहर बन गये है, उन्हे पुर्नवास करके बसा दिया गया है ।

जिस प्रकार मनुष्य अपने आवास विकास की सुरक्षा चाहता है, उसी प्रकार से प्रकृति की अन्य देन भी अपनी सुरक्षा चाहती है । पर्यावरण को सुरक्षित रख कर सभी पशु पक्षी सुरक्षित रह सकते है और प्राकृतिक शक्तियाँ अपने भण्डार को मानव के लिए प्रदान करने में सफल हो सकती है । एक ओर तो मानव प्राकृतिक देन को नष्ट करके अपनी उपलब्धियाँ करना चाहता है और दूसरी ओर अपनी सुरक्षा के लिए

प्राकृतिक शक्तियों का पुर्नगठन व उनकी सुरक्षा का प्रयास करता है। इस प्रकार से समय व शक्ति दोनों का सदुपयोग होता है।आवश्यकता इस बात की है कि प्राकृतिक देन को बिना बिगाड़े उसी रूपरूप में उसका अधिकतम प्रयोग किया जाये और सन्तुलन को बना जाय । प्राकृतिक पर्यावरण से पशु पक्षी, मानव सम्पत्ति व देश की सभी शक्तियाँ सुरक्षित रहती हैं । जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपने जीवन लक्ष्य में कुछ उपलब्धियों के लिए व लक्ष्य करने के लिए और अपने को सुरक्षित रखने के लिए देखभाल करता रहता है, उसी प्रकार से अगर व्यक्ति को प्राकृतिक पर्यावरण से कुछ पाना है तो उसकी भी देखभाल उसी प्रकार से करनी होगी । जनसंख्या की वृद्धि का प्रकोप भूमि पर बढ़ता जा रहा है । आवश्यकता इस बात की है कि इससे प्रभावित सभी तथ्यों पर विचार किया जाये और विशेष रूप से पर्यावरण को नष्ट होने से बचाया जाय । देश की अद्भुत शक्ति जो पर्यावरण में है, जिसमें महत्व पूर्ण वन सम्पत्ति, पशु पक्षी और जो भूमि पर मिट्टी व अन्य पानी के स्त्रोत है, वो सब कुछ मानव शक्ति को अपना सर्वस्व अर्पण करने के लिए तत्पर रहते है । यह कर्तव्य व्यक्ति का हो जाता है कि वो किस रूप में व किस प्रकार से अपनी आर्थिक उत्पादकता को बढ़ाने में सहायता देता है और कैसे उन शक्तियों को सुरक्षित रखता है। इसके ही आधार पर मानव द्वारा योजनाएं बनायी जाती है, जिससे प्रकृति का समन्वय किया जाता है।

C. Conversion of available surplus residential apartments into tourism home and construction of low cost cottage in Rural-Area :-

निरर्थक भूमि के क्षेत्र में जो भी ग्राम बसे हुये है, उनको प्रयोगवादी व मनोरंजन के लिये आकर्षित करने में कोई विशेष लागत नही आयेगी । प्रत्येक ग्रामो में जो रहने की झोपड़ियाँ, कच्चे मकान खण्डहर व अन्य स्थान है उनको नया रूप दिया जा सकता है । इन क्षेत्रो में आवास के आस पास के स्थानो को सुसज्जित करने की प्रथा रही है व देखा गया है कि यहाँ के निवासी कारीगरो व कलात्मक दृष्टिकोण से रंग बिरंगी पत्तियाँ बनाते है और अपना , रंगोली आदि घर बर में बनाई जाती है । पत्थरो की कटाई करके मकानो में नया रंग स्थापित करते हैं, वही उनके कुटीर साधनो में सहायक बन जाते है । इस प्रकार से स्थानीय आवास गृह को रंग बिरंगा बना कर परिवर्तित किया जा सकता है । प्रत्येक परिवार अपने उन आवास गृहो में से एक भाग आवश्यकतानुसार पर्यटको के लिये आरक्षित कर सकता है, जिससे उसको स्थानीय रूप से कुछ आमदनी हो जाये और उनके लिये वो सेवाये उपलब्ध कर सके । कुछ ऐसे भाग भी ग्रामो में मिलते हैजिनमें ऐसे प्राचीन मन्दिर भी है, गढ़ भी है, आवास गृह

भी है जो खण्डहर बन गये है और उन भागो में कोई जाना नही चाहता है । इस प्रकार से प्रत्येक ग्राम 30 ₹ उन स्थानो को पर्यावरण के आधार पर मनोरंजन के लिये परिवर्तित कर सकता है और कम लागत पर पर्यटको को आदान प्रदान होने से कुछ ऐसे वर्ग इन भागों से लाभ ले सकते है, जो कि इन्ही स्थानो पर केन्द्रित है । इस प्रकार का वर्गीकरण उचित होगा और अन्य भागो से सम्मिलित होने वाले व्यक्ति जो कि अधिक दूरी पर है व उनके लिये ऐसे स्थान और भी स्थापित किये जा सकते हैं । इस प्रकार से आने जाने की सेवाए व सुविधाए कम लागत पर इन केन्द्रो से जोडी जा सकती है । जो भी व्यक्ति निरर्थक भूमि द्वारा मनोरंजन में सम्मिलित होने की आशा रखते है, उनका लक्ष्य केवल यह होता है कि वो आधुनिक जीवन से कितनी दूर है व प्राकृतिक पर्यावरण से कितने समीप है । दक्षिण भारत में और प्रशान्त महासागर में बहुत से ऐसे द्वीप है, जहाँ पर प्राकृतिक पर्यावरण में केन्द्र स्थापित करके एक बडी मात्रा में विदेशी पूँजी ग्रहण की जाती है । ये एक उपयोग बन गया है । निरर्थक भूमि इस प्रकार की योजनाओं से विकसित क्षेत्र से कहीं अधिक आर्थिक अर्जित दे सकती है, जिसकी उत्पादकता कम लागत से प्रतिस्पर्धा के आधार पर कही अधिक मिल सकती है व आर्थिक दृष्टि कोण से इन क्षेत्रो में लागत

उत्पत्ती का अनुमान कहीं अधिक देश के लिये लाभदायक बनाया जा सकता है । बुन्देलखंड ऐसे क्षेत्र में इस प्रकार की योजना बनाने में राज्य शक्ति पर निर्भरता की आवश्यकता इतनी अधिक नहीं होगी, जितनी किसी अन्य उद्योग को स्थापित करने में होती है। जो भी प्राचीन खंडहर बने हुऐ है, उनकी देखभाल करना शासन के लिए एक बोझा बन गया है और सभी प्राचीन स्थानो से सम्बन्ध रखने का एक उचित साधन यह भी हो सकता है कि इन प्राचीन खंडहरो को विभिन्न आर्थिक व सामाजिक योजनाओ को समर्पित कर दिया जाये । इस प्रकार से अगर निरर्थक भूमि में ऐसे प्राचीन खंडहर व स्थान बने हुऐ है, तो उनको मनोरंजन योजनाओ से जोड़ दिया जाय । इस प्रकार से ऐसे स्थान की मरम्मत हो सकेगी, उन का उत्पादकीय प्रयोग होता रहेगा और सबसे विशेष बात यह है कि क्षेत्र के सभी व्यक्तियों से ऐसे स्थानो का सम्पर्क बन जायेगा जिसकी जानकारी से यह स्थान प्राचीन सभ्यता की याद दिलाते रहेगें । इसी प्रकार से जो बुन्देलखंड क्षेत्र में प्राचीन ताल व किले बने हुऐ हैं, उन सभी को ऐसी योजनाओं में सम्मिलित किया जा सकता है, इनमें से बहुत से ऐसे स्थान भी है पुरातत्व विभाग को दे दिया गया है और पर्यटन के साधन बन गये हैं । इस प्रकार से उनका

स्थानीय सम्पर्क खत्म होता जा रहा है, जो उचित नहीं है । आवश्यकता इस बात की है कि उनका उचित ढंग से प्रयोग किया जाय और स्थानीय निवासियों को अधिक लाभ मिल सके । इस सम्बन्ध में यह सुझाव दिया जाता है, कि ऐसे प्राचीन स्थानों को आवश्यकता अनुसार कुछ पुरातत्व विभाग द्वारा पर्यटकों के लिए सुरक्षित कर दिया जाय व अन्य सभी अतिरिक्त स्थानों को स्थानीय मनोरंजन उपयोग के लिए समर्पित कर दिया जाय ।

------:0:------

D. Wild Land utility for tourist industry :-

आज के युग में पर्यावरण को उद्योग मान लिया गया है और उसको उपक्रम सेवा कहा गया है परन्तु औद्योगिक दृष्टिकोण होना अनुचित होगा क्यों कि इस सुख का अनुभव केवल शक्तिशाली ही कर सकेंगें और सम्पन्नता जिसका आधार होगी । अगर पर्यावरण के आधार पर निरर्थक भूमि द्वारा, मनोरंजन को व्यापक रुप से अपनाया जाये, तो इस प्रकार की व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति व समाज के जीवन का साधन बन सकती है जिसके द्वारा व्यक्ति की उत्पादकता व कार्य क्षमता बढ़ाई जा सकती है । अगर कार्य क्षेत्र में इसको व्यापक रुप से अपनाया जाये व उसके पश्चात ही उसको उद्योग माना जाये, ऐसी परिस्थिति में ना केवल आर्थिक उपलब्धि होगी वरन उसके साथ में सामाजिक आत्मबल बढ़ जायेगा और सामाजिक उत्थान होगा, जीवन स्तर बढ़ने लगेगा । आज के युग में केवल उन्हीं स्थानों को परिवर्तित किया जाता है जो निरर्थक है और उनका परिवर्तन सम्पूर्ण क्षेत्र को एक नवीन विकास का समर्थन देते है जो केवल प्रगति शील क्षेत्रों का ही अधिकार नहीं है । प्रत्येक व्यक्ति दो प्रकार से मनोरंजन का अनुभव कर सकता है पहला आधुनिक व दूसरा प्राकृतिक।

आधुनिक मनोरंजन अस्थाई होता है । प्राकृतिक वातावरण का मनोरंजन व्यक्ति की आन्तरिक शक्तियों को प्रकृति से मिलता है जो स्थाई है, जिसके कारण व्यक्ति को पूर्ण विश्राम मिलता है जिससे व्यस्त जीवन की थकान समाप्त हो जाती है और प्राकृतिक शक्तियाँ उसको नवजीवन प्रदान करती है, आर्थिक उत्पादकता बढ़ जाती है । यही कारण था कि प्राकृतिक वातावरण में देश में साधु सन्त बसे हुये थे और किसी भी शक्ति का सामना अज्ञात व्यक्ति के रूप में भी करते रहते थे । स्थायें का अनुभव इन्हीं स्थानों से होता है और उसका सम्बन्ध प्रकृति से है । भौतिकता का अनुभव आधुनिक वस्तुओं से बढ़ता है, जो कि व्यक्ति को वास्तविक जीवन से दूर कर देता है व इस स्तर पे आता है जब कि आधुनिक श्रमिक अपनी आन्तरिक शक्ति को समय से पूर्व समाप्त कर देता है । ऐसी परिस्थिति में जो भी जन सुविधा ग्रामीण व नगरीय क्षेत्र में बनी है, उसको अलग नहीं किया जा सकता है और दोनो को इस बात का अवसर मिलना चाहिये कि एक दूसरे के पास आ, सामान्य परिस्थिति का अनुभव करे व अपने स्वरूप को उचित ढंग से प्रकृति व मानव दृष्टिकोण से जोड़ सके और अपने जीवन को सहीं।केवल आनन्दमय बनाए वरन आर्थिक सुरक्षा कार्यक्षमता से जोड़ी जा

बुन्देलखंड की अर्थ व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिये भूमि का अधिक से अधिक प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है क्यो कि इस क्षेत्र में अधिक भूमि निरर्थक भूमि के रूप में उपलब्ध है । भूमि पर कार्य करने की भी आदर अधिक रूप में निर्धारित होती है जैसे कृषि उद्योग जो अधिक प्रचलित है और जो भी भूमि व्यर्थ में पड़ी होती है उसका किसी न किसी रूप में प्रयोग किया जाता है । अधिकतम निरर्थक भूमि कृषि क्षेत्र में परिवर्तित की जाती है, अभी तक ऐसी ही परम्परा रही है परन्तु आवश्यकता इस बात की है कि ऐसी भूमि का प्रयोग अन्य दिशाओ में किया जाए । निरर्थक भूमि को प्रयोग में लाने के लिए पर्यटन जैसी योजनाओ को अगर संचालित किया जाय तो यह सर्वोत्कृष्ट माध्यम भूमि व क्षेत्र की उन्नति के लिए बन सकता है । बुन्देलखंड में विशेष रूप से पर्यटन सुविधाओ को प्रदान करने का पर्यावरण पहले से ही उपलब्ध है। इस सम्बन्ध में आवश्यकता इस बात की है कि स्थानीय क्षेत्रों को पर्यटकों के लिए उपलब्ध कराया जाय व ऐसी योजनाएं बनायी जाय जिनमें स्थानीय निवासियो के लिए पर्यटन सुविधाओ में प्राथमिकता दी दी जाय और जिससे उनकी रुचि इस दिशा में बढ़े । जो भी पर्यटक अन्य भागो से आते रहते है केवल उनके सहारे से ही कोई भी अर्थ

व्यवस्था नहीं सुधर सकती और स्थानीय पर्यटक, जो क्षेत्र की प्रमुख शक्ति होते है, वो अपना सर्वोच्च योगदान पर्यटन के क्षेत्र में दे सकते है, जिसके लिए प्रत्येक निवासी तत्पर होता है । केवल वो इस प्रकार का इच्छुक होता है और उसको सुविधा इच्छा अनुसार नहीं मिल पाती । इस प्रकार से निरर्थक भूमि पर विशेष रूप से पर्यटन सम्बन्धी वातावरण व सुविधाऐ उपलब्ध करादी जाय तो स्थानीय निवासी भी अधिक से अधिक मात्रा में पर्यटन में रुचि लेंगें और उनको पर्यटन से प्रेरणा प्राप्त होगी । इस प्रकार से क्षेत्र की उन्नति के लिए स्थानीय व अन्य भागो से पर्यटक समय समय पर पर्यटन द्वारा क्षेत्र की अर्थ व्यवस्था को शक्ति प्रदान करेंगें । यह विचार सुनिश्चित हो गया है कि सभी प्राकृतिक शक्तियाँ व्यक्ति को प्रफुल्लित करती हैं व समय समय पर अपनी अदृश्य शक्ति प्रदान करती है और यही व्यक्ति की रुचि बन जाती है, जिसके द्वारा व्यक्ति कार्य क्षमता पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है । पर्यटन उद्योग का अनुभव सभी निवासियो को होता जा रहा है और सभी सम्मिलित होना चाहते हैं, यही कारण है कि देश-विदेश से लोग पर्यटन के लिए घूमते फिरते है । ऐसी परिस्थितियों में दूर की दिशाओ में तो जाना सम्भव है, परन्तु अगर पर्यटन केन्द्र स्थानीय

हो तो अधिकतर निवासी आस पास के क्षेत्रों में पर्यटन द्वारा सुख भोग सकते है व आवश्यकतानुसार वो अन्य भागों में भी पर्यटन कर सकते है । जब स्थानीय पर्यटन सुविधाएं प्राप्त नहीं होती है, तभी दूर के भागों में पर्यटन की आवश्यकता होती है। इससे यह पता चलता है कि प्रत्येक व्यक्ति की आन्तरिक भावनाऐं मनोरंजन व प्राकृतिक कृतियों की ओर झुकी हुई है और उनको वो अपनाना चाहता है और जैसे ही उस दिशा में कोई सुविधा मिलती है, तो उनमें सम्मिलित होकर उनको सन्तुष्टी प्राप्त होती है । इस प्रकार से पर्यटन द्वारा व्यक्ति का प्रकृति से सम्बन्ध बनाया जा सकता है, जो कि आज के युग में अत्यन्त महत्व पूर्ण है ।

---:0:---

F. Ab-sorption of rural and urban community in the wild land use cottage industry and creating tourist based employment opportunities for local people :-

निरर्थक भूमि द्वारा जो योजनाएं स्थापित करने का विचार है, उसमें ग्रामीण व नगरीय समाज एक कुटीर उद्योग के दृष्टिकोण से लाभान्वित होगा और अदृश्य शक्ति, जिसका वो अनुभव करेंगे, उसके द्वारा उनको कार्य करने में प्रोत्साहन मिलेगा और बहुत कुछ रोजगार उनको उन्हीं सेवाओं व शक्तियों द्वारा उपलब्ध हो सकेंगे जिनको वो पहले से छोड़े हुये हैं । ग्रामीण व नगरीय समन्वय का मिश्रण उसी प्रकार होता है, जिस प्रकार भूमि के एक ही स्त्रोत से सभी वर्ग अपना लाभ कमाते है।प्रारम्भिक स्थिति में समाज का भी एक ही स्त्रोत रहा है और वो अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार बिखर गये व उनको अलग अलग दिशाएं बन गई । जिस प्रकार प्रकृति का भी एक ही स्त्रोत है उसी प्रकार समाज का भी एक ही स्त्रोत है और उसका अलग रहना एक अस्थाई स्थिति है व मनोरंजन ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा बिखरा हुआ अस्तित्व जोड़ा जा सकता है । ऐसी परिस्थिति में रोजगार की उपलब्धियाँ बढ़ सकती है व निरर्थक भूमि एक उचित योगदान

आर्थिक क्षेत्र में दे सकती है । समाज में कुछ व्यापक परिवर्तन को करने के लिये अद्वारा शक्तियाँ एक बहुमुखी योगदान देने के लिए पर्याप्त मात्रा में स्थापित करने का प्रयास करना होगा ।

ग्रामीण व नगरी निवासी इसका अनुभव केवल धन प्राप्त करने के पश्चात ही कर सकेंगे व ऐसी परिस्थिति में यह आवश्यक है कि उसके स्थानीकरण के लिये कोई माध्यम बना दिया जाये और वो केवल मनोरंजन ही हो सकता है और इस प्रकार से समाज की असन्तुलित स्थिति को समन्वय किया जा सकता है । स्थानीय व्यक्ति जो अब तक विभिन्न कार्यों में व्यस्त रहे उनके लिये मनोरंजन एक नया अनुभव होगा । मनोरंजन बेरोजगारी नहीं करता है वरन रोजगार प्रदान करता है । ये स्वाभाविक है कि ऐसी परिस्थिति में कुछ क्षेत्र के निवासियों का दृष्टिकोण व्यापक रूप से बदल जायेगा और वो कुटीर कार्यों के अन्तर्गत अपना सम्बन्ध पर्यटन उद्योग से कर सकेंगे और उनका कार्य क्षेत्र केवल वही क्षेत्र नहीं होगा वरन उनका सम्बन्ध विदेशी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से सम्बन्धित होने लगेगा । ये एक ऐसा व्यापार है जिसमें स्थानीयकरण होने के नाते एक सीमा के पश्चात विनियोगिता का बिन्दु शून्य के बराबर हो जाता है और व्यक्तियों का आदान प्रदान स्वयं संचालित होते हुये उद्योग को

बढ़ावा देता है ।

निरक्षक भूमि में स्थानीय निवासियों का महत्वपूर्ण योगदान है और उनके विभिन्न कार्य संचालन को प्राकृतिक शक्ति से जोड़ा जा सकता है । ग्रामीण व नगरीय निवासियों के लिए किसी ऐसी योजना की आवश्यकता है जिसमें पारस्परिक संबंध अधिक से अधिक जोड़े जा सके और दोनो वर्गों को एक ही स्थान पर मनोरंजन जैसी सुविधाओं में सम्मिलित होने का अवसर मिले। किसी भी प्रकार के उपयोगी व प्राकृतिक सम्बन्धी सुविधाओं के लिए किसी एक वर्ग को सम्मिलित होने का अवसर नहीं मिलना चाहिए , परन्तु उसके स्थान पर सभी वर्गों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुये गठित रूप में अवसर प्रदान करना चाहिए और ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए जिससे सभी एक दूसरे के प्रति सामाजिक एकता के आधार आर्थिक सुरक्षा की स्थिति में प्रवेश कर सके । बुन्देलखंड में विशेष कर व भारत में वर्गीकरण ग्रामीण व नगरीय आधार पर होना उचित नहीं है और यह दोनो क्षेत्रो के निवासियों के लिए आवश्यकता इसलिए की है कि दोनो एक ही स्त्रोत में बंध कर न केवल कार्य करे परन्तु उनके साथ में अधिक से अधिक समय आपस में एकत्रित होकर व्यतीत करें । निरक्षक भूमि

सम्बन्धी मनोरंजन योजनाएं व प्राकृतिक सौन्दर्य व आनंद ग्रहण करने का जो पर्यावरण उपलब्ध है वह सब कुछ एक कुटीर उद्योग के रूप में ग्रहण किया जा सकता है और जिसकी रूप रेखा कुटीर उद्योग के आधार पर स्थापित की जा सकती है। इस प्रकार से निरर्थक भूमि पर उसके विकास के लिए सामूहिक योजनाएं, जिनके अन्तर्गत क्षेत्र का विकास सम्बन्धित है, कुटीर आधार पर उपलब्ध कराया जा सकता है और जिसकी शक्ति से स्थानीय निवासी लाभान्वित हो सकते है। निरर्थक भूमि पर सभी कार्य संचालित किये जा सकते हैं, जिनका सम्बन्ध निरर्थक भूमि से जुड़ा हुआ है। इसी आधार पर पर्यावरण कुटीर उद्योग द्वारा बनाया जा सकता है और पर्यटन उद्योग का संचालन करने में स्थानीय निवासी सहभागी बनाये जा सकते हैं। ऐसा विदेशों में बहुत से ऐसे पर्यटन केन्द्र है जहाँ पर स्थानीय निवासियों को पर्यटन उद्योग से अधिकाधिक लाभ होता है और उनकी जीविका पर्यटन उद्योग से चलती है। इसी प्रकार से बुन्देलखंड की निरर्थक भूमि पर पर्यटन का कार्य संचालन क्षेत्र के रोजगार को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है, जिससे वहाँ के निवासियों को पर्यटन व रोजगार पूर्ण रूप से प्राप्त हो सके व यही उनकी जीविका का साधन बन जाय व सिद्ध हो जाय कि निरर्थक भूमि किसी अन्य भूमि

से आर्थिक दृष्टि कोण से कम नहीं है और देश को महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। इस प्रकार से ग्रामीण व नगरीय निवासियों को साथ में सुख भोगने का अवसर मिल सकेगा। प्राकृतिक पर्यावरण ग्रामीण व नगरीय निवासियों का अन्तर इस प्रकार से समाप्त करने में सहायक होगा। निरर्थक भूमि में प्राकृतिक शक्तियों का एक अनोखा भण्डार है, जिससे व्यापार रोजगार स्थानीय निवासियों को प्राप्त हो सकता है। इस रोजगार में विशेषता इस बात की है कि कम से कम लागत पर अधिक से अधिक उपलब्धियाँ मिल सकती हैं, जो कि आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छी उपलब्धि मानी जा सकती है। प्राकृतिक शक्तियों की इस उदारता के कारण ही यह सम्भव हो सकता है। इस प्रकार से प्राकृतिक शक्ति से निरर्थक भूमि द्वारा सम्बन्धित मनोरंजन व पर्यटन योजनाएं प्रदान करने में आर्थिक उपलब्धियाँ स्वयं संचालित मानी जा सकती हैं, जिनका प्रस्ताव इस शोध में दिया जा रहा है।

----=:0:=-----

F. Bundelkhand Wild Land to be a Tourist paradise :-

देश में जो पर्यटक उद्योग के कार्यक्रम चल रहे हैं, उनका अधिकतर व्यावसायिक दृष्टिकोण ही रहा है और उसी के आधार पर उनका कार्यक्रम चलता रहता है । ये बात अलग है कि पर्यटक केन्द्रों की उन्नति करने में कुछ सीमा तक क्षेत्र का विकास भी होने लगता है परन्तु मुख्य ध्येय उनका पर्यटकों द्वारा विदेशी मुद्रा से धनार्जित को बढ़ाना है और ये स्वाभाविक है कि उसके साथ में देश के पर्यटन केन्द्र प्रसिद्ध हो जाते हैं और विदेशियों के लिये आकर्षण का केन्द्र बन जाते हैं । कितना ही अच्छा हो अगर सर्वप्रथम विभिन्न क्षेत्रों की निरर्थक भूमि को मनोरंजन के लिये, उनमें आकर्षण स्थापित करके उनका विकास किया जाये और वो स्वयं संचालित रूप से विदेशियों व पर्यटकों के लिये आकर्षण के केन्द्र बन जायें । ऐसी स्थिति में ना केवल मुख्य दृष्टिकोण, निरर्थक भूमि का विकास करना है परन्तु उस के एक साथ में उद्योग की दृष्टि को द्वितीय बनाना देश के लिये अहितकर नहीं होगा और साथ में निरर्थक भूमि सम्बन्धी योजनाएं क्षेत्र का स्वयं विकास कर सकती हैं । इस प्रकार से बुन्देलखंड में जो बिखरी हुई निरर्थक भूमि पड़ी है उसको प्रथम चरण में मनोरंजन व

विभिन्न आकर्षणों के लिये सुसज्जित करना होगा और मनोरंजन सम्बन्धी योजनाओं का निर्माण करना होगा, जो कि स्वयं ही सुचित हो जायेगी और पर्यटक आकर्षित होने लगेंगे । इस प्रकार के दृष्टिकोण से द्वितीय चरण में निरर्थक भूमि पर मनोरंजन स्थान सर्वो एवं पर्यटकों के उद्योग का केन्द्र बन जायेंगे और इस प्रकार से अल्प विकसित व विकास शील क्षेत्रों का यही लक्ष्य होना चाहिये, जिससे कि जो स्थानीय निवासी है उनकी भी भागेदारी हो जाये और जो भी इस योजना का अंग बन जाये व उनके साथ में सभी वर्गों व पर्यटकों के साथ मिल जुल कर एक सामाजिक व आर्थिक परिवेश ग्रहण कर सके । निरर्थक भूमि की बुन्देलखण्ड में प्रस्तावित योजना का प्रथम लक्ष्य क्षेत्र में मनोरंजन केन्द्रों की स्थापना करना है और वहाँ के निवासियों को इस सुविधा को ग्रहण करने का अवसर देना है । ये स्वाभाविक है कि ये निरर्थक क्षेत्र सर्वप्रथम स्थानीय निवासियों के लिये एक आकर्षण बन जाये । इस उपलब्धि के पश्चात ही विभिन्न देश के विभिन्न भागों से पर्यटक आकर इस मनोरंजन योजना का अनुभव कर सकेंगे । ना केवल इस प्रकार के स्थानों में आकर अपना समय व्यतीत करेंगे वरन वो यह भी चाहेंगे कि ऐसी योजनाएं उनके क्षेत्रों में भी स्थापित हो और निरर्थक भूमि का अनुभव उनके लिये एक विशिष्ट

उद्योग का साधन बन जाये । इस सम्बन्ध में जैसे जैसे प्रगति होती जायेगी, सभी इस प्रयास को अपनाना चाहेंगे और इसके द्वारा उनका जीवन एक अद्भुत मनोरंजन के साधनों से लाभान्वित होने लगेगा । जब कोई भी व्यक्ति मनोरंजन का सेवन करता है, तो उसके लाभ का उसे तुरन्त अनुभव नहीं होता और उसके पश्चात ही जो विश्वास व अद्भुत शक्ति व्यक्तियों में जाग्रत हो जाती है उसे ही वो मनोरंजन की विशेषता का अनुभव कर पाता है । इस प्रकार से ये आशा की जाती है कि बुन्देलखंड ऐसा पृथक क्षेत्र समाज के लिये एक आशा की ज्योति ला सकता है और प्राकृतिक चमत्कार जनहित के लिये न्योछावर कर सकता है । इस सम्बन्ध में यह समझना आवश्यक होगा कि पर्यटन एक ऐसी चुनौती है जो कि प्रत्येक प्राणी को अपने ढंग से प्रभावित करती है और सभी को इससे लाभ भोगने का अवसर मिलना चाहिये अगर विभिन्न क्षेत्रों में प्रस्तावित मनोरंजन केन्द्र निरर्थक भूमि में स्थापित कर दिये जाये, तो वो स्वयं ही पर्यटन केन्द्रों का रूप धारण कर लेंगे और स्थानीय निवासी पर्यटकों का एक दूसरा रूप होगा, जो कि वास्तविक शक्ति है और इस प्रकार से बाहरी व स्थानीय पर्यटनकारी एक दूसरे को ऐसी शक्ति प्रदान कर सकते है जिससे उनका जीवन सम्पन्न व समृद्ध हो सकेगा । इस प्रकार

की आन्तरिक शक्ति देश की किसी भी अन्य शक्ति से अधिक प्रभाव शाली होती है । ऐसी परिस्थिति में जब विभिन्न स्थानों में ऐसे मनोरंजन केन्द्र स्थापित हो जाते है, तो सभी प्रकार की निर्बलता स्वयं दूर हो जाती है और व्यक्ति अपने अतिरिक्त समय का सही उपयोग करने लगते हैं ।

अगर अतिरिक्त समय को केवल शारीरिक व मानसिक परिश्रम में ही व्यतीत किया जाये, तो व्यक्ति को अधिक थकान का अनुभव होने लगता है । अतिरिक्त समय को उत्पादशील बनाने के लिये केवल मनोरंजन ही एक साधन है जो कि व्यक्ति का पुनंस्थान करता है और उसके सहारे सभी व्यक्ति नवशक्ति का अनुभव करते है। अतिरिक्त समय का उपयोग एक स्वाभाविक क्रिया है, जोकि अनुत्पादक रूप में नहीं छोड़ी जा सकती । सभी व्यक्ति अपनी अपनी तरह से विभिन्न रूप से मनोरंजन पाते रहते है और वो समझते है कि उसके पश्चात पुनः अपने कार्यों में लीन होकर उनका कर्तव्य पूरा हो जाता है, परन्तु वो इस प्रकार के मनोरंजन में स्वयं हित की भावना के अन्तर्गत ही विचार कर सकते है । जो मनोरंजन सामूहिक रूप से किया जाता है, उसमें सभी भागीदार एक दूसरे के अनुभव से अतिरिक्त समय का उपयोग करने में बहुत कुछ सीख सकते है और इस प्रकार देश

व देश की सामूहिक उत्पादकता अनिश्चित समय द्वारा बढ़ाई जा सकती है, क्यों कि वह एक सामूहिक शक्ति का रूप धारण कर लेती है । अन्तर केवल इस बात का है कि पर्यटकों की उत्पादकता कोई विशेष नहीं होती और वो कुछ समय पश्चात लीन हो सकती है . परन्तु मनोरंजन द्वारा जो प्राकृतिक शक्ति प्राप्त होती है वो अधिक स्थाई होती है और उसका आर्थिक व सामाजिक लाभ निरंतर उस देश को मिलता रहता है ।

-----=:0:=-----

G. <u>Co-operative cum Co-partnership enterprise for the development of Wild Land Complex :-</u>

बुन्देलखंड की जिस निरर्थक भूमि योजना पर विचार किया जा रहा है, उसको सुचारु रूप से चलाने के लिये ये अति आवश्यक है कि इस योजना का आर्थिक बोझ कम से कम यहाँ के निवासियों पर पड़े और मनोरंजन सम्बन्धी जो कार्य हों उन सभी में यहाँ के निवासियों की अधिकाधिक साझेदारी स्थापित की जा सके और संयुक्त रूप से दो सहकारिता के आधार पर, इसको सामूहिक योजना बना सके। इस प्रकार से इस योजना का दायित्व किसी एक पर नहीं होगा और शासन के साथ में अन्य संगठन व संस्थाएं अपना सहयोग पूर्ण योगदान दे सकेंगी। जो भी कार्य सामूहिक [illegible] द्वारा होंगे उनमें सभी का उत्साह रहेगा और उनको इस बात का भी ज्ञान होगा कि ये सब कुछ कार्य उनके लिये ही है और अनुपात के आधार पर जो सभी अपने परिवार सहित उसके भागीदार बन सकेंगे। स्थानीय व्यक्ति का सभी प्रकार से ऐसे मनोरंजन केन्द्रों पर सामूहिक अधिकार होगा, उन्हीं के द्वारा निर्माण होगा, संचालन होगा और जो मनोरंजन सम्बन्धी सभी प्रकार के समय समय पर

प्रबन्ध करते रहेंगें । आवश्यकता इस बात की है कि इस प्रकार की निरर्थक भूमि योजनाओं में किसी का एकाधिकार नहीं होना चाहिये, परन्तु इसके साथ में सभी सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होनी चाहिये, जिससे सभी वर्ग इन योजनाओं का आनन्द ले सके । निरर्थक भूमि जो कि ग्रामीण क्षेत्र में है, उनको ग्रामीण वर्ग अपनी ही सम्पत्ति समझेंगें और कोई भी योजना उनके लिये अपनी ही योजना बन जायेगी और उनको ये शंका नहीं रहेगी कि कोई बाहरी शक्ति उनके इस मनोरंजन पर प्रभावित हो सकेगी । आवश्यकता इस बात की है कि मनोरंजन की इस तकनीकि का अनुभव सभी को हो जाये और वही स्वयं से वो योजनाओ का संचालन करें व सहकारिता के आधार पर उनको चलाये । प्राकृतिक रूप केवल ग्रामो में मिलता है और निरर्थक भूमि उस का प्रतीक है, जो भी प्रकृति की देन है और उसके प्रति प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य हो जाता है कि वो एक मित्र की तरह, निरर्थक भूमि को नहीं ठुकराये वरन उसको बल दे, रूप दे, शक्ति दे और प्राकृतिक शक्तियों से समाज में उसको उचित स्थान ग्रहण करने का अवसर दे। इसी भावना से निरर्थक भूमि का उत्थान हो सकता है और वो प्राकृतिक शक्तियों में एक आदर्श स्थान ग्रहण कर सकती है । ये आशा की जाती है कि निरर्थक भूमि योजनाओं का नेतृत्व अगर स्थानीय शक्ति एकत्रित

करके किया जाये, तो उसके साथ में अन्य साधन भी सम्मिलित हो जायेंगे और धीरे धीरे सभी चाहेंगे कि उनकी योजना अन्य योजनाओं से आगे बढ़ जाये। आवश्यकता इस बात की है कि अगर एक बार मनोरंजन द्वारा समाज सम्पन्नता का अनुभव करने लगे, तो व्यापक रूप से ऐसी योजनाओं को सभी अपनाने लगेंगे। यह तभी सम्भव होगा जब मनोरंजन करना भी एक नियमित कार्य बन जाये और सभी वर्गों के लिये अनिवार्य कर दिया जाये व साथ में सभी प्रकार की सुविधाएं, ऐसी योजनाओं में, सम्मिलित होने के लिये उपलब्ध कराई जाये। प्रत्येक योजना के निर्माण में सुविधाओं को सम्मिलित करना होगा, जिससे सभी वर्ग अपनी इच्छा व आवश्यकतानुसार, निर्धारित भाग ले सके और जिसमें मनोरंजन द्वारा संचालित सुविधाएं प्राप्त हो सके। इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखना होगा कि जो भी दो दिन सप्ताह में अनिवार्य रूप से मनोरंजन के लिये प्रस्तावित किये जायेंगे, उनमें जितने भी अधिक व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे, उनका अनुमान पहले से ही करना होगा और उसी आधार पर प्रबन्ध किये जा सकते हैं और जो भी मनोरंजन के विशेष आकर्षण बनाये जाये, उनका भी विशेष प्रबन्ध उसी समय होना चाहिये। सप्ताह के अन्य दिनों में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों का अनुमान लगाया जा सकता है व उसके ही

आधार पर प्रबन्ध किये जा सकते हैं ।

निरर्थक भूमि सम्बन्धी मनोरंजन व पर्यटन योजना स्थापित करने के लिए सहकारी क्षेत्र भी एक ऐसा क्षेत्र है जिसके द्वारा सभी वर्ग सामान्य रूप से सम्मिलित किये जा सकते हैं। सहकारिता द्वारा नगरीय व ग्रामीण कार्यकर्त्ताओं का व्यापक अन्तर भी समाप्त किया जा सकता है और उनको सामुहिक रूप से आर्थिक क्षेत्र में सम्मिलित होने का अवसर मिल सकता है और दोनों वर्ग इस प्रकार कार्य में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर सकते है । प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी योग्यताएं होती है और किसी न किसी रूप में हम उनकी क्षमताओं का सहकारिता के माध्यम से प्रयोग कर सकते है । अगर इनकी अलग अलग इकाईयाँ छोड़ दी जाये, तो वह कोई महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए सक्षम नहीं हो पायेगी । इस प्रकार से निरर्थक भूमि का व्यापक रूप से सहकारिता आर्थिक विकास के लिए अपना योगदान दे सकती है, जिसको ग्रहण करने का सभी का कर्त्तव्य बन जाता है । यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें प्रति स्पर्धा का कोई स्थान नहीं रहता और एक दूसरे के सहयोग द्वारा कार्यों का संचालन होने लगता है और वह स्वयं संचालित हो जाता है । सहकारिता एक ऐसा

माध्यम है जिसके प्रति सभी वर्गों का विश्वास बना हुआ है और उसके द्वारा ही एक दूसरे के प्रति शंका का समाधान किया जा सकता है । सहकारिता के माध्यम से सभी वर्गों की साझेदारी बन जाती है और एक विशेष आर्थिक शक्ति का रूप धारण कर लेती है । निरर्थक भूमि पर जो कुछ भी प्राकृतिक शक्तियाँ उपलब्ध है, उन सभी को ग्रहण करने में सहकारिता के माध्यम से सहायता मिलेगी और जिस में कोई भी बड़ी लागत आने का प्रश्न नहीं है । इस प्रकार से सभी निरर्थक भूमि सम्बन्धी योजनाए संचालित की जा सकती है जिसमें क्षेत्रीय निवासियों की साझेदारी बनायी जा सकती है व शक्तियों का आदान प्रदान किया जा सकता है । इसका विस्तार पूर्ण संचालन कार्य शासन द्वारा रूप धारण कर लेगा । इस प्रकार से शासन व स्थानीय समन्वय कार्य संचालन में किया जा सकता है ।

------:0:------

H. Development of various transport links for in coming and outgoing trafic :-

जो भी निरर्थक स्थान बुन्देलखंड क्षेत्र में है, वो यातायात सुविधाओं से दूर है । सर्वप्रथम इस बात की आवश्यकता है कि उन को यातायात की विभिन्न कड़ियों से जोड़ दिया जाये । निरर्थक भूमि पर मनोरंजन योजना का एक प्लान बनाना होगा, जिसमें छोटी व बड़ी पक्की सड़कें जोड़ दी जाये और आवागमन के लिये उनका सम्बन्ध रेलों से कर दिया जाये और छोटे हवाई अड्डे स्थापित करके उनको विभिन्न नगरों से आवश्यकतानुसार जोड़ दिया जा सकता है । इस प्रकार के मनोरंजन स्थान विभिन्न यातायात के साधन से जुड़ जायेंगे, तो अन्य सुविधाएं भी स्वयं स्थापित हो जायेंगी और इन भागों में खाने पीने, बैंक व स्थानीय छोटे बाजार लग सकते है, जिससे यह सभी भाग आर्थिक सुविधाओं के केन्द्र बनाए जा सकते है । जो भी यातायात के साधन उपलब्ध कराये जाये, उनको सरल होना चाहिए, गतिशील होना चाहिये व ऐसे होना चाहिए जिससे सभी इसे लाभ ले सके । प्रत्येक सप्ताह में मनोरंजन की अवधि अगर दो दिन की निर्धारित की जायेगी, तो ऐसी स्थिति में सभी चाहेंगे कि कम से कम समय में इन केन्द्रों में पहुँच सके व अधिक से अधिक समय

मनोरंजन के लिये व्यतीत कर सके । जब ऐसे केन्द्र प्रसिद्ध हो जाते है तो सभी सुविधाओं की मांग बढ़ जाती है । प्रारम्भिक स्थिति में ऐसे व्यय इन सेवाओं पर नहीं किये जा सकते, जो कि सौदा बन जायें, परन्तु सभी प्रकार की सार्वजनिक सेवा मनोरंजन केन्द्रों पर उपलब्ध करानी होगी और इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो जन समाज की सीमाओं में रहे । आवश्यकता इस बात की है कि प्रशासन भी अपने को इसका एक अंग माने और सभी प्रकार की उचित देने में सहायता करे । ऐसी योजनाएं किसी ना किसी स्तर पर सार्वजनिक रूप धारण कर लेती है और किसी एक की सम्पत्ति नहीं होती है । सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रकार की सुविधाओं से क्षेत्र की व स्थानीय नागरिकों की उन्नति होने लगती है और उनके स्तर में वृद्धि हो जाती है । ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में जो आज भिन्नता बनी हुई है, उनको दूर करने का आधार केवल मनोरंजन के साधन ही हो सकते है और अगर समयानुसार सुविधाएं उपलब्ध होती रहे, तो गाँव व नगरों की वेशभूषा समान होती जाये और दोनों ही एक दूसरे के प्रति सद्भावना व ताबेदारी से सहयोग प्राप्त कर सकते है । यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है, जो कि केवल निरर्थक भूमि जैसी निर्जन भूमि अर्जित से प्राप्त नहीं जा सकती है ।

मार्ग परिवहन एवं संचार

परिवहन एवं संचार का विकास के महत्वपूर्ण स्थान है सड़क एवं परिवहन के सुगम साधन कृषि एवं विभिन्न जीवन उपयोगी वस्तुओं और सेवाओं के उपलब्ध कराने में सहायक होती है। संचार साधन सम्पर्क की सुविधा एवं मनोरंजन में सुविधा प्रदान करते है। सड़को का स्थान हर तरह से आवश्यक है। सड़को का महत्व देखते हुये सरकार सड़को के विकास केलिये निरन्तर प्रयत्नशील है, परन्तु फिर भी बुन्देलखंड की स्थिति सन्तोष जनक नही है।

झाँसी के जनपदवार पक्की सड़को की लम्बाई निम्न प्रकार है :---

1980-81 में झाँसी में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा एवं स्थानीय संस्थाओ द्वारा पक्की सड़को की लम्बाई।

किलो मीटर में,

सड़को का वर्गीकरण	झाँसी	ललितपुर	जालौन	हमीरपुर	बाँदा	योग
केन्द्रीय राजमार्ग	131	89	74	-	-	294
प्रादेशिक राजमार्ग	79	111	81	225	201	697
जिला सड़के	613	358	111	597	709	2368
जिला परिषद की सड़के	-	5	29	16	135	185
महापालिका की सड़के	21	-	6	-	-	27
अन्य सड़के	-	-	500	-	240	740
योग	844	563	801	818	1293	4319

मण्डल में सड़कों के सम्बन्ध में तुलनात्मक आँकड़े निम्न हैं :-

वर्ष 1980-81 में सड़क की लम्बाई (किलोमीटर में)

मद	झाँसी	ललितपुर	जालौन	हमीरपुर	बाँदा	मण्डल
प्रति हजार वर्ग कि.मी. (प्रसार) सा. नि. वि. द्वारा पक्की सड़कों की लम्बाई ।	163	111	164	112	118	113.90
प्रति लाख जनसंख्या सा. नि. वि. द्वारा पक्की सड़कों की लम्बाई ।	92	128	92	67	77	61.68

मण्डल में प्रति हजार वर्ग कि0मी0 क्षेत्रफल पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पक्की सड़कों की लम्बाई 113.90 कि0 मी0 है जो कि प्रदेश के औसत 201 कि0मी0 से काफी कम है इसी प्रकार मण्डल में प्रति लाख जनसंख्या पर पक्की सड़कों की लम्बाई 61.68 कि0 मी0 है जो कि प्रदेश की औसत 59 कि0मी0 से अधिक है। यह औसत इस लिये अधिक है क्यों कि मण्डल में जन संख्या का घनत्व प्रदेश की तुलना में काफी कम है ।

मण्डल में रेलों की लम्बाई का विवरण

मद	झाँसी	ललितपुर	जालौन	हमीरपुर	बाँदा	मण्डल
बड़ी लाइन	171	75	82	155	200	683

मण्डल के अन्तर्गत सेन्ट्रल रेलवे ब्राडगेज दिल्ली से बम्बई तथा दक्षिण भारत को जाती है और दिल्ली से जबलपुर की ओर जाती है। इसके अतिरिक्त लखनऊ से बम्बई की ओर जाती है एवं लखनऊ से बाँदा की ओर जाती है। मण्डल में झाँसी में सेन्ट्रल रेलवे का मण्डल कार्यालय है तथा यह एक मुख्य स्टेशन भी है।

मण्डल के अन्तर्गत सड़क यातायात राजकीय बस सेवा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा होता है तथा निजी बस सेवा भी कुछ क्षेत्रों में है। मण्डल के अन्तर्गत विभिन्न सेवाओं के अन्तर्गत सड़कों की लम्बाई का विवरण निम्न प्रकार है :--

मण्डल में बस सेवा के अन्तर्गत सड़कों की लम्बाई किलो मी. में

बस सेवा	झाँसी	ललितपुर	जालौन	हमीरपुर	बाँदा	मण्डल
राजकीय बस सेवा	80	-	263	393	427	1163
निजी बस सेवा राज.	450	304	189	132	40	1115
निजी बस सेवा	202	89	-	20	187	498
योग	742	393	452	545	644	2776

1. Active participation of youth in wild land use Programme :-

देश विदेश में युवक वर्ग एक नई रोशनी व नये युग का ध्यान आकर्षित करते रहे है । इस बात की आवश्यकता है कि क्षेत्रीय राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय सभी से सम्बन्धित विचारों में युवा वर्ग को सम्बन्धित करना होगा, युवा वर्ग प्राचीन एवं भविष्य के मध्य एक अंतर है और प्रत्येक कार्यक्रम में उनका सम्मिलित होना अत्यन्त आवश्यक हो जाता है । प्राचीन व भविष्य की जो असमानताए होती है, उनको केवल युवक वर्ग ही सम्भाल सकता है, ऐसी असमानताए परम्परागत रूप में देश विदेश में चली आती है । भारत की संस्कृति में भी प्राचीन समय से युवा शक्ति का प्रयोग साधु सन्त व महापुरुष करते आये है । प्राचीन वेद व ग्रन्थ इसका प्रमाण है कि समय की गति के साथ साथ पर युवा शक्ति को आवश्यकतानुसार भविष्य के भार को उठाने के लिये तैयार करे । कृष्ण व राम के प्रारम्भिक जीवन में भी उनको ऋषि मुनियों ने चेतना दी थी और प्राचीन समय में ऋषि मुनि वनो व पहाड़ो के पृथक वातावरण में युवक वर्ग की ज्ञान वृद्धि करते थे और उनको सहन शक्ति प्रदान करने में उनका एक बड़ा योगदान था। इस प्रकार से युवा वर्ग के किसी भी कार्यक्रम में सम्मिलित होने से

सफलता की आशा व शक्ति का अनुभव होता है । बुन्देलखण्ड में निरर्थक भूमि के द्वारा मनोरंजन योजनाओं को स्थापित करने के लिये, इस क्षेत्र के युवा वर्ग का सम्मिलित करना होगा, जिससे वह भी अनुभव कर सके कि उनके भविष्य को उज्ज्वल किस प्रकार से बनाई जा सकती है । मनोरंजन सेवाओं का उत्थान अगर युवा वर्ग के द्वारा गति पायेगा, तो विभिन्न आयु वर्गों को सम्मिलित होने में कोई संकोच नहीं होगा । किसी भी मनोरंजन के कार्य अधूरे रह जाते हैं, अगर उनमें अधिक से अधिक आयु वर्ग सम्मिलित ना हो। यह स्वाभाविक है कि युवा शक्ति को निरर्थक भूमि से नीरसता का अनुभव होता है । उस भूमि पर अगर मनोरंजन कार्य प्रणाली में अनिवार्य रूप से सभी क्षेत्रीय व नगरीय व्यक्ति सम्मिलित होने लगें, तभी युवा वर्ग को अनुभव होगा कि निरर्थक भूमि की नीरसता मनोरंजन की उदारता में बदली जा सकती है और जिसके द्वारा कार्यक्षमता विकास व आत्मबल विभिन्न वर्गों का बढ़ाया जा सकता है। उनको ये भी अनुभव होगा कि प्राकृतिक शक्ति युवा वर्ग से कितनी समीप है और उन्होंने, उस शक्ति को पाने के लिये कोई प्रयास नहीं किया था अपितु वो आधुनिक सभ्यता में इतना खोये हुये है कि प्राचीन सभ्यता को भूल गये है । इस प्रकार से एक स्थिति ऐसी आ सकती है जब युवा

वर्ग निरर्थक भूमि सम्बन्धी योजनाओं में स्वयं आगे बढ़ कर, उन को संचालित करने में महत्वपूर्ण योगदान दे और अपने विचारों से उस शक्ति को प्रयोगवादी बना सके । इस सम्बन्ध में युवा वर्ग के शिक्षित व अशिक्षित होने से कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ेगा, केवल उनका सम्मिलित होना मात्र इस कार्य को नई दिशा दिखला देगा । निरर्थक भूमि द्वारा संचालित मनोरंजन योजनाओं का घनिष्ट सम्बन्ध विभिन्न श्रेणी के व्यवसायों से जोड़ा जा सकता है और इस क्रिया को संचालित करने में युवा वर्ग एक प्रमुख योगदान देने की क्षमता रखते है । इस कार्य क्रम को दूर दूर तक संचालित करने में और सभी वर्गों तक पहुँचाने में, युवा वर्ग का माध्यम एक बहुमूल्य मनोरंजन के साधन जोड़ सकता है, जो कि ना केवल विभिन्न आयु के व्यक्तियों को प्रोत्साहन देता है, वरन व्यक्ति की उत्पादकता बढ़ाता है व उसके साथ में दीर्घ आयु प्राप्त करने की सम्भावना बढ़ जाती है, जिस का मुख्य कारण जीवन से सुख भोगना है, विभिन्न कार्य शक्ति से क्षमता बढ़ाना है और प्रत्येक दिनको आनन्दमय बना जाना है । इस प्रकार के अनोखे वातावरण से जीवन स्तर में वृद्धि होगी व स्वयं संचालित शक्तियां उभर आयेंगी जो अनुभव

है और किसी भी अन्य शक्ति द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती है और ये सब कुछ खेल प्राकृतिक शक्ति को प्राप्त करने के पश्चात ही आ सकती है । नव युवा शक्ति का इस कार्यक्रम में प्रवेश करना एक निरन्तर श्रृंखला बन जायेगी और जिसके द्वारा उत्साह पूर्ण व प्रभावशाली वातावरण मनोरंजन का जागृत हो सकेगा। मनोरंजन को इस रूप में पहले अनुभव नहीं किया गया था । ये एक ऐसी तकनीकि है जो कि आत्म शक्ति को मनोबल देती है, जो अदृश्य होती है और जिसका अनुभव प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है । अगर ये विचार युवा वर्ग में उभर आये, और जिसका अनुमान शासन भी कर सके तो ऐसी स्थिति में जो मनोरंजन का बिगड़ा स्वरूप रहा है वो बदल जायेगा और वह समय दूर नहीं जब मनोरंजन को शिक्षा कार्य प्रणाली में एक प्रमुख स्थान मिल जायेगा । मनोरंजन को केवल खेलकूद से ही जोड़ना उचित नहीं है, खेलकूद मनोरंजन की एक न्यूनतम क्रिया है । व्यापक रूप से मनोरंजन को ग्रहण करना ही एक प्रबल शक्ति होती है और जो खेल कूद की प्रक्रिया चली आती है, वो बहुत कम है, जिससे मनोरंजन का व्यापक रूप से अनुभव नहीं हो पाता । इस प्रकार से नवयुवक शक्ति को मनोरंजन की विभिन्न सीमाओं में प्रवेश करना होगा,

जो केवल निरर्थक भूमि द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है, जिससे मनुष्य शक्ति का प्राकृतिक शक्ति से समन्वय हो जाये और उस अपूर्व शक्ति को ग्रहण करने के पश्चात वो मानवीय उत्पादकता की राष्ट्रीय धारा में बह सके और सामाजिक, प्रलोभन जो समय समय पर विभिन्न प्रकार से होते रहते है, उससे अपने को दूर रख ले, केवल उस समाज से उनका सम्बन्ध ऐसे स्रोत से बन्ध जाये कि जो कि देश के लिये राष्ट्रीय भावना जागृत कर सके और अपने को आत्म निर्भर बना सके । इस प्रकार की निरर्थक भूमि सम्बन्धी योजनाओं को संचालित करने के लिये इस कार्यक्रम को क्षेत्रीय, प्रान्तीय व देशीय योजनाओं से जोड़ना होगा ।

-----:0:-----

J. **Establishment of an ' Institution of Wild Land use Technology in Bundelkhand' under co-operative sector alongwith its ling's at other places :-**

निरर्थक भूमि योजनाओं को संचालित करने के लिये विभिन्न स्तरों पर संस्थाओं को स्थापित करना होगा और क्षेत्रीय व राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से जोड़ना होगा । इस प्रकार की योजनाओं को संचालित करने के लिये इस सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी व तकनीकि को समझने का कार्य चलाना होगा । बुन्देलखण्ड क्षेत्र में जो निरर्थक भूमि के केन्द्र है उनके लिये एक **Co-operative institute of Wild Land use Technology** .... ऐसी संस्था बनाने का प्रावधान करना चाहिये, जिसमें इस योजना को संचालित करने के लिये विस्तार पूर्वक व्यवस्था की जा सके और जिसमें ऐसी तकनीकि अपनाई जाये जिससे द्वारा इस सम्बन्ध में ज्ञान वृद्धि हो। ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों की जानकारी के लिये सम्पूर्ण निरर्थक योजना के आधार पर व्यापक रूप से मॉडल बनाने का प्रावधान किया जाये और मनोरंजन के द्वारा जो ज्ञान व विश्वास की गति वृद्धि हो उसके आँकड़े व प्रमाण ग्राफ द्वारा प्रमाणित करने की सुविधा दी जाय और उससे जो व्यक्ति की उत्पादकता में बढ़ोत्तरी होने की सम्भावना

है, उसको आर्थिक दृष्टि कोण से प्रस्तुत करने की सुविधा ऐसी संस्था से प्राप्त करने की व्यवस्था की जाये। निरर्थक भूमि सम्बन्धी जो भी केन्द्र क्षेत्र व उत्तर प्रदेश में स्थापित किये जाय उनका सम्पर्क इस संस्था से बना रहे और सम्पूर्ण जानकारी इस सम्बन्ध में इससे प्राप्त होती रहे। निरर्थक भूमि सम्बन्धी, बुन्देलखंड के इस क्षेत्र में शोध करने की व्यवस्था भी की जाय और योजना से सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी जैसे वित्त व्यवस्था, विभिन्न प्रकार के अनुदान व अन्य विकास सम्बन्धी जानकारी, सभी प्रकार की सेवाएं प्रशासन द्वारा इस केन्द्र को उपलब्ध कराई जाये। इस सम्बन्ध में निर्माण सम्बन्धी ईकाइयाँ होनी चाहिये जो सहकारिता के आधार पर स्वयं संचालित रूप से कार्य कर सके और सम्पूर्ण साझेदारी निरर्थक भूमि निवासियों को हो देने का प्रावधान किया जाये। जितना भी अधिक निर्माण कार्य निरर्थक भूमि सम्बन्धी व्यक्तियों से रखा जायेगा उतनी ही गति शीलता इस कार्य में हो सकेगी और अल्प विकसित क्षेत्र में विकास सम्भव हो सकेगा। निरर्थक भूमि सम्बन्ध जो प्रतिष्ठान प्रस्तावित करने पर विचार है, उसका सम्बन्ध विभिन्न राष्ट्रीय व अन्तराष्ट्रीय संस्थानो से करना होगा, जो वास्तव में सही रूप से अपना योगदान

इस सम्बन्ध में दे सकते है । यह एक ऐसी तकनीकि है जिसको सम्पूर्ण अधिक शक्ति व युवा शक्ति अपनाना चाहती है और यही कारण है कि इस प्रतिष्ठान के द्वारा इस सम्बन्ध में सुविधा प्राप्त की जा सकती है । जैसे जैसे इस योजना में प्रगति होगी, उसके ही आधार पर अन्य संस्थान स्थापित किये जा सकते हैं । निदर्श भूमि क्षेत्रों में संचार व दूरदर्शन की सुविधा भी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिये, जिससे वीडियो रिकार्डिंग द्वारा देश के स्थान स्थान पर इस परीक्षण कार्य को दर्शाया जा सके । इसके पश्चात ही ये आशा की जा सकती है कि निदर्श भूमि के द्वारा मनोरंजन का कार्यक्रम एक राष्ट्रीय कार्यक्रम का रूप धारण करले । निदर्श भूमि के कार्य को संचालित करने के लिये उचित विधि व तकनीकि का प्रयोग करना चाहिये, जिससे कम्प्यूटर जैसे नवीन यन्त्रों का प्रयोग किया जा सकता है कि इस सम्बन्ध में कितने प्रतिशत की वृद्धि सम्मिलित होने की सम्भावना है और जिसके आधार पर उत्पत्ती लागत नियम और विनियोगिता विधि का अनुमान किया जा सकता है । इस सब की जानकारी प्रस्तावित संस्था में रखना चाहिये और इसके आधार पर निदर्श भूमि योजना

को अधिक प्रयोगवादी बनाने में सहायता मिल सके। राष्ट्र की प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में निरर्थक भूमि मनोरंजन योजना का प्रावधान होना चाहिये, जिसको किसी अन्य विभाग से ना जोड़ा जाये। उसका अलग से विभाग बनाना चाहिये जो कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में निरर्थक भूमि सम्बन्धी योजनाओं को सफलता पूर्वक चलाने में अपना योगदान दे सके। निरर्थक भूमि योजनाओं का औचित्य सुरक्षित करने के लिये उनकी उन योजनाओं की स्थापना सहकारिता के आधार पर करनी चाहिये। इस प्रकार से सहकारिता पर आधारित यह प्रस्तावित संस्था सभी प्रकार के विकसित कार्य चलाने में सक्षम हो सकती है, जिसमें नवीन तकनीकि मनोरंजन की बनाई जा सकती है। ये संस्था मैनेजमेन्ट कोर्स भी इस सम्बन्ध में चला सकती है, जिसके द्वारा विभिन्न निरर्थक भूमि योजनाओं के संचालन में सहायता मिलेगी।

-----:0:-----

GENERAL CONCLUSION

आधुनिक युग में शुद्ध पर्यावरण को नैतिक जीवन में अपनाने पर विशेष महत्व दिया जाता है । जनसंख्या का वितरण प्राचीन समय से ही व्यक्तियों के कार्य पर निर्भर होता है । ऐसी स्थिति में कहीं तो घनत्व अधिक हो जाता है और कहीं पर उचित कार्य के अभाव में व्यक्ति बसना नहीं चाहता। कृषि उद्योग व वाणिज्य की उन्नति एक ओर होती है और मानव सभी को व्यापार की दृष्टि से देखता है । भूमि के सम्पूर्ण क्षेत्र का आकलन व्यक्ति के लिये समान होना चाहिये । बुन्देलखंड के पांच जनपदों में अधिकतर जनसंख्या का घनत्व उन्हीं क्षेत्रों में है जहाँ पर कृषि उद्योगों की सुविधा है और उसके ही आधार पर निवासी बसे हुये है । बुन्देलखंड के जो पहाड़ी व बंजर भाग है वहाँ पर आने-जाने के साधन भी कम है और उनकी उपयोगिता निवासी नहीं जानते और क्षेत्र का पिछड़ापन उसका प्रतीक है ।

बुन्देलखंड के विकास के लिये इस क्षेत्र का निरर्थक भूमि पर प्रकाश डाला गया है और इस प्रस्तुत शोध में प्रयास किया गया है कि निरर्थक भूमि के प्रतीक निवासियों को आर्थिक

उन्नति हेतु विश्वास जागृत कराया जाये । इस प्रयास में व्यक्ति के नैतिक जीवन को निरर्थक भूमि द्वारा प्रकृति से जोड़ने का प्रयास किया गया है और बुन्देलखंड क्षेत्र के सभी वर्गों के लिये इस प्रकार की योजना बनाने का अनुमान किया गया है जिससे व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से सम्बन्धित किया जाये और उनकी क्षमता को प्रकृति शक्तियों के सेवन करने से उभारा जाये । इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न व्यक्तियों का निरर्थक भूमि द्वारा मनोरंजन प्राप्त करके कार्यक्षमता बढ़ाने का प्रावधान किया गया है । विभिन्न वर्गों के समन्वय से आर्थिक उत्पादकता निरर्थक भूमि द्वारा प्राप्त करने की योजना है । जिसके अन्तर्गत क्षेत्र की सभी सेवाओं में बहुउद्देशीय या सीमित और व्यापारिक दृष्टिकोण से जो शक्तियाँ उभर कर आयेंगी वह प्रत्येक व्यक्ति के लिये आर्थिक शक्ति बटोर कर उसके आत्म बल को बढ़ावा देंगी । ऐसी स्थिति में दूषित पर्यावरण क्षेत्रों का समाप्त किया जा सकता है और सभी व्यक्ति कहीं पर भी काम करें उनका मानसिक व शारीरिक अनोखा प्राकृतिक शक्तियों से उज्ज्वल बना सकती है । यह केवल एक अद्भुत कल्पना ही नहीं है परन्तु उसकी छाया आर्थिक उत्पादकता के रूप में व्यक्ति की

क्षमता बढ़ने के साथ अनुभव की जा सकती है । किसी भी कार्य की सामान्य स्थिति पर अगर विचार किया जाये तो सामान्य स्तर परही अनुभूतियाँ होती है और गतिशीलता भी उसके अनुसार चलती है परन्तु निर्देशक भूमि की विशेष स्थिति की सहायता से अगर व्यक्ति के विभिन्न कार्यों को जोड़ा जाये और कार्य परिस्थितियों में परिवर्तन लाया जाये तो प्रकृति की इस अदृश्य शक्ति से जो क्षमता बढ़ेगी उसकी सहायता से उत्पादन में जो वृद्धि होगी वो सामान्य परिस्थितियों की अपेक्षा से कहीं अधिक है यही कारण है कि प्रत्येक कार्यकर्ता व श्रमिक की कार्य कुशलता को बढ़ावा देने के लिये कल्याणकारी कार्य सर्वोपरि से किये जाते है और अभी तक समाज के श्रमिक वर्गों तक ही कल्याणकारी कार्य सीमित रखे गये हैं ।

आवश्यकता इस बात की है कि श्रमिक व कुछ औद्योगिक वर्गों के साथ-साथ समाज के सभी अन्य वर्गों को कार्य रूपी प्रोत्साहन आमुख करने के लिये शक्तिशाली कल्याणकारी योजनाओं को स्थापित करना चाहिये । आधुनिक युग में निर्देशक भूमि द्वारा अनिवार्य मनोरंजन योजनाओं के द्वारा पर्यावरण की एक ऐसी कड़ी स्थापित की जा सकती है जिसके द्वारा सभी वर्ग

उत्पादकता बढ़ा सकते है और निरर्थक भूमि एक उपयोग बन सकती है जिसके सहारे सम्पूर्ण निवासी विभिन्न क्षेत्रों के सामाजिक स्तर पर एक दूसरे के समीप आकर सम्पर्क स्थापित कर सकते है और उनकी रुचि बढ़ाई जा सकती है । प्राकृतिक पर्यावरण एक अद्भुत देन है उसको सुरक्षित रखना ही व्यक्ति का एक मात्र कर्तव्य नहीं है परन्तु उसके साथ व्यक्ति को अपना जीवन निर्वाह करना है । देश-विदेशों के विभिन्न भागों में प्राकृतिक पर्यावरण जिन भागों में नहीं है वहाँ पर उनकी बहुत कमी के कारण आर्थिक व सामाजिक कठिनाइयाँ बढ़ती जाती है और इन भागों में प्राकृतिक पर्यावरण लाने के लिये बहुत धन व्यय करना पड़ता है । जिन भागों में प्राकृतिक पर्यावरण निरर्थक भूमि के रूप में उपलब्ध है उनको इस अद्भुत प्राकृतिक भण्डार का पूर्ण प्रयोग करने का अवसर देना समाज व प्रशासन का कर्तव्य हो जाता है । बहुत से भागों में ऐसी प्राकृतिक सीमाएं रहती है जिनको वहाँ के निवासी व्यय करके भी प्रयोग में नहीं ला सकते परन्तु बुन्देलखंड में जो निरर्थक भूमि है उसमें सभी प्रकार की प्राकृतिक संपत्तियाँ उपलब्ध है जिनका इस शोध में वर्णन किया गया है । यह आशा की जाती है कि इन संपत्तियों को अपना

कर बुन्देलखंड की आर्थिक रूप रेखा में महत्व पूर्ण परिवर्तन लाया जा सकता है ।

किसी भी आर्थिक विकास का अनुमान लगाने के लिये यह देखना पड़ता है कि क्षेत्र में सभी प्राकृतिक व मानवीय साधनों का प्रयोग किया गया या नहीं और अधिकतम आर्थिक उपलब्धियाँ प्राप्त करने में सभी इकाइयों का योगदान अधिकतम रूप में होना चाहिये ऐसी परिस्थिति में किसी भी एक इकाई को छोड़ा नहीं जा सकता । इसी प्रकार से अगर बुन्देलखंड क्षेत्र के आर्थिक विकास की समीक्षा की जाये तो पता चलता है कि निरर्थक भूमि को छोड़ दिया गया है और अन्य साधनों को जुटाने का प्रयास होता रहा है और कहा ये जाता है कि बुन्देलखंड क्षेत्र में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके द्वारा क्षेत्र की आर्थिक प्रगति की जा सके ।पहले जब भी निरर्थक भूमि की ओर प्रशासन आकर्षित हुआ तो इस भूमि पर दो ही विचार किये गये एक तो इस भूमि पर कृषि की सीमा बढ़ाई जाये जिसके अन्तर्गत सिंचाई साधनों पर व्यय करना आवश्यक होगा दूसरी ओर निरर्थक भूमि को प्रयोग में लाने के लिये केवल वनों का लगाना समझा गया और अन्त में इस क्षेत्र की पहाड़ियों पर और चट्टानों से पत्थर निकाल

जैसे कार्यों के लिये भूमि ठेके पर दी गई थी और लोग अपने अपने ढंग से चट्टानों का प्रयोग करते थे । इस प्रकार से बंजर व निरर्थक भूमि का प्रयोग इस क्षेत्र में होता रहा है परन्तु निरर्थक भूमि की क्षमता का अनुभव करते हुये एक नई दिशा में कार्य करना आर्थिक उपलब्धियों के लिये अनिवार्य हो गया है और सुझाव दिये गये है कि निश्चित रूप से निरर्थक भूमि द्वारा कितनी अधिक क्षमता व उत्पादकता बुन्देलखंड क्षेत्र के निवासियों को प्राप्त हो सकती है । इसी क्षेत्र की यह क्षमता उभर कर आयेगी जिससे निरर्थक भूमि के सभी भाग पूर्णतया आर्थिक उत्पादकता का केन्द्र बन जायेंगे और भूमि की जात हो जायेगी और अन्त में निरर्थक भूमि की क्षमता उद्योग का रूप धारण कर लेगी ।

----:0:----

B I B L I O G R A P H Y

(1) INTERNAL ECONOMICS OF POLLUTION

By:-

INGO WALTER
NEW YORK UNIVERSITY.

(II) ECONOMICS OF THE ENVIRONMENT

By:-

ROBERT DORFMAN
&
NACY S DORFMAN

(III) RECREATIONAL USE OF WILD LAND

By:-

C. FRANK BROCKMAN
&
LAWRENCE C MERRIAN Jr.

(IV) GOVERNMENT OLD GAZETEERS